द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक १९

११ दिसम्बर, १९५८ (गुरुवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Sixth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

६½ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

9 (AI) L.S.D.

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३—अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . — १०५५–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ — १०७८–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . — १०८०–११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . — ११०४–४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . — ११४९–५१/
खण्ड २, ३ और ३-क . — ११५१–८०

कार्य मंत्रणा समिति—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . — ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में — ११८१

दैनिक संक्षेपिका — ११८२–८८/

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . — ११८९–१२१२/

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ — १२१२–२५/

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ — १२२५–६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . — १२२५/

स्थगन प्रस्ताव . . . १२६७–६८

गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता . १२६७–६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२६८–६९

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १२७०–८५

खण्ड ४ और अनुसूची १२७५–८०

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८२–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ १३१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९ १३३६–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४ १३५८–९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३९३–९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन १३९४

समिति के लिए निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति १३९४–९५

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १३९५–१४०२

खण्डों और अनुसूची पर विचार . १३९५–९९

संशोधित रूप में पारित करने का विचार १३९९–१४०२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १४०२–१५

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव १४१५–२८

चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा १४२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ . १४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ १४६४--७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९६५ और ९६७ १४७४--१५०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०९--११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११-१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२--४६

दैदिक संक्षेपिका १५४७--५८

अंक १५--शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०९, ६११ से ६१७, ६१९, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५--७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . १५७९--९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३९ १५९५--१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४-२५

राज्य सभा सें संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान लिलाना--

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६--३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३--४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४०--४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४३--४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७--६७

	पृष्ठ
देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प	१६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . .	१६७३–७९

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२	१६८१–१७०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३	१७०६–२८
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से १११५	१७२८–६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६१–६२
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	१७६२
लोक लेखा समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	१७६२
१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	१७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा	१७६३–६४
विधेयक पुर:स्थापित .	१७६४–६५
(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	
(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	
(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१७६५–१८०१
दैनिक संक्षेपिका .	१८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ .	१८०९–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१८३२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ .	१८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १११६ से ११६७ . १८४८--८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८--१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४--०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६--२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं े की चर्चा . १६२५--२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८-३४

अंक--१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६--५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६--२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन--

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २०१८--२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८--३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०--५३

दैनिक संक्षेपिका २०५४--६१

अंक--१९, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८९ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२९९ और १३०१ से १३४२ २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२९

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य २१२९-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७ २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९५, ८९९, ९०१, ९०२, ९०४, ९२६, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ८९८, ९००, ९०३, ९०७, ९०९ से ९२५ और ९२७ से ९३३ . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . . . २२९३—९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . . २२९४—९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक——

परिचालित करन का प्रस्ताव . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जाली पारपत्र बनाना

†*८३९. श्री राम कृष्ण :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री दामानी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री १७ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जाली पारपत्रों सम्बन्धी जांच में और क्या प्रगति हुई है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : अभी जांच हो रही है और इस के पूरा होने में शायद कुछ समय लगेगा ।

†श्री राम कृष्ण : क्या यह सच है कि इस गिरोह के कुछ व्यक्ति विदेशों में भी पकड़े गये हैं ?

†श्री सादत अली खां : इन मामलों के बारे में नवीनतम जानकारी यही मिली है कि जो १३ अभियुक्त जिन में दर्शन सिंह और गिरोह का सरदार बी० के० सहगल भी शामिल है, गिरफ्तार किये गये थे और अदालत ने उन्हें जमानत पर छोड़ दिया था । अभी जांच हो रही है और मालूम नहीं कि उस के पूरा होने में कितना समय लगेगा ।

†अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि विदेशों में कितने पकड़े गये थे ।

†श्री सादत अली खां : मैं यह बताने में सक्षमर्थ हूं परन्तु मैं और जानकारी देना चाहता था ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बहादुर सिंह** : क्या जाली पारपत्रों की कुछ कापियां और मुहरें भी उनमें बरामद हुई थीं ?

†**श्री सादत अली खां** : जी हां ; इस में नकली मुहरें, रबड़ के मुद्रांक और कई जालसाजियां शामिल हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : पिछली बार भी सभा-सचिव ने यही उत्तर दिया था कि मामले की जांच हो रही है । हम जांच के परिणामों की बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारा निवेदन है कि वह फिर इसी उत्तर को न दोहरायें ।

†**श्री सादत अली खां** : मैं भी अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा हूं ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या यह सच है कि यह गिरोह यात्रियों को मुख्यत: 'एयर फ्रांस' के ज़रिये भेजता था । वह गिरोह यहां वसूली करके लन्दन तक का किराया कराची में दिया करता था ?

†**श्री सादत अली खां** : हमें इन बातों का कुछ पता नहीं है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या सरकार ने बम्बई की अदालत में गिरोह के एक व्यक्ति द्वारा दिये गये साक्ष्य का परीक्षण किया है और क्या सरकार ने उस की कोई जांच पड़ताल की है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं ने बताया कि अभी जांच हो रही है । इस समय मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

†**श्री गोरे** : क्या इस विलम्ब से यह अन्दाज़ लगाना सही होगा कि कुछ पुलिस कर्मचारी भी उन के साथ मिले हुए हैं ?

†**श्री सादत अली खां** : नहीं । मैं यह नहीं कह सकता ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : बम्बई की अदालत में गिरोह के एक व्यक्ति ने यह कहा है कि कुछ पदाधिकारी इस में सहयोग दे रहे थे । क्या सरकार ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि ये पदाधिकारी कौन हैं और क्या सरकार इस की जांच कर रही है ?

†**श्री सादत अली खां** : मैं ने बताया कि इन मामलों की जांच हो रही है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : इस में कितना समय लगेगा ?

†**श्री वासुदेवन नायर** : गिरोह के एक व्यक्ति ने निश्चित रूप से यह वक्तव्य दिया है कि . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मानता हूं । परन्तु माननीय सदस्य यह आशा कैसे कर सकते हैं कि सभा-सचिव को हर छोटी-बड़ी बात मालूम हो ?

†**श्री नागी रेड्डी** : यह ब्योरे का सवाल नहीं है । प्रश्न तो यह है कि मुकदमा चल रहा है जिस में पदाधिकारियों, एयर फ्रांस, स्कैंडेनेवियन एयरलाइन्स और स्विस एयर के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं परन्तु अभी तक सरकार ने यह निश्चय नहीं किया कि क्या इस बारे में जांच पड़ताल की जाये या नहीं । सरकार इस बारे में बिल्कुल चिंतित दिखाई नहीं देती ।

†**श्री सादत अली खां** : सरकार जांच पड़ताल कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** जब जांच पड़ताल हो रही है तब माननीय सदस्य या तो यह कहें कि सरकार इस में ढील दे रही है या यह कहें कि सरकार मामले को दबाना चाहती है। अन्यथा . . .

†**श्री रंगा :** सरकार यह कह सकती है कि वह अदालत द्वारा की जा रही जांच का अनुसरण कर रही है परन्तु वह यह भी कहने को तैयार नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे यकीन है कि माननीय सभा-सचिव यह सब देख रहे होंगे।

†**श्री सादत अली खां :** जी हां।

†**श्री नागी रेड्डी :** उन्हों ने कहा कि वे इस मामले के बारे में नहीं जानते।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्रियों और सभा-सचिवों से निवेदन करूंगा कि वे पूरी तरह विचार कर के उन सब प्रश्नों के उत्तर तैयार रखा करें जोकि पूछे जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि सभा-सचिव महोदय पदाधिकारियों से कहेंगे कि वे अदालत की कार्यवाही के बारे में जानकारी रखें।

रबड़ के पौधों के पुनरोपण[1] के लिये राज सहायता

†*८४०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के पौधों के पुनरोपण के लिये १९५८-५९ के लिये राजसहायता देने के हेतु आवेदन पत्र मांगे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कुल कितने आवेदन पत्र मिले हैं; और

(ग) क्या इन आवेदन पत्रों पर विचार करके किसी बागान मालिक को कोई राशि दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी हां।

(ख) १९५८ के लिये . . १८३०
१९५९ के लिये ५०६

(ग) जी हां। १९५८ में पुनरोपण करने सम्बन्धी आवेदन पत्र पर ३१ अक्तूबर, १९५८ तक ६७,९४७ रुपये। १९५९ के आवेदन पत्रों पर कोई भुगतान नहीं किया गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** पुनरोपण के लिये राजसहायता देने की शर्तें क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** बागान के क्षेत्रफल के आधार पर राजसहायता दी जाती है जो २५० से ४०० रुपये प्रति एकड़ होती है। इसे कम उपज वाले पौधों के स्थान पर अधिक उपज वाले पौधों का पुनरोपण करने पर खर्च की जानी चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या ये आवेदन पत्र रबड़ बोर्ड के जरिये भेजे जाते हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** आवेदन पत्र रबड़ बोर्ड को भेजे जाते हैं और वही उन पर विचार करके राज सहायता की स्वीकृति देता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Replanting.

†**श्री वें० प० नायर :** क्या राजसहायता केवल पुनरोपण के लिये ही दी जाती है और क्या सरकार ने नई पौध लगाने के लिये राजसहायता देने की भी कोई योजना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** जिस राजसहायता का मैं ने जिक्र किया वह केवल पुनरोपण के लिये दी जाती है और वह रबड़ बोर्ड देता है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या नई पौध लगाने के लिए राजसहायता देने की भी कोई योजना है क्यों साधारणतः

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि क्या बागान के विस्तार के लिये कोई राजसहायता दी जाती है ।

†**श्री वें० प० नायर :** पुनरोपण करते समय वर्तमान वृक्ष काट दिये जाते हैं जिन से रबड़ का उत्पादन कुछ मात्रा में हो रहा होता है और नई पौध नये क्षेत्रों में लगाई जाती है ।

†**श्री सतीश चन्द्र :** इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु इस योजना में वह ७०,००० एकड़ भूमि शामिल है जिस से सन्तोषजनक उत्पादन नहीं हो रहा है । अतः पहले इस भूमि में पुनरोपण किया जायेगा । इसी योजना पर २ करोड़ पये खर्च होंगे और फिलहाल यह काफी है ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या यह सच है कि रबड़ बोर्ड ने नई पौध के लिये एक योजना की सिफारिश की है । उस योजना को क्यों कार्यान्वित नहीं किया जाता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने अभी-अभी बताया है कि ७०,००० एकड़ की इस योजना पर २ करोड़ पये की लागत आयेगी ।

†**श्री पुन्नूस :** मैं नई पौध लगाने के बारे में कह रहा हू । रबड़ बोर्ड ने, जिसका मैं भी सदस्य था, इस बारे में एक योजना भेजी थी । उसका क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई जरूरी नहीं कि जिस समिति के आप सदस्य हों उसकी सिफारिशें तुरन्त कार्यान्वित कर दी जाये ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड :** क्या बागान मालिकों की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण यह राजसहायता दी जा रही है और यदि हां, तो क्या उन्हें कोई तकावी ऋण दिये जायेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** अधिकतर आवेदन पत्र छोटे उत्पादकों से प्राप्त होते हैं जिनके बागानों का क्षेत्रफल एक से पांच एकड़ तक होता है । बड़े बागान वालों को भी सहायता दी जाती है परन्तु यह सब बागान जांच समिति की सिफारिश पर किया जाता है और देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये रबड़ का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक समझा जाता है ।

†**श्री रंगा :** पुनरोपण के ७०,००० एकड़ में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल हैं; अब तक क्या प्रगति हुई है और क्या हमारे सामने रखे गये लक्ष्यों को देखते ए ये प्रगति सन्तोषजनक है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** योजना गत वर्ष आरम्भ की गई और लगभग २७७१ एकड़ .

†**श्री रंगा :** यह योजना कितने वर्ष की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** दस वर्ष से अधिक । इस योजना को दस वर्ष में बांटा गया है और रबड़ के वृक्ष सात आठ वर्ष में रबड़ का उत्पादन करने लगते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : एक वर्ष में केवल दो हजार एकड़ में पौधों का पुनरोपण किया गया है जब कि योजना दस वर्ष में पूरी की जानी है, तो उनका लक्ष्य कब पूरा होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने बताया कि "दस वर्ष" ।

†**श्री रंगा** : २००० एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से दस वर्ष में केवल २०,००० एकड़ में ही काम पूरा होगा ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : धीरे-धीरे काम की रफ्तार बढ़ जायेगी । वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार १९६६ तक उत्पादन बढ़ कर ३२,४०० टन हो जायेगा जब कि इस समय केवल ३२,४०० टन है और १९७३ तक यह ४६,००० टन और १९७५ तक ५२,००० टन हो जायेगा जब कि इस समय २३,००० टन है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : इस बात को देखते हुए कि कच्चे रबड़ की कमी कुछ हजार टन ही है, सरकार रबड़ उत्पादकों को अधिक क्षेत्र में रबड़ के वृक्ष लगाने के लिये अधिक सहायता देने के हेतु क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया है ।

†**श्री दासप्पा** : क्या पौधों का पुनरोपण करने की बजाये नये पौधे लगाने से अधिक लाभ नहीं होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस मामले पर तर्क वितर्क करना चाहते हैं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा ।

†**श्री तंगामणि** : पौधों के पुनरोपण के लिये राज्यवार, विशेषकर केरल और मद्रास राज्यों को, कितना आवंटन किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इसका आवंटन राज्यवार नहीं किया जाता है । रबड़ बोर्ड रबड़ उत्पादकों के आवेदन पत्रों पर व्यक्तिगत रूप से विचार करता है ।

†**श्री पूनूस** : इस बात को देखते हुए कि एक संश्लिष्ट रबड़ का कारखाना लगाया जा रहा है क्या सरकार नई पौधे लगाने सम्बन्धी किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वही प्रश्न फिर पूछा जा रहा है । कुल २,६२,००० कड़ भूमि में रबड़ का उत्पादन होता है; वास्तव में १,७५,००० एकड़ भूमि में पैदावार होती है, शेष से रबड़ का उत्पादन नहीं होता । कहीं-कहीं पर रबड़ का एक आध पौधा होता है । वास्तव में जहाँ पौधों का पुनरोपण हो रहा है वह नई भूमि ही है ।

भू-स्वामियों का अभ्यावेदन

†*८४१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके पश्चात् राजस्थान के भूस्वामियों के अभ्यावेदन का परीक्षण किया गया और उस पर प्रतिवेदन प्रधान मंत्री को भेजा गया; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रधान मंत्री किस निष्कर्ष पर पहुंचे और इस मामले में उन्होंने क्या मंत्रणा दी ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). राजस्थान के भू-स्वामियों से जो अभ्यावेदन मिले थे उन्हें प्रधान मंत्री ने योजना आयोग के सुपुर्द कर दिया था और वहां के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका परीक्षण किया था। अब उन्होंने प्रधान मंत्री को एक प्रतिवेदन भेजा है जो उन पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री की अपनी क्या राय है और क्या उन्होंने न पदाधिकारियों को यह हिदायत की थी कि वे भूस्वामियों के पुनःसंस्थापन की समस्या को सामने रखते हुए इस मामले पर विचार करें ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह अभ्यावेदन उस मूल अभ्यावेदन के बारे में था जो छोटे भूस्वामियों को प्रतिकर देने के बारे में था और मैं इस बात पर सहमत हो गया कि केवल इसी बात का निबटारा किया जाये परन्तु बाद में अभ्यावेदन में और मामले भी पेश किये गये। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं किसी मामले का, जो मुझे सौंपा जाये, निबटारा कर सकता हूं और मैंने किया भी था परन्तु मैं विस्तृत चर्चा और वार्ता नहीं कर सकता। मेरा विचार था कि यह मामला कुछ विशेषज्ञों को सौंप दिया जाये जो निष्पक्ष रूप से मुझे मंत्रणा दें और तब मैं इस पर विचार कर सकूं। सलिये इसे योजना आयोग के पास भेज दिया गया जिसने अपने योग्य व्यक्तियों को इस पर विचार करने के लिये नियुक्त किया। उन्होंने काफी कठिनाई सहन करके भूस्वामी संघ और राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों से मिल कर यह कार्य किया। चार या पांच रोज़ पहले मुझे उनका प्रतिवेदन मिला है जिस पर अभी मैं विचार नहीं कर सका।

मेरी राय का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। मैं माननीय सदस्य का अभिप्राय नहीं समझ सका। योजना आयोग के लोगों को मैं ने कोई हिदायतें नहीं दी थीं। मैं ने तो उन्हें इसका परीक्षण करके प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा था।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : कितने व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा और कुल कितना प्रतिकर दिया जाना है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : व्यक्तियों की संख्या तो मुझे मालूम नहीं है। जहां तक राशि का सम्बन्ध है वह तो प्रतिकर पर निर्भर करती है। इसी बात पर तो विचार किया जा रहा है।

†**श्री बासप्पा** : कुछ समय पूर्व जब मैं राजस्थान गया तो मैंने देखा कि इस सम्बन्ध में कई स्थानों पर सत्याग्रह आन्दोलन चल रहा था। क्या अब वह आन्दोलन समाप्त हो गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका पता समाचार पत्रों से चल सकता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने तो इस आन्दोलन के बारे में कुछ नहीं सुना है। यह अधिक विस्तृत न होते हुए कुछ एक स्थानों पर ही किया गया होगा।

†**श्री जाधव** : क्या योजना आयोग ने यह मामला राजस्थान सरकार को सौंपा था और यदि हां तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं । यदि राजस्थान सरकार की यह इच्छा न होती तो मैं इस मामले पर विचार करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर न लेता । वस्तुतः राजस्थान सरकार और भूस्वामियों ने ही मुझे इस पर विचार करने को कहा था ।

श्री वाजपेयी : जैसे राजस्थान में भूस्वामियों की समस्या है उसी प्रकार बम्बई राज्य के कच्छ प्रदेश में भी जो छोटे ज़मींदार हैं उनके उन्मूलन की समस्या है । अभी . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यह समस्या तो सारे भारत में है ।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन यह है कि प्रधान मन्त्री जी राजस्थान के भूस्वामियों के साथ जिस आधार पर कोई समझौता कर रहे हैं क्या वह आधार देश के अन्य भागों में भी लागू किया जाएगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा आपने फरमाया समस्यायें तो सारे देश में हैं और ज़ाहिर है कि कोशिश की जाती है कि किसी एक सिद्धान्त पर चलें । पर हर प्रदेश में कुछ न कुछ फर्क हैं । मैं नहीं जानता कि कच्छ में क्या हाल है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : भूस्वामियों ने कितना प्रतिकर मांगा और राजस्थान सरकार ने कितना प्रतिकर देना स्वीकार किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मन्त्री ने बताया कि वह प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । वे आंकड़े बताने से क्या लाभ जो सही न हों । मैंने पूरा प्रतिवेदन भी नहीं पढ़ा है और मुझे आंकड़े भी स्मरण नहीं हैं ।

†**श्री खाडिलकर** : भूस्वामियों के मामले पर विचार करके क्या सरकार ज़मींदारों की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहती है जिस पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित भूमि सम्बन्धी सामान्य नीति लागू नहीं होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यहां नीति का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । सामान्य नीति तो एक सी ही रहेगी परन्तु प्रतिकर देने के तरीके अलग-अलग होते हैं और वह देना भी चाहिये । कहीं बाग होते हैं और कई प्रकार के भेद होते हैं जैसे कि देश के विभिन्न भागों में भू-वृति में ही काफी अन्तर होता है । हर जगह किसी विशेष नीति का अनुसरण करना होता है ।

हिन्दुस्तान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

*८४२. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड स्थापित हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) . निकट भविष्य में ही एक कारपोरेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके विस्तृत विवरण पर विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** : क्या प्रस्ताव में भारी 'फोर्जिंग्ज' के उत्पादन की क्षमता के बारे में भी कोई निश्चय किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । भारी 'फोर्जिंग्ज' २७,००० टन प्रतिवर्ष बनाये जायेंगे ।

†**श्री रंगा** : किस स्थान पर ?

†**श्री मनुभाई शाह** : रांची ।

†**श्री त्रिदिबकुमार चौधरी** : 'भारी इंजीनियरिंग' की सामान्य भाषा के अतिरिक्त इसके अधीन कौन-कौन से उपक्रम और प्रतिष्ठान होंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : असल में भारी मशीनें बनाने और ढलाई कारखाने परियोजना का मूल उद्देश्य देश में भारी मशीनें बनाना है । जब अगले ६ या ८ वर्ष में इसकी क्षमता पूरी हो जायेगी तब इस कारखाने में हर दो वर्ष में एक इस्पात कारखाने के सारे पुर्जे तैयार होने लगेंगे ।

†**श्री दासप्पा** : इस कारपोरेशन की स्थापना के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? क्या इसमें सभी सरकारी पदाधिकारी ही होंगे या कि गैर-सरकारी व्यक्ति भी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत सरकार के इस मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के अधीन सभी निगमों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के विशेषज्ञ लिये जाते हैं ।

चिनाकुरी कोयला खान में विस्फोट

†*८४३. { **श्री त० ब० विट्ठलराव** :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनाकुरी कोयला खानों में हुए विस्फोट के कारणों का पता लगाने के लिये नियुक्त किये गये जांच न्यायालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) जांच न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मुख्य तह के नीचे छुपी हुई 'स्प्लिटर' तह से अचानक मिथेन गैस निकलने से विस्फोट हुआ जिसके फलस्वरूप पूर्वी दिशा में काम करने वाले सभी श्रमिक दम घुटने और आक्सीजन की कमी के कारण मर गये ।

(ग) जांच न्यायालय ने कुछ सामान्य सिफारिशें की हैं जिन पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : न्यायालय ने कौनसी मुख्य सिफारिशें की हैं ?

†**श्री आबिद अली** : निरीक्षण में सुधार करने और गैस आदि का पता लगाने के बारे में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विटलराव** : क्या न्यायालय ने यह कहा है कि यहां कोयले की धूल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है। यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है और निरीक्षणालय को क्या हिदायतें देना चाहती है ?

†**श्री आबिद अली** : खानों के मुख्य निरीक्षक तथा अन्य विभाग न्यायालय की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या यह सच है कि कोयला खान के एक कर्मचारी श्री एम०सी० दत्त, जिसने कोयला धूलि होने के बारे में महत्वपूर्ण बयान दिये थे, को बाद में काफी हानि पहुंचाई गई थी ?

†**श्री आबिद अली** : हमें यह मालूम नहीं।

†**श्री महन्ती** : क्या जांच न्यायालय के निम्नलिखित कथन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया था :

> "किसी वैज्ञानिक मामले की जांच करने में न्यायालय के कर्मचारियों को उतनी सफलता नहीं मिल सकती क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिनकी सचाई का पता प्रयोगशाला अथवा गवेषणा संस्था के भीतर ही लग सकता है।"

यदि हां, तो इस असाधारण दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिये वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

†**श्री आबिद अली** : प्रतिवेदन की सभी बातों पर पूरी तरह विचार किया जा रहा है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं टैकनीकल विभाग इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

†**श्री महन्ती** : यह बड़ा गम्भीर मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अब प्रतिवेदन पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री ने बताया है कि सभी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि इस प्रतिवेदन में प्रबन्धकों को दोष से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये उन्हों ने क्या कारण बताये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : वे यह निर्णय नहीं कर सके कि प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई थी।

†**श्री हेम बरुआ** : कारण क्या था ?

†**श्री तंगामणि** : इस बात को देखते हुए कि इस दुर्घटना में १७० से अधिक व्यक्ति मरे क्या जांच न्यायालय के प्रतिवेदन को आगामी सुरक्षा सम्मेलन के सामने रखा जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : अवश्य।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा जिस से कि सभा यह देख सके कि इसके लिये कोयला खान प्रबन्धक कहां तक जिम्मेदार थे ?

†**श्री आबिद अली** : यह ६ दिसम्बर, के गजेट में प्रकाशित हो चुका है और इसे सभा-पटल पर भी रखा जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महन्ती** : जब कारण का पता नहीं चला तो सरकार ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि प्रबन्धकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

†**श्री आबिद अली** : हमने उस जांच न्यायालय की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने की थी।

†**श्री महन्ती** : यह सिफारिश नहीं है। वह सभा को गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं वाद-विवाद के लिये अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब क्या हो सकता है ? उनका कहना है कि उन्होंने प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह प्रतिवेदन सरकार को दो मास पहले प्रस्तुत किया गया था इस बात को ध्यान में रखते हुए जांच न्यायालय की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री आबिद अली** : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रतिवेदन खान महानिरीक्षक के पास भेजा गया है जो टेकनिकल विषय के प्रभारी हैं और विभाग जांच न्यायालय की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। हमें समाचार भी मिलते रहते हैं। कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है।

भारी मशीनी औजार बनाने का कारखाना

†८४६. {**श्री राम कृष्ण** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारी मशीनी औजार बनाने का कारखाना (हैवी मशीन टूल्स वर्क्स,) एक भारी ढांचा बनाने का कारखाना (हैवी स्ट्रक्चरल शाप) और एक प्लेट तथा जहाज़ बनाने का कारखाना (प्लेट एण्ड बैसिल्स वर्क्स) स्थापित करने की योजनाओं की क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जैसी कि ब्रिटेन के भारी इंजीनियरिंग मिशन ने सिफारिश की है, एक ढांचा, कारखाना (स्ट्रक्चरल शाप) और एक प्लेट तथा जहाज़ बनाने का कारखाना (प्लेट एण्ड बैसिल्स वर्क्स) स्थापित करने के लिये यथाशीघ्र एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु प्रबन्ध किये जा रहे हैं। जहां तक मशीनी औज़ार के कारखाने का संबंध है, कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और यदि विदेशी मुद्रा के भुगतान के बारे में सन्तोषजनक व्यवस्था हो सकी तो अन्य जो भारी इंजीनियरिंग परियोजनाएं ध्यान में हैं उन्हें इस परियोजना में रखने का प्रयत्न किया जायेगा। किन्तु द्वितीय योजना काल में संसाधन संबंधी स्थिति को देखते हुए इन दो परियोजनाओं के बारे में अभी तक कोई प्रगति नहीं की जा सकी है ?

†**श्री राम कृष्ण** : इन परियोजनाओं पर कुल कितनी अनुमानित राशि व्यय की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारी मशीनी औज़ार परियोजना पर यह व्यय लगभग ९ करोड़ रुपये और प्लेट तथा जहाज़ों के कारखाने पर ११ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। ठीक-ठीक अनुमान अभी पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण :** ये परियोजनायें कहां स्थित होंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त होने में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है जिसका कारण संसाधन संबंधी स्थिति है। अत : फिलहाल स्थिति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

भारत का राज्य-व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†८४७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के राज्य व्यापार (निगम-प्राइवेट) लिमिटेड को नई दिल्ली में अपने दफ्तर के लिये ११ हजार रुपये मासिक मकान का किराया देना पड़ता है :

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास जो भवन इस समय है उससे भी अधिक अच्छा और बड़ा एक अन्य निजी मकान सरकार के नियंत्रण में है जो एक निजी व्यक्ति को होटल चलाने के लिये १२०० रुपये प्रति मास किराये पर दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मकान में राज्य व्यापार निगम का दफ्तर रख कर सार्वजनिक धन की बचत करने में क्या कठिनाई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन १३,०८९.५० रु० किराया दे रहा है।

(ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस मकान का उल्लेख कर रहे हैं। अगर माननीय सदस्य वह मकान विशेष बता सकें, तो वांछित जानकारी देने में सुविधा होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†**एक माननीय सदस्य :** उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जाये।

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन : मैं उस मकान की जानकारी तो माननीय मंत्री जी के पास पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो १३००० रुपया माहवार खर्च किया जा रहा है क्या इससे कम किराये का मकान नहीं मिल सकता था ?

†**श्री कानूनगो :** यह १३,००० रुपया चार मकानों का किराया है। उनके पास इस वक्त २६ हजार स्क्वायर फीट एकोमोडेशन है और उनको जरूरत है ४५ हजार स्क्वायर फीट की। इसलिए अगर ज्यादा स्पेस लेंगे तो और ज्यादा किराया होगा।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मेरे प्रश्न की सूचना माननीय मंत्री जी को मिली तो क्या उन्होंने वर्क्स हाउसिंग एंड सप्लायी मिनिस्ट्री से यह जानने की कोशिश की कि क्या कोई मकान १२०० माहवार पर रिक्वीजीशन किया हुआ है जिसमें कोई सरकारी काम नहीं हो रहा बल्कि जिसमें एक होटल चलाया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : बहुत से मकानों का किराया कम और ज्यादा है। लेकिन कोई खास इलाके में मकान की सूचना न मिले तो कैसे काम किया जाये।

†**पंडित द्वा ना० तिवारी** : क्या राज्य व्यापार निगम के पास जो मकान किराये पर था वह होटल चलाने के लिये किराये पर दे दिया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं।

श्री वाजपेयी : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि एक मकान में ही ४ मकान हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह चार मकान एक ही मालिक के हैं और अगर हां, तो उनका शुभ नाम क्या है ?

श्री कानूनगो : वे चार मकान अलग अलग जगह पर हैं और मालिक भी दूसरे दूसरे लोग हैं।

राजा महेन्द्र प्रताप : वृन्दावन में बहुत से मकान खाली पड़े हैं, वहां एस० टी० सी० को क्यों नहीं भेज देते ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या इस मंत्रालय ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से यह पूछा है कि क्या सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया कोई मकान होटल चलाने के लिये एक गैर-सरकारी व्यक्ति को आवंटित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हम निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से यह निवेदन करते आ रहे हैं कि हमें या तो अधिक स्थान दे दीजिये अथवा कम किराये का कोई दूसरा मकान दे दीजिये। किन्तु राज्य व्यापार निगम के लिये अन्य मकान आवंटित कर सकना निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के लिये भी कोई आसान काम नहीं है। आवास देने के बारे में जो कठिनाइयां सामने आती हैं उनका अनुमान हमारे माननीय सदस्यों को है और राज्य व्यापार निगम स्वायत्तशासी निगम होने के कारण सामान्य संचय में नहीं आता। निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय स्वभावतः उन इमारतों के बारे में प्राथमिकता देता है जो सरकारी कार्यालयों के लिये होती हैं। इस कारण हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

वस्तुतः जब यह प्रश्न प्राप्त हुआ था तो मैं ने स्वयं निर्माण, आवास और संभरण मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया था और उन्होंने कहा था कि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के बारे में और आगे जानकारी देना चाहेंगे तथा वह इस मामले की और आगे जांच करने के लिये भी तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि राज्य व्यापार निगम १३,००० रुपये क्यों दे जबकि अधिग्रहण किया गया मकान एक होटल को १,३०० रुपये प्रति मास पर किराये पर उठाया गया है। यही प्रश्न है। क्या माननीय मंत्री ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से पूछताछ की है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय मंत्री यहां नहीं हैं। संभवत यह मकान अधिग्रहण किया हुआ नहीं है। मुझे ठीक से पता नहीं कि अधिग्रहण किया गया मकान होटल चलाने के लिये दिया गया है।

†**श्रीमती रेणुका राय** : किन्तु यही प्रश्न पूछा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** किन्तु मुझे यह बताया गया है कि वह मकान उस सज्जन के कब्जे में पिछले कुछ वर्षों से है ।

†**श्री त्यागी :** कौन सा मकान ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** वही मकान जिस के बारे में कहा जाता है कि उस का इस्तेमाल होटल के लिये किया जा रहा है । उस व्यक्ति को उस मकान से हटाना संभव नहीं है । इस के लिये कुछ विधिक कार्यवाही करनी पड़ेगी । ये मामले ऐसे हैं जिन का प्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण आवास और सम्भरण मंत्रालय से है और इस की जानकारी उन्हें दे दी गई है ।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** यदि हमारे मंत्रालय से अलग प्रश्न पूछा जाये तो हम इस की विशद जानकारी दे सकेंगे । इस समय हमें जो कुछ पता है और माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने जिस मकान का उल्लेख किया है वह अधिग्रहण किया हुआ मकान है जो निष्क्रमणार्थी संग्रह का है तथा सहायता और पुनर्वास मंत्रालय उस पक्ष को उस घर से निकालना चाहते हैं । यदि हमारे मंत्रालय को अलग से प्रश्न सम्बोधित किया जाता है तो हम सभा को विस्तृत जानकारी दे सकेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न :

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा निवेदन केवल यह है कि इस प्रश्न के भाग (ख) में इस मकान विशेष को होटल के लिये किराये पर देने के बारे में जानकारी मांगी गई है जबकि माननीय सदस्य इस बारे में अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहे हैं । विशिष्ट प्रश्न पूछे जाने के बावजूद भी वह ऐसा किस प्रकार कह रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न का उत्तर माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछा गया है । मकानों का अधिग्रहण करना अथवा अधिग्रहण किये गये मकानों को होटल आदि के लिये किराये पर देने से सम्बन्धित मामले ऐसे हैं जो निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के क्षेत्राधिकार में आते हैं । उपमंत्री महोदय ने तो यह भी कहा है कि उस व्यक्ति को बेदखल करने के बारे में कार्यवाही की जा रही है और आगे प्रश्न पूछने से कोई लाभ नहीं है । (**अन्तर्वाधा**)

†**श्री हेम बरुआ :** किन्तु श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह किस प्रकार जान सकते हैं? यदि वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के बारे में होता तो वह कुछ कह सकते थे । उन्हों ने निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से यथोचित किराये का मकान देने के लिये कहा है । अन्य जिन मकानों का आवंटन किया गया है वे वाणिज्य मंत्री के क्षेत्राधिकार में नहीं आते ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** स्थिति इस प्रकार है । राज्य व्यापार निगम एक इमारत चाहता था जिस को निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने ले लिया था । निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने उस का अनधिग्रहण कर के वहां एक काफी हाउस चलाने के लिये एक गैर-सरकारी व्यक्ति को दे दिया है । मेरा तात्पर्य उसी मकान से है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्योंकि वह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक पदाधिकारी का था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री को यह पता है कि राज्य व्यापार निगम यही मकान चाहता था जिस का अनधिग्रहण कर के वह एक होटल को दे दिया गया था ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह सच नहीं है, श्रीमान् ।

†**श्री कानूनगो** : हमें इस का पता नहीं है । किसी भी दशा में राज्य व्यापार निगम उस आवास का अधिग्रहण करने का हकदार नहीं है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : क्या यह व्यापार केन्द्र किसी ऐसे दूसरे स्थान में नहीं ले जाया जा सकता जहां मकान सस्ते हैं, हम यह कर सकते हैं अथवा नहीं ?

†**श्री कानूनगो** : हम ने इस पर विचार किया है और उचित यह समझा है कि मुख्यालय दिल्ली में ही होना चाहिये ।

याकोहामा सम्मेलन में भारत का भाग लेना

†८४८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने याकोहामा पत्तन के शताब्दी समारोह के अवसर पर १५ अक्तूबर से १७ अक्तूबर, १९५८ तक हुए सम्मेलन में एशिया के अन्य १८ देशों के साथ भाग लिया था ; और

(ख) क्या भारत के व्यापार को बढ़ाने के सम्बन्ध में सम्मेलन में कोई चर्चा हुई थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के व्यापार को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई खास चर्चा नहीं हुई थी, परन्तु सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की वाणिज्य और उद्योग सम्बन्धी सामान्य समस्याओं पर साधारण रूप से विचार किया गया था ।

†**एक माननीय सदस्य** : उत्तर अंग्रेजी में भी दिया जाये ।

[इसके पश्चात उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान की तरफ़ से इस सम्मेलन में किन किन सज्जन लोगों ने भाग लिया है और उन को पोर्ट का क्या एक्सपीरिएंस था क्योंकि यह पोर्ट की कान्फ्रेंस थी ?

†**श्री कानूनगो** : यह पोर्ट की कान्फ्रेंस नहीं थी बल्कि यह तो याकोहामा पोर्ट की शताब्दी समारोह की कान्फ्रेंस थी । याकोहामा पोर्ट के सिटेनिएरी सिलेबरेशंस के सम्बन्ध में कान्फ्रेंस हुई थी । यह बहुत कुछ शताब्दी समारोह के ढंग की थी । प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जापान स्थित भारतीय राजदूतावास के सचिव द्वारा किया गया था और उस में याकोहामा के भारतीय वाणिज्यिक संस्था के सदस्य और भारतीय व्यापार संघ के सदस्य भी शामिल हुए थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने वाला जहाज

+

†*८४९. { **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय उत्पादों का, जिस में मशीनरी, वस्त्र और दस्तकारी की चीज़ें भी शामिल हैं, एक यात्री जहाज पर प्रदर्शन करने का आयोजन कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस को कब संगठित किया जायेगा ;

(ग) इस जहाज़ के भारत से कब तक चल देने की संभावना है ; और

(घ) यह जहाज़ किन-किन देशों के पत्तनों से हो कर गुजरेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार ऐसी चीज़ों के प्रदर्शन करने का कोई आयोजन नहीं कर रही है ।

(ख) से (घ). बम्बई के नौका प्रदर्शनी प्राधिकारियों से मंत्रालय को जो सूचना मिली है उस से पता लगा है कि उन्हों ने २८ दिसम्बर १९५८ से तीन मास के लिये समय के हिसाब से एक जहाज़ किराये पर लिया है जिस के कोलम्बो, ज़ंजीबार, मोम्बासा, अदन, बहरीन, कुवायत आदि बन्दरगाहों से हो कर निकालने का विचार है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या व्यापार में गवेषणा करने के बारे में कोई प्रयत्न किया जा रहा है जिस से जहाज़ में जिन चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है उन के व्यापार को भारत में वास्तव में प्रोत्साहन दिया जा सके ?

†**श्री कानूनगो** : हमें और आगे जानकारी प्राप्त नहीं है क्योंकि इस का सारा आयोजन बम्बई के एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जा रहा है ।

†**श्री कर्णी सिंहजी** : अपने निर्यात बाजार में वृद्धि करने की दृष्टि से क्या सरकार कोई नौका प्रदर्शनी का आयोजन करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : सरकार का कोई विचार नौका प्रदर्शनी का आयोजन करने का नहीं है ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : इस प्रदर्शनी में सरकार किस रूप में भाग लेगी ?

†**श्री कानूनगो** : सरकार से इस में भाग लेने के लिये नहीं कहा गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्थायी श्रम समितियां

†*८५०. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री वाजपेयी :
श्री राम कृष्ण :
श्री तंगामणि :
श्री कुन्हन :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में अक्तूबर, १९५८ में हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय किये गये; और

(ख) निर्णयों को लागू करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). बैठक में जिन-जिन विषयों पर चर्चा की गई और जो निर्णय किये गये तथा उन पर की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट, ३, अनुबन्ध संख्या १०९**]

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या बम्बई में हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में यह शिकायत की गई थी कि विकास परिषदों के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव करने में भेद-भाव पूर्ण नीति अपनाई गई थी और अब तक नियुक्त की गई चौदह विकास परिषदों में से केवल दो परिषदों में अखिल भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व किया गया था और यदि ऐसा है तो स्थायी श्रम समिति की बैठक होने से ले कर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना यह चाहते हैं कि क्या कोई भेद-भाव रखा गया है । अब तक चौदह परिषदों की नियुक्ति की गई है जिन में से केवल दो में अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि रखे गये हैं । उन्होंने अभ्यावेदन किया है । उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : इस प्रश्न का उल्लेख बैठक में किया गया था तथा इस बारे में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उस की भी व्याख्या कर दी गई है । अभ्यावेदन सदस्यता के आधार पर होता है और मैं समझता हूं कि जिन सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया था वे पूर्णरूपेण सन्तुष्ट हो गये थे ।

†**श्री तंगामणि** : उन राज्य सरकारों की संख्या कितनी है जिन में मूल्यांकन और कार्यान्विति के लिये अभी तक समिति की नियुक्ति नहीं की गई है .....

†**श्री आबिद अली** : इस के लिये अलग प्रश्न होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अलग प्रश्न चाहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : इस विवरण में जिन विषयों पर चर्चा की गई थी उन में से एक विषय का उल्लेख किया गया है। केन्द्र में मूल्यांकन और कार्यान्विति समिति की नियुक्ति की गई है तथा कुछ राज्यों ने भी ऐसा ही किया है। समिति को यह बताया गया था कि हम और राज्यों से भी इस प्रकार की समिति की नियुक्ति करने के लिये कहें। मैं जानना चाहूंगा कि किन-किन राज्यों में ऐसी समिति की स्थापना अभी नहीं की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : अधिकांश राज्य सरकारों ने इस समिति की नियुक्ति कर दी है।

†**श्री तंगामणि** : किन-किन राज्यों ने अभी इन की नियुक्ति नहीं की है ?

†**श्री आबिद अली** : संभवतः बम्बई और एक दो अन्य राज्यों ने अभी नियुक्त नहीं की होगी... (**एक माननीय सदस्य** : संभवतः ?) जी हां, संभवतः ?

†**श्री अ० क० गोपालन** : उन उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है जिन के लिये भारतीय श्रम सम्मेलन में मजूरी बोर्ड नियुक्त करने पर सहमति दी गई थी ?

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य को मालूम है कि हम ने वस्त्र, सीमेंट और चीनी जैसे उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त कर दिये हैं। फिलहाल और अधिक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है।

†**श्री वाजपेयी** : समिति ने अनुशासन की दृष्टि से केरल के चाय बागान की हड़ताल के बारे में जांच करने का निश्चय किया था और इस बारे में केरल की सरकार को बता दिया गया था। क्या वहां से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो वह उत्तर किस प्रकार का है ?

†**श्री आबिद अली** : हम ने इस बारे में केरल की सरकार को लिखा है किन्तु उस ने अभी तक उत्तर नहीं भेजा है।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि और अधिक मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का कोई विचार नहीं है। क्या यह सच नहीं कि सारे देश में मार्च के अन्त में अखिल भारतीय मजदूर संघ के अलावा अन्य सभी मजदूर संघों द्वारा रैलियां की गई थीं जिन में सरकार से इस बात पर जोर दिया गया था कि उन अनेक उद्योगों में मजूरी बोर्ड स्थापित किये जायें जिन की गणना उस समय की गई थी जिस में चमड़ा उद्योग भी शामिल था ?

†**श्री आबिद अली** : माननीय सदस्य ने जहां तक बताया है वहां तक ऐसा नहीं था। कुछ उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की मांग की गई थी। किन्तु जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारा विचार फिलहाल और अधिक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का नहीं है। पहले हम इन बोर्डों की कार्यपद्धति का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं जो पहले से ही बने हुए हैं और तत्पश्चात् उन का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उस बात पर विचार किया जायेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : चर्चा का एक विषय प्रबन्ध में मजदूरों का भाग लेना भी था। किन कारणों से यह योजना असफल रही ? विवरण में बताया गया है कि जो पचास एकड़ पहले ही चुन लिये गये हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

और जिन्होंने अभी तक समिति की नियुक्ति नहीं की है, उन्हें इस सूची से निकाल दिया जाये। क्या इन प्रतिष्ठानों में इसी प्रकार के संघों का होना इस का एक कारण है, और यदि ऐसा है, तो एक उद्योग के लिये एक ही संघ बनाये रखने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री आबिद अली : माननीय सदस्य मुझ से अधिक जानते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में एक उद्योग के लिये एक संघ रखना संभव नहीं और यदि यह योजना सफल बनानी है तो मजदूरों के जो प्रतिनिधि इस समिति में होंगे उन्हें उन व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त होना चाहिये जिन का वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

†श्री रंगा : क्या सरकार की नीति यह नहीं कि जिस उद्योग में वह सुविधाजनक और व्यावहारिक समझे स्वयं अपनी ओर से मजूरी बोर्ड नियुक्त कर दे ? अन्य उद्योगों के संबंध में निश्चय करने के लिये सरकार अभी कितना समय और लेगी ?

†श्री आबिद अली : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं तीन मजूरी बोर्डों की नियुक्ति की जा चुकी है जो फिलहाल काम भी कर रहे हैं। हम पहले उन के परिणाम देखना चाहते हैं उस के बाद और आगे की कार्यवाही की जायेगी।

†श्री राम कृष्ण : मैं देखता हूं कि कुछ एककों ने अभी तक संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना नहीं की है ? क्या मैं उन एककों के नाम जान सकता हूं ?

†श्री आबिद अली : उन की काफी संख्या है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के आगे (ख) का उत्तर क्या है——निर्णयों को लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? क्या माननीय मंत्री ने सभा-पटल पर विवरण रख दिया है ?

†कुछ माननीय सदस्य : यह विवरण में दिया हुआ है।

†अध्यक्ष महोदय : किसी सिफारिश विशेष के बारे में माननीय सदस्यों को अलग प्रश्न पूछना चाहिये।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न को तारांकित प्रश्न के रूप में गृहीत कर मैंने बड़ी गलती की है। मुझे इसे अतारांकित गृहीत करना चाहिये था। किसी सम्मेलन विशेष की क्या सिफारिशें हैं ? सिफारिशें बीस तक हो सकती हैं। ऐसी दशा में क्या प्रत्येक सिफारिश के बारे में प्रश्न पूछने के लिये कि वे कार्यान्वित क्यों नहीं की गईं मुझे पूरा एक घंटा देना चाहिये ? अत्याधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी किसी सम्मेलन विशेष में की गई प्रत्येक सिफारिश के बारे में कोई भी मंत्री विस्तृत जानकारी नहीं रख सकता। मैंने माननीय सदस्यों के लिये यह प्रश्न इसलिये स्वीकृत किया है कि यदि वे किसी सिफारिश विशेष को अत्याधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो उस के बारे में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं इतना ही कर सकता हूं।

†श्री तंगमणि : मैंने चर्चा किये गये एक मद विशेष का उल्लेख किया था जो काम के घंटे, ओवर टाइम मजूरी आदि के बारे में था। जो परिवहन संबंधी मजूरों से संबंध रखता है। कार्यावाली का यह भी एक मद है। इस कारण मैं इस के बारे में जानना चाहूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मैं उन्हें यह जानने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि उन्होंने किसी सिफारिश विशेष के बारे में प्रश्न पूछा है और असावधानी अथवा अन्य किसी कारण, से वह स्वीकृत हो गया है तो मैं उसे अब पूछे जाने की अनुमति दे रहा हूं। उन्हें अलग प्रश्न पूछना चाहिये। अगला प्रश्न।

काफी बोर्ड के कर्मचारियों की छंटनी

†*८५१. { **श्री कोडियान :** **श्री वें० प० नायर :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और १९५८ में अब तक कॉफ़ी बोर्ड के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है; और

(ख) छंटनी किये गये कर्मचारियों को कोई अन्य रोजगार दिलाने अथवा किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था करने के बारे में सरकार अथवा बोर्ड ने उनकी क्या सहायता की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) १९५७ और १९५८ में छंटनी किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	छंटनी किये गये कर्मचारी
१९५७ . .	१७२
१९५८	६०३

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११०]**

†**श्री कोडियान :** विवरण के अन्तिम पैरा के बारे में क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच नहीं कि मजदूरों की सहकारी समिति के लिये क्वीन्सवे, दिल्ली का कॉफी हाउस प्राप्त नहीं किया जा सका.........

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं सुनने में असमर्थ हूं।

†**श्री कोडियान:** विवरण के अन्तिम पैरा में कहा गया है कि कॉफ़ी बोर्ड ने भी उसी इमारत के लिये कोशिश की थी। मैं जानना यह चाहता हूं कि क्वीन्सवे के दिल्ली कॉफी हाउस को जिसके लिये मजदूरों की सरकारी समिति ने लेने के लिये आवेदन दिया था, इसलिये नहीं मिल सकी कि वे इमारतें सरकार के उच्च अधिकारियों की हैं जिनमें से एक केन्द्र लोक निर्माण विभाग में ही काम करता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** ये इमारतें उनकी हैं तो वह क्या चाहते हैं ?

†**श्री वें० प० नायर :** जब कॉफी हाउस बन्द किया गया था तो इमारत का अधिग्रहण छोड़ दिया गया था और जिसे सहकारी समिति को देने के बजाय उसे एक गैर-सरकारी व्यक्ति को कॉफी हाउस चलाने के लिये दे दिया गया।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं इस मामले विशेष के बारे में नहीं जानता कि यह इमारत किसी सरकारी कर्मचारी की है। हुआ यह कि जब हमने सारे देश में फैले सहकारी कॉफी हाउसों को बन्द करने का

†मूल अंग्रेजी में

निश्चय कर लिया, तो उस इमारत पर मालिकों को कब्जा दे दिया गया। किन्तु बहुत से मामलों में इन सहकारी समितियों ने मालिक से फिर पट्टे पर इमारत ले ली। जहां तक नई दिल्ली का सम्बन्ध है मालिक स्वयं कॉफी हाउस चलाना चाहता था। ऐसा तीन-चार स्थानों में हुआ है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्यों ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्यों नहीं ? यदि मालिक स्वयं कॉफी हाउस चलाना चाहता है तो क्या किया जा सकता है ?

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जिस इमारत में कॉफी हाउस चल रहा था उसका अधिग्रहण निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने किया था, और यदि ऐसा है, तो मजदूर की सहकारी समिति को देने के बजाये उसका अधिग्रहण समाप्त कर उसे उस पक्ष को क्यों दे दिया गया जैसा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने कहा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुझे इसका उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये। ये चीज़ें कॉफी बोर्ड द्वारा की गई हैं। मुझे पता नहीं कि इस इमारत का अधिग्रहण छोड़ दिया गया था, इस समय मुझे इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या यह सच है कि कॉफी प्रतिष्ठानों में काम करने के लिये रोक रखे गये ३४ मैनेजरों और १७४ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनों में १० रुपये और २५ रुपये की कटौती कर दी गई है, यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों किया गया ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जहां तक तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने पहले जानकारी मांगी थी और मैंने उसकी जांच कर ली है। उन्हें उतना ही मूल वेतन दिया जाता है जितना उन्हें पहले दिया जाता था। उन्हें कॉफी हाउसों में काम करते हुए कुछ एक भत्ते दिये जाते थे, अब वे काट लिये गये हैं और उन्हें केवलमात्र मूल वेतन दिया जाता है। जहां तक चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके बारे में १९५७ में कॉफी बोर्ड और श्रमिक संघ में एक करार हुआ था। श्रमिकों को उसके अनुसार वेतन दिया जा रहा है।

†**श्री वें० प० नायर** : आप यहां से इस बात की जांच कर सकते हैं कि क्या उनके वेतनों में कुछ कमी की गयी थी या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसकी जांच करना मेरा काम नहीं है। माननीय मंत्री ने बताया है कि जहां तक तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके मूल वेतनों में कोई कमी नहीं की गयी है।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या उनके वेतनों की कुल राशि में कोई कमी हुई थी, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री ने उसका उत्तर दे दिया है। उन्होंने बताया है कि उनकी कुल राशि में भी फरक पड़ा है, परन्तु उनके मूल वेतनों में कोई कमी नहीं की गयी है।

श्री अ० मु० ताहिर : क्या यह सच नहीं है कि कॉफी बोर्ड के बहुत से मैनेजरों की जिनकी मुलाज़मत १५ साल से भी ज्यादा है और जो १००—२५० के ग्रेड में थे तनख्वाहें अब ६०—१३० मुकर्रर की गई हैं और अब ये जो नई तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं इनको मुकर्रर करते वक्त क्या वेजिज़ एक्ट की प्राविज़न्स को मद्देनज़र रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सतीश चन्द्र : जितने मैनेजर थे उनमें से किसी को भी रिट्रेंच नहीं किया गया है और उनको उसी तरह से लगा लिया गया है और उनकी तनख्वाहें भी वही हैं जो पहले उनकी थीं।

†**श्री वासुदेवन नायर :** विवाद में यह बताया गया है कि सरकार ने कुछ एक विभागों, अर्थात्, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय और रेलवे मन्त्रालय को हिदायतें भेजी हैं कि अपने मंत्रालयों में भर्ती करते समय वे कौफ़ी हाउसों के छंटनी में आये हुए कर्मचारियों को प्राथमिकता दें। क्या उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी और क्या उन्हें अभी तक की गई भर्ती में कोई प्राथमिकता दी गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** सरकारी दफ्तरों में कम से कम २२ कर्मचारियों को पुनः भर्ती करने का प्रस्ताव किया गया था।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या कम वेतनों पर ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** उन में से १८ कर्मचारियों ने उन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था और ४ ने नहीं किया। लगभग ३०० कर्मचारियों ने अपनी सहकारी समितियां बना ली हैं और विभिन्न स्थानों पर कॉफी हाउस चला रहे हैं।

†**श्री वें० प० नायर :** मैंने इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की पूर्वसूचना दी थी। उस पूर्वसूचना को इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि मेरा नाम भी प्रस्तुत प्रश्न में सम्मिलित कर दिया गया है। परन्तु मुझे इस प्रश्न में भी वह जानकारी प्राप्त करने का समय नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उन्हें कई अवसर दिये हैं।

†**श्री कोडियान :** मुझें केवल मात्र एक ही अवसर दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे एक और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

†**श्री कोडियान :** विवरण में यह बताया गया है कि "सम्पत्ति विभिन्न समितियों को उस सम्पत्ति की पुस्तक कीमत की २५ प्रतिशत की प्रारम्भिक अदायगी पर दे दी गयी है, और शेष राशि २५ मासिक किश्तों में वसूल की जायगी।" परन्तु मेरा अनुमान है कि दिल्ली में यह सम्पत्ति एक समिति को किराये पर दी गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस भेदभाव का क्या कारण है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** दिल्ली के एक कॉफी हाउस का फर्नीचर दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र की एक सहकारी समिति को किराये पर दे दिया गया है। दिल्ली में तीन कॉफी हाउस थे। एक संसद् भवन में है जो कि अभी तक कॉफी बोर्ड द्वारा चलाया जा रहा है। जहां तक न्यू दिल्ली कॉफी हाउस का सम्बन्ध है, यह सहकारी समिति के हवाले नहीं किया जा सका, वह इमारत मालिक मकान को स्वयं इस्तेमाल करनी थी। परन्तु हर स्थान पर जहां भी सहकारी समितियों को फर्नीचर आदि की आवश्यकता थी, वहां उन्हें हर प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं।

वायदा बाजार सम्बन्धी आयोग

†*८५४. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री राम कृष्ण :
कुमारी मो० बेद कुमारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितने अवैध वायदा बाजार के मामले पकड़े गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या वायदा बाजार सम्बन्धी आयोग ने सरकार को यह बताया है कि उसे अवैध व्यापार की रोक थाम करने में कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो आयोग को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) दस।

(ख) जी, हां।

(ग) अपराधों का प्रविधिक स्वरूप; साक्ष्य को इकट्ठा करना; व्यापारियों द्वारा सरकारी विनियमनों को अच्छी प्रकार से न समझना; समझने पर भी उनकी अवहेलना करना और उन लोगों के बारे में जानकारी न देना जो कि कदाचार के दोषी होते हैं।

(घ) वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का व्यापक प्रचार; विनियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिये वायदा बाजार आयोग अपने कर्मचारियों तथा स्वीकृत संथाओं के द्वारा प्रयत्न कर रहा है। वह अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त दण्डिक कार्यवाहियां भी कर रहा है।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच है कि राज्य पुलिस विभाग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे सकता, क्योंकि वह पहले से ही पर्याप्त व्यस्त है; और यदि यह सच है तो क्या सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। राज्य पुलिस इस सम्बन्ध में पूरा पूरा सहयोग दे रही है, परन्तु क्योंकि इस प्रकार के मामलों की जांच करना और अभियोग चलाना एक विशेष प्रकार का कार्य है, इसलिये इस पर कुछ समय लग जाना स्वाभाविक है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या सरकार को ज्ञात है कि इस प्रकार के बहुत से सौदे तो पार्टियों की मौखिक बातचीत पर चलते हैं और पुलिस मौखिक बातचीत के आधार पर कोई कार्यवाही करने से इनकार कर देती है ?

†**श्री कानूनगो** : यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि न्यायालय किस प्रकार की गवाही को स्वीकार करता है। स्वभावतः पुलिस ऐसा कोई भी मामला नहीं लेगी जिस पर बाद में मुकदमा न चलाया जा सके।

†**कुमारी मो० वेदीकुमार** : आयोग केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि वह कुछ एक और वस्तुओं को भी जैसे सोना, चांदी, गेहूं, चने तथा अन्य वस्तुओं को सम्मिलित कर ले। क्या सरकार इस सिफारिश पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : आयोग तो समय समय पर इस प्रकार की सिफारिशें करता रहता है कि अमुक अमुक वस्तु को अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया जाय। सरकार उन्हें कभी स्वीकार कर लेती है और कभी नहीं। सोने के सम्बन्ध में सरकार ने उसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

†**श्री राम कृष्ण** : कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं और उनसे किस किस प्रकार की वस्तुएं पायी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : दस मामले पकड़ गये हैं। परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि कुल कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं, और न ही मैं उस समय पकड़ी गयी वस्तुओं के नाम बता सकता हूं, परन्तु सामान्यतया कागज और किताबें पकड़ी गयी हैं।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से मुकदमे असफल सिद्ध हो रहे हैं, क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि इस कानून में कौन सी त्रुटि है; और क्या सरकार इस कानून का संशोधन करने का विचार रखती है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तक तो कोई भी मुकदमा असफल सिद्ध नहीं हुआ है। कुल एक मुकदमे तो चल रहे हैं। कुल दस ही तो मुकदमे चलाये गये हैं। इसलिये सरकार नहीं समझती कि इस अधिनियम पर पुनः विचार करने का समय आ गया है।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वायदा बाजार व्यापार का रूप ही इस प्रकार का है कि वायदा बाजारों में हिस्सेदारों द्वारा किये जाने वाले व्यापार को अवैध व्यापार प्रमाणित करना बड़ा कठिन है, क्या सरकार वायदा बाजार के व्यापार को ही अवैध घोषित कर देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो नीति का प्रश्न है। अतः इस प्रश्न काल में इतने बड़े प्रश्न पर चर्चा करना कठिन है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य व्यापार निगम

†*८४४. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेंगनीज अयस्क व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम और विभिन्न खान तथा खनिज सन्थाओं के द्वारा सम्मिलित रूप से कार्य करने की योजना को अन्तिम रूप से तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य व्यापार निगम और विभिन्न खान तथा खनिज सन्थाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति स्थापित की गयी है। समिति समय समय पर मेंगनीज सम्बन्धी बाजार की स्थिति पर विचार करती है और इस बारे में निर्णय करती है कि कोटा-होल्डरों और खान मालिकों द्वारा संयुक्त रूप से भाग लेने के लिये किस प्रकार की विक्रय नीति अपनायी जाये।

प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र

†*८४५. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या जापानी सहायता से भारत में प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्थापित केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). पश्चिमी बंगाल में हावड़ा में लघु उद्योगों के लिये नमूने के तौर पर एक उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की एक योजना तैयार की गयी है, परन्तु क्योंकि अभी तक जापानी सहायता के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सका है, इसलिये इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है।

भारत में घड़ियों का निर्माण

†*८५२. **श्री वोडयार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में घड़ियों का निर्माण करने वाली नयी फैक्टरियां चलाने के लिये किसी विदेशी सार्थ ने कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घड़ियों की फैक्टरियां स्थापित करने का फैसला कर लिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

बहावलपुर तथा सिन्ध से विस्थापित व्यक्ति

†*८५३. **श्री साधू राम** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहावलपुर और सिन्ध से आये हुए कुल कितने विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी और अस्थायी रूप में पंजाब में भूमि आवंटित की गयी है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से सभी रिकार्ड प्राप्त हो गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो वहां से रिकार्ड प्राप्त करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) जब तक पाकिस्तान से रिकार्ड नहीं आते तब तक अस्थायी एलाटी लोगों को वहां से न हटाने के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) 'हकूक मालकियत नक्शा' तैयार करने और बहावलपुर राज्य के सरकारी रिकार्डों से तुलना करने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) २०,९०२

(ख) कुल २,९४९ जमाबन्दियों में से अभी तक १,८१४ जमाबन्दियां प्राप्त हुई हैं।

(ग) पाकिस्तान सरकार से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि शीघ्र ही शेष रिकार्ड भी भेज देवे।

(घ) जब तक पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली जमाबन्दियों और अन्य रिकार्डों से, पड़ताल नहीं कर ली जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को वहां से नहीं निकाला जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) नक्शा हकूक मालकीयत तैयार करना एक बार प्रारम्भ तो किया गया था, परन्तु क्योंकि पाकिस्तान सरकार से अभी तक कोई रिकार्ड नहीं आया है, इसलिये उस काम को रोक दिया गया है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी

†*८५५. **श्री तंगामणि**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फैक्टरी अधिनियम के अधीन पंजीबद्ध वर्कशापों में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों से वंचित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें भी उसी प्रकार की सुविधायें देने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) दिल्ली में स्थापित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की चार वर्कशापों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के उपबन्धों से अलग रखा गया है।

(ख) और (ग). यह अनुभव किया जाता है कि दिल्ली की इन वर्कशापों के कर्मचारियों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, वे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम १९४८ के अधीन उपलब्ध होने वाली सुविधाओं के लग भग बराबर ही है।

पश्चिमी बंगाल में उद्योग

†*८५६. **श्री अरविन्द घोषाल**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल में चटाई उद्योग, हाथी दांत उद्योग, सीपी-शंख उद्योग, वस्त्र प्रींटिंग उद्योग, मिट्टी के बतन, बेंत तथा बांस उद्योग के विकास के लिये १९५६-५७ और १९५७-५८ के लिये जो अनुदान और ऋण मंजूर किये थे उनमें से कुछ राशि व्यपगत हो गयी है ; और

(ख) यदि हा, तो कितनी राशि व्यपगत हो गयी है और उसके क्या कारण है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १११]**

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†*८५७. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री नौशीर भरूचा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें गे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत के राज्य व्यापार निगम के क्षेत्र और कार्यों को अधिक व्यापक बनाना चाहती है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी म

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ;

(ग) इस सम्बन्ध में व्यापारी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या व्यापारियों ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में क्या कहा गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के सन्था के मैमोरंडम आफ़ एसोसियेशन (संस्था के सीमा-नियम) खंड ३, जिसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११२**] अभी यह कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास दायर कराया जाना है ।

(ग) और (घ). समवाय अधिनियम की धारा १७(३) के अधीन प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में निगम के अंशधारियों को एक नोटिस भेजा गया था । इसे सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया गया था और उसके सम्बन्ध में जनता से ३० अगस्त, १९५८ तक शिकायतें भेजने के लिये भी कहा गया था, परन्तु उस तिथि तक कोई भी शिकायत नहीं आयी है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कास्टिक सोडा

†*८५८. **श्री ओझा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साबुन के बड़े पैमाने के निर्माताओं और बिना मशीन के छोटे पैमाने के निर्माताओं में ठीक प्रकार से कास्टिक सोडा का वितरण करने के लिये क्या क्या व्यवस्था की गयी है ;

(ख) क्या वर्तमान वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग), लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) कास्टिक सोडा के स्वदेशी निर्माता दीर्घकालीन आधारों पर कास्टिक सोडा का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों को अपना कास्टिक सोडा वितरित करते हैं । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया गया कास्टिक सोडा निगम के एजेन्टों द्वारा उन उद्योगों को वितरित किया जाता है जिन्हें उसकी वास्तव में आवश्यकता होती है । राज्य व्यापार निगम मशीन न इस्तेमाल करने वाले छोटे कारखानों को भी तदर्थ आवन्टन करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं । पर हां, स्टाक की कमी के कारण उसकी उपलब्धि में आने वाली कठिनाइयों के बारे में कुछ एक शिकायतें अवश्य आयी हैं ।

(ग) सरकार ने नई योजनाओं के लिये लाइसेन्स दे दिये हैं और आशा है कि निकट भविष्य में ही अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया जाने लगेगा । इस दौरान में यह विचार किया

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है कि बाहर से अधिक मात्रा में कास्टिक सोडा आयात किया जाये और यहां पर बफ़र स्टाक इकट्ठा किया जाय ।

कपड़ा मिलों की मशीनरी तैयार करने वाले सार्थ

†*८५९. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों की मशीनरी तैयार करने वाले बहुत से सार्थ बन्द हो रहे हैं क्योंकि उन्हें देश से कोई आर्डर नहीं मिल रहे हैं ;

(ख) क्या मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड भी अपने कार्य को बन्द करने का विचार रखता है ;

(ग) ऐसे कौन कौन से सार्थ हैं जिन्हें आगामी चार वर्षों तक के लिये आर्डर मिल चुके हैं ;

(घ) क्या सरकार इन कारखानों में, जिन्हें बन्द हो जाने का डर है किसी अन्य वस्तु का निर्माण करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ङ). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११३]**

लौह अयस्क

†*८६०. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर और करतार में पत्तनों में नौवहन सम्बन्धी सुविधाओं के न होने के कारण वहां पर अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क एकत्रित हो गया है ;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने इन पत्तनों के विकास के लिये कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) करतार और मंगलौर केवल मौसमी पत्तन हैं और वे नौपरिवहन के लिये केवल अक्तूबर से मई तक ही खुले रहते हैं । अक्तूबर, १९५८ को जब पत्तन से नौपरिवहन प्रारम्भ हुआ तो उससे पहले वहां पर करतार और मंगलौर पत्तनों पर क्रमश : ४२,००० और ४४,००० टन का सामान जमा हो गया था । परन्तु अब तो कार्यक्रम के अनुसार सारा काम हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघे का कपड़ा

†*८६१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे के कपड़ों का प्रचार करने के लिये विदेशों में एक व्यापारिक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये प्रबन्ध कर लिये गये हैं ; और

(ग) वह प्रतिनिधि किस किस देश में जायेगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने पश्चिमी अफ्रीका में हथकरघे के कपड़ों की बिक्री की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की प्रस्थापना प्रस्तुत की थी। उस पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

विश्व कलेन्डर

†*८६२. **श्री कोराटकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व कैलेन्डर में सुधार करने के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सुझाव दिया था, इस समय उसकी क्या स्थिति है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा समाजिक परिषद ने अप्रैल, १९५६ में न्यूयार्क के अपने २२वें सत्र में यह निर्णय किया था कि इस प्रश्न पर विचार करना अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाये ।

कच्ची फिल्मों का आयात

†*८६३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात के महा नियंत्रक ने फिल्म निर्माताओं को यह मंत्रणा दी है कि वे कच्चे माल की उपलब्धी के सम्बन्ध में विनिश्चय कर लें; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिये जो योजना बनायी गयी है, उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां, संयुक्त महा नियंत्रक, बम्बई द्वारा ।

(ख) जब तक विदेशी मुद्रा की कमी है, तब तक तो कच्चे सामान की कमी रहेगी । पर फिर भी यदि अभी हाल ही में घोषित की गयी निर्यात संवर्धन योजना से लाभ उठाया जाये तो यह कमी कुछ सीमा तक समाप्त हो सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ठेका प्रणाली की समाप्ति

†*८६४. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खानों में ठेका प्रणाली को समाप्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) प्रश्न पर अभी भी विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय कपास प्रतिनिधि-मंडल

†*८६५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय कपास प्रतिनिधि-मंडल शीघ्र ही सूडान जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो उन के जाने का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या प्रतिनिधि-मंडल के कर्मचारियों और अन्य प्रबन्ध के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सूडान की सरकार ने कु उद्योग प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों को आमंत्रण किया है कि वे सूडान आ कर उस देश में कापास उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को स्वयं देखें ।

(ग) सरकार को इस के अलावा और कुछ भी जानकारी नहीं है कि सर्वश्री मदन मोहन रुइया, कस्तूरभाई लालभाई और नेविली वाडिया को सूडान सरकार से आमंत्रण प्राप्त हुए हैं ।

चाय बोर्ड

†*८६६. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड के उप-सभापति का वेतन और उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ख) जब कि पूर्णकालिक सभापति और एक निर्वाचित वाइस चेयरमैन इस में होता है तो फिर इस पद की क्या आवश्यकता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) चाय बोर्ड के उप-सभापति का वेतन और कुल उपलब्धियां १८०० रुपये प्रति मास हैं। उस का वेतन क्रम १८००—१००—२००० पये है जिस के साथ कलकत्ता के स्तर के अनुरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जितना मकान किराया और प्रतिकर भत्ता मिलता है, उतना ही उसे भी मिलता है।

(ख) ३० जून, १९५६ को चाय बोर्ड की हुई बैठक में किये गये निर्णयानुसार सरकार ने उप-सभापति का पद बनाया था। यह बैठक सभापति को एकीकरण और विकास की दीर्घ-कालिक समस्याओं की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के हेतु बढ़ती हुई प्रशासकीय जिम्मेदारियों के बारे में सहायता करना था, जिस की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

वाइस चेयरमैन बोर्ड का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता और सभापति के लिये यह संभव नहीं कि वह आये दिन के प्रशासकीय उत्तरदायित्वों में उस का हाथ बंटा सके।

नेपा अखबारी कागज का कारखाना

†*८६७. { **श्री पु० र० पटेल :**
श्री क० उ० परमार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा अखबारी कागज का वार्षिक उत्पादन कितना है और उस की निर्धारित क्षमता कितनी है ;

(ख) इस सार्थ में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कितना विनियोग किया है ;

(ग) क्या नेपा अखबारी कागज का वितरण एजेंटों के द्वारा किया जाता है ; और

(घ) क्या एजेंटों के विरुद्ध और वितरण के काम के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) १९५५, १९५६ और १९५७ में नेपा मिलों द्वारा अखबारी कागज का उत्पादन क्रमशः २,५६३ ; १०,७९२ और १४,६४५ टन हुआ था। मिलों की निर्धारित क्षमता ३०,००० टन प्रति वर्ष अथवा १०० टन प्रति दिन है। चालू वर्ष में उत्पादन लगभग २३,५०० टन प्रति वर्ष होगा।

(ख) भारत सरकार ने इस सार्थ में अभी तक कुछ भी पूंजी का विनियोग नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ६० लाख रुपये की राशि का विनियोग किया है।

(ग) नेपा अखबारी कागज का वितरण नेपा की मिलें स्वयं एजेंट नियुक्त कर के उन के द्वारा तथा प्रत्यक्ष रूप से पाठ्य पुस्तकें एवं सामान्य हित की पुस्तकों के मुद्रकों और प्रकाशकों को करती हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) एजेंटों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं किन्तु उन का निबटारा भी नेपा मिलों के प्राधिकारियों द्वारा ही किया जा रहा है ।

बाट तथा दशमिक प्रणाली

†*८६८. **श्री आसर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अक्तूबर १९५८ से दशमिक प्रणाली के बाट और माप लागू कर दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जन-साधारण को दशमिक बाटों के नाम याद रखने और उन का उच्चारण करने में कठिनाई महसूस होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन के नाम सरल हिन्दी में बदलने के बारे में विचार करेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) प्रथम कार्रवाही के रूप में दशमिक बाटों का प्रयोग देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में, सामान्य व्यापार कार्यों में और दशमिक प्रणाली के बाटों और मापों का प्रयोग कुछ विशिष्ट कामों में सरकारी विभागों तथा अन्य उद्योगों में १ अक्तूबर से करने की अनुमति दी गई है ।

(ख) और (ग). सरकार का विचार यह है कि जनता शीघ्र ही नये नामों से परिचित हो जायेगी और वह यह आवश्यक नहीं समझती कि हिन्दी में नये शब्द गढ़े जायें जो और अधिक जटिल हो सकते हैं ।

घड़ी बनाने में भारतीयों को प्रशिक्षण

†*८६९. **श्री राम कृष्ण रेड्डी :**
श्री राम कृष्ण :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री मती इला पालचौधरी :
श्री दलजीत सिंह :
श्री हाल्दर :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विस घड़ी उद्योग का जो प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत आया था उस ने स्विट्जरलैण्ड में भारतीयों को घड़ी बनाने में प्रशिक्षण देने के लिये छात्रवृत्ति देने और घड़ी बनाने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में भारत में एक संस्था स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) प्रस्तावित संस्था कब और कहां स्थापित की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). स्विस घड़ी प्रतिनिधि-मंडल ने स्विट्जरलैण्ड में भारतीय राष्ट्रजनों को प्रशिक्षण देने के लिये कुछ छात्रवृत्तियां देने और भारत में स्विस के

†मूल अंग्रेजी में

सहयोग से घड़ी प्रशिक्षण संस्था की स्थापना करने के लिये टेक्निकल और वित्तीय सहायता देने का भी प्रस्ताव किया है। कोई विस्तृत औपचारिक प्रस्ताव अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है और वास्तव में प्रबन्धों के बारे में अन्तिम निर्णय प्रस्ताव के प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल

*८७०. **श्री जगदीश अवस्थी :** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यवाही में भाग लेने के लिये भारतीय प्रतिनिधि-मंडल में कितने सदस्य भेजे गये हैं ;

(ख) यह प्रतिनिधि-मंडल वहां कितनी देर ठहरेगा और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इस बार प्रतिनिधि-मंडल के नेता के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) भारत से चौदह सदस्य भेजे गये थे।

(ख) आशा की जाती है कि शिष्टमंडल न्यूयार्क में तीन महीने ठहरेगा। अधिवेशन क्रिसमस से पहले समाप्त हो जायेगा, ऐसी आशा है।

वर्तमान अनुमान के अनुसार खर्च ४,७२,००० रुपये बैठेगा।

(ग) शिष्टमंडल के अध्यक्ष प्रतिरक्षा मंत्री भी हैं। प्रतिरक्षा मंत्रालय के किन्हीं आवश्यक कार्यों के लिये उन्हें वापस आना पड़ा था। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह-मशविरा भी किया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने थे।

पीतल और ताम्बे की कलात्मक वस्तुएं बनाने का उद्योग

†*८७१. **श्री झूलन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पीतल और तांबे की कलात्मक वस्तुएं बनाने के उद्योग द्वारा कितनी विदेशी पूंजी कमाई गई है ; और

(ख) उद्योग को और आगे प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पीतल और तांबे की कलात्मक वस्तुओं से हुई आय अलग-अलग नहीं रखी गई है। १९५६ तक पीतल और तांबे की कलात्मक वस्तुओं के निर्यात को पीतल, कांसा और अन्य इसी प्रकार की धातुओं के वर्गीकरण में रखा जाता था। उस के बाद से वर्गीकरण इस प्रकार हो गया है :—

(१) पीतल का फैंसी सामान;
(२) तांबे का फैंसी सामान;
(३) कांसे का फैंसी सामान;
(४) पीतल और कांसे की कलापूर्ण वस्तुयें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(५) मूर्तियां और ऊपरी चढ़ वाली मूर्तियां आदि ।

१९५६ और उस से आगे के निर्यात के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(१)	१९५६ (अप्रैल से दिसम्बर)	२२,५०,६९० रुपये
(२)	१९५७ (जनवरी से दिसम्बर,)	१,०१,८७,४६४ रुपये
(३)	१९५८ (जनवरी से अगस्त)	६८,६३,५०५ रुपये ।

(ख) सरकार ने विभिन्न दस्तकारियों के उत्पादन और विपणन आदि का विकास करने के लिये भिन्न-भिन्न कार्यवाही की है जिन में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देकर पीतल और तांबे की कलात्मक वस्तुयें बनाना, शिल्पियों को प्रशिक्षण देना, विदेशों में प्रचार करना और उत्पादकों व निर्यातकों के लिये कच्चा माल आयात करने के लिये सुविधा देना भी शामिल है ।

राजस्थान में बेकारी

†*८७२. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ मई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान की सरकार ने बेकारी की समस्या का मूल्यांकन किया है और उससे संबंधित योजनाओं के सहित केन्द्रीय सरकार को भेजा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : राजस्थान सरकार ने राज्य विकास समिति की उप-समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति भेजी है जिस में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिन बातों पर सामान्य रूप से विचार किया गया था उन के बारे में उपाय दिये गये हैं । राजस्थान सरकार के पास से कोई दूसरा प्रतिवेदन अथवा विशेष योजना नहीं प्राप्त हुई है ।

लौह-अयस्क उत्पादन के लक्ष्य

†*८७३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में लौह-अयस्क के उत्पादन में के लक्ष्यों का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) चूंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में लौह-अयस्क के उत्पादन के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं बताये गये थे, अतः उन के पुनरीक्षण का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हड्डियों का निर्यात

†*८७४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध हड्डियों के अधिकतम उपयोग के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ग) १९५७–५८ में हड्डी के उत्पादों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उस का मूल्य कितना था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हड्डियों के एकत्र करने, उन के उपयोग और इस मामले में सिफारिशें करने से संबंधित समस्याओं की सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति ने विस्तृत जांच की थी। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है जिस की जांच की जा रही है।

(ग) १४,५७,२२० हंडरवेट जिस का मूल्य लगभग २.३७ करोड़ रुपये है।

सिंगारेनी कोलियरी वर्कर्स यूनियन

†*८७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कोथागुदियम की सिंगारेनी कोलियरी वर्कर्स यूनियन को इस आवेदन पर कुछ निर्णय करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं कि सिंगारेनी कोलियरीज़ कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारियों के लिये उपदान योजना लागू करने और सवारी भत्ता मंजूर करने का प्रश्न एक औद्योगिक न्यायाधिकरण के सुपुर्द कर दिया जाये; और

(ख) उपर्युक्त प्रश्न पर निर्णय कब तक हो जाने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). यह मसला अब भी भारत सरकार के विचाराधीन है। इस प्रस्ताव से कोलियरी का कार्य-व्यय बढ़ जायेगा और एक कोलियरी के संबंध में इसे स्वीकार कर लेने का असर दूसरी कोलियरियों पर भी पड़ेगा। इसलिये, इस के संबंध में कुछ निर्णय करने से पहले व्यौरेवार ढंग से इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इस के क्या परिणाम होंगे।

श्रम मंत्रणा समितियां

†*८७६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने श्रम मंत्रणा समितियों की स्थापना नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के क्या नाम हैं; और

(ग) इन समितियों की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). आसाम, मध्य प्रदेश, मैसूर और जम्मू तथा कश्मीर की राज्य सरकारों ने श्रम मंत्रणा समितियों की स्थापना नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

१—आसाम — श्रम मंत्रणा समिति की स्थापना इसलिये नहीं की गयी है कि आसाम बागान श्रमिक नियम, १९५४ के अधीन दो मंत्रणा बोर्ड पहले से ही मौजूद हैं। इस के अलावा एक कल्याण बोर्ड और एक स्थायी श्रम समिति भी मौजूद है।

२—मध्य प्रदेश — राज्य सरकार राज्य के लिये त्रिपक्षीय श्रम मंत्रणा बोर्ड की स्थापना का निर्णय कर भी चुकी है और वह बनाया जा रहा है।

३—मैसूर — राज्य सरकार एक श्रम मंत्रणा संगठन की स्थापना के प्रश्न पर विचार कर रही है।

४—जम्मू तथा कश्मीर — राज्य सरकार ने राज्य श्रम मंत्रणा समिति की स्थापना न करने का कोई कारण नहीं बताया है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

†*८७७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री २९ अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने जो कल्याण विस्तार परियोजना और अन्य कार्यक्रम आरम्भ किये थे क्या उन की क्रियान्विति के सम्बन्ध में कार्यक्रम मूल्यांकन समिति ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : अभी नहीं। यह प्रतिवेदन १९५८–५९ के अन्त से पहले ही मिल जाने की आशा है।

एक्स-रे उपकरणों का निर्माण

†*८७८. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक्स-रे उपकरणों के निर्माण के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) एक्स-रे उपकरणों के निर्माण के संबंध में अब तक जो योजनायें अनुमोदित हो चुकी हैं उन के लिये कितनी विदेशी मुद्राओं की जरूरत होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है।

(ख) पूंजी—उपकरण : लगभग २० लाख रुपये।

पुर्जे और उपकरण : पहले वर्ष में लगभग ३५ लाख रुपये। उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ चौथे वर्ष तक इसके बढ़ कर ५४ लाख रुपये हो जाने की संभावना है।

इस के अलावा, विदेशी फर्मों को रायल्टी और अन्य बातों के लिये भुगतान करना पड़ेगा। अभी तक रायल्टी की शर्तों का अनुमोदन न होने के कारण इस मद्दे खर्च होने वाली राशि का हिसाब अभी नहीं लगाया जा सकता।

चाय की पैकिंग करने वाली फर्में

†*८७९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय पैक करने वाली छोटी फर्मों की कठिनाइयां दूर करने के लिये कोई विशेष जांच की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). चाय बोर्ड ने चाय की पैकिंग करने वाली विभिन्न फर्मों को लिखा है कि वे अपनी कठिनाइयां बोर्ड को बतायें। कई पैकिंग करने वाली फर्मों ने अभी उत्तर नहीं भेजे हैं। चाय बोर्ड इस मामले में आगे की कार्यवाही कर रहा है।

कपड़ा मिलों में आधुनिकीकरण

†*८८०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की मार्फत सूती वस्त्र उद्योग को अपनी मशीनों को उचित स्तर तक लाने और उनके आधुनिकीकरण के प्रयोजन से सहायता देने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि आवंटित की गयी है ;

(ख) अब तक मंजूर किये जा चुके कुल ऋणों में से इन मिलों ने कपड़ा-मिलों की मशीनें बनाने वाली भारतीय कम्पनियों को दिये आर्डरों में कितनी राशि व्यय की है ;

(ग) क्या यह सच है कि कई कपड़ा मिलों को सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने की वजह से कपड़ा मिलों की मशीनें बनाने वाली भारतीय फर्मों को दिये गये आर्डर रद्द कर देने पड़े हैं ; और

(घ) आर्डरों में यह मन्दी आ जाने की वजह से कपड़ा मिलों की मशीनें बनाने वाली फर्मों के कितने श्रमिकों को छंटनी का सामना करना पड़ा या पड़ रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में ३०–११–५८ तक मशीनों को उचित स्तर तक लाने और उनके आधुनिकीकरण के लिये सूती कपड़ा मिलों को ३.७१ करोड़ रुपयों के ऋण देने की मंजूरी दी है। इस राशि में से मिलों ने ९०.९१ लाख रुपयों के ऋण के आवेदन-पत्र वापस ले लिये हैं। ३०–११–१९५८ तक वास्तव में ८२ लाख रुपये लिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह पूरी राशि मशीनें खरीदने के लिये है और जो राशियां ले ली गयी हैं उतने की मशीनों की खरीद का काम पूरा हो चुका है। भारतीय मशीन निर्माताओं को दिये गये आर्डरों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

(घ) कपड़ा उद्योग में मन्दी के कारण कुछ वजहों से कपड़ा मिलों की मशीनें बनाने वाले कुछ कारखानों में यदा-कदा मज़दूरों की बैठकी होने की कुछ घटनायें हुई हैं। लेकिन पुनः स्थिति में सुधार के चिन्ह प्रगट हो रहे हैं और अधिकांश फर्मों के पास दो वर्ष से अधिक समय के लिये आर्डर मौजूद हैं।

राष्ट्रीय और त्यौहारों की छुट्टियां

†८८१. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकार ने औद्योगिक संस्थापनों के श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय और त्यौहारों की सवेतन छुट्टियां मंजूर करने के लिये विधान बनाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने इस आशय का विधान पारित कर दिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी नहीं।

(ख) सरकार इस मामले में और आगे कार्यवाही करने से पहले यह देख लेना चाहती है कि राष्ट्रीय और त्यौहारों की सवेतन छुट्टियों का परिमाण निर्धारित करने के लिये जो राज्य सरकारें विधान बना रही हैं उनका क्या अनुभव होता है।

(ग) जी हां।

मूंगफली और खली का निर्यात

†*८८२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मूंगफली की खली के निर्यात के लिये १०,००० टन के कोटे की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मद्राओं की आय होने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग ४० लाख रुपये।

रबड़ के भाव

†*८८३. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने सरकार से कच्ची रबड़ के भाव बढ़ा देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). रबड़ बोर्ड ने यह सिफारिश की है कि प्रशुल्क आयोग को रबड़ के भावों के सम्बन्ध में जांच आरम्भ करनी चाहिये क्योंकि उसकी उत्पादन-लागत बढ़ गयी है। इस सम्बन्ध में बोर्ड से और ब्यौरा और आंकड़े मांगे गये हैं।

धातुएं

†*८८४. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) १ अप्रैल, १९५८ को अल्युमीनियम, तांबे, जस्ते और सीसे का वार्षिक उत्पादन कितना था ;

(ख) इन धातुओं की हमारी खपत सम्बन्धी आवश्यकतायें कितनी हैं ; और

(ग) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरे होने पर हमारे उत्पादन में कुछ कमी रह जायेगी, और यदि हां, तो कितनी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११४]**

कानपुर में कतड़े की मिलों का बन्द होना

†८८५. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर की कुछ नयी सूती कपड़ा मिलों के प्रबन्धकों ने अपनी मिलें बन्द करने के लिये सरकार से आवश्यक अनुमति देने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में काम करने वाले भारतीय

†*८८६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री वोडयार :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र प्रधान कार्यालय में काम करने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या बहुत ही कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में, विशेष रूप से उच्चतर पदों पर, काम करने वाले भारतीयों की संख्या पहले से ही कम रही है। हाल के वर्षों में कुछ सुधार हुआ है। सरकार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के विभिन्न वेतन-क्रमों में पर्याप्त संख्या में भारतीयों की नियुक्ति के प्रश्न पर लगातार ध्यान देती रही है।

बिजली के स्विच गियर और कन्ट्रोल गियर

†*८८७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनमार्क की एक फर्म के सहयोग से बम्बई की एक फर्म द्वारा बिजली के स्विच गियरों और कन्ट्रोल गियरों के निर्माण की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) बम्बई के मेसर्स लार्सेन और टोब्रो लिमिटेड को बम्बई में पवाई के अपने मौजूदा औद्योगिक उपक्रम में मोटर-स्टार्टरों स्विचों, फ्यूज़ गियरों आदि का निर्माण करने के लिये डेनमार्क में कोपेनहेगेन के मेसर्स लॉरक्नुडसेन के सहयोग से सारभूत विस्तार करने का लाइसेंस सितम्बर १९५८ में दिया गया है।

पुरुलिया (पश्चिमी बंगाल) में चूने के पत्थर के निक्षेप

†*८८८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पुरुलिया स्थित चूने के पत्थर के निक्षेपों के परिमाण और किस्मों का सर्वेक्षण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां सीमेन्ट उद्योग शुरू किया जा सकता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। पुरुलिया में जिस किस्म का चूने का पत्थर पाया जाता है वह पोर्टलैण्ड सीमेन्ट बनाने के लिये अनुपयुक्त समझा जाता है।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया में हड़ताल

†*८८९. **श्री तंगामणि :**
श्री हेम बरुआ :
श्री गोरे :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारियों ने ८ दिसम्बर, १९५८ से ४८ घण्टे हड़ताल करने का निर्णय कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की क्या क्या मांगें हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के कर्मचारियों के फेडरेशन द्वारा किये गये अभ्यावेदन का क्या स्वरूप है; और

(घ) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (घ). अन्तरिम सहायता के विषय में प्रबंधकर्ताओं और फेडरेशन के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप हड़ताल नहीं हुई ।

मोटरकार उद्योग

†१२८२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटरगाड़ियों के विभिन्न निर्माताओं द्वारा निर्मित भिन्न भिन्न गाड़ियों में कितना प्रतिशत भारतीय तत्व है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : देश में निर्मित विभिन्न गाड़ियों (मुख्य मॉडल) में स्वदेशी तत्व का अप्रैल, १९५८ का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

मोटरकारें

हिन्दुस्तान एम्बेसेडर	६० प्रतिशत
फिएट '११००'	३७ प्रतिशत
स्टैण्डर्ड वेनगार्ड	३३ प्रतिशत
स्टैण्डर्ड '१०'	३० प्रतिशत

ट्रक और बस चैसीज[1]

टाटा-मरसीडीज-बेंज	५३ प्रतिशत
डाज (मीडियम-डीजल) १६५" डब्ल्यू० बी०	५२ प्रतिशत
डाज (लाइट पैट्रोल) १२६" डब्ल्यू० बी०	२६ प्रतिशत
डाज पावर वेजन	२९ प्रतिशत
लीलैण्ड 'कॉमेट'	३८ प्रतिशत
लीलैण्ड रॉयल टाइगर/टाइटन	९ प्रतिशत

जीप

विलीज सी० जे–३ बी०	५८ प्रतिशत

ग्राम गृह निर्माण परियोजना

†१२८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य को १९५८-५९ में कितनी ग्राम गृह निर्माण परियोजनाएं आवंटित की गई थीं; और

(ख) उपरोक्त राज्य को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी गृह निर्माण परियोजनाएं आवंटित करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Bus Chassis.

†**निर्माण, आवास, और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** :(क) और (ख). १४ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२२ के उत्तर से संलग्न विवरण में पहले बता दिया गया है कि उत्तर प्रदेश को ग्राम गृह निर्माण परियोजना के अधीन १९५८-५९ और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना अवधि में आवंटित ग्रामों की कुल संख्या क्रमशः २५५ और ८५० है ।

'भारत नगर' में नागरिक सुविधाएं

†१२८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की शरणार्थी बस्ती—भारत नगर में सड़क की रोशनी, पानी की नालियां, सड़कें, जलोत्सारण इत्यादि के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : सड़कों के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । प्रकाश की व्यवस्था, पानी की नालियां और जलोत्सारण आदि के बारे में दिल्ली नगर निगम प्राक्कलन तैयार कर रहा है; इस कार्य को निगम ही कर रहा है ।

राजकीय उद्योगों में विदेशी विशेषज्ञ

†१२८५. **श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री राज्य नियंत्रित और राज्यकीय उद्योगों में अभी तक संलग्न विदेशियों की (उद्योगवार) संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११५]**

सीमेंट के कारखानों में श्रम विवाद

†१२८६. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में सीमेंट फैक्टरियों में १९५७-५८ में कुल कितने श्रम विवाद हुए हैं;

(ख) इन विवादों का क्या स्वरूप है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) चार ।

(ख) प्रत्येक मामले में इन विवादों का स्वरूप निम्न प्रकार है :—

(१) वर्ग, महंगाई भत्ता और बदली मजूरी आदि ।

(२) बोनस की मंजूरी और ठेकेदारी पद्धति समाप्त करना ।

(३) मजूरी में वृद्धि, मकान किराया, मजूरी सहित अवकाश, रात्रि भत्ता, संकटपूर्ण काम के लिये भत्ता, धूल भरा और गंदा काम, पदोन्नति के लिये नियम, स्थानान्तरण,

---

†मूल अंग्रेजी में

उपदान, क्वार्टरों का अलाटमेंट, मजूरों की पुनर्नियुक्ति, छुट्टियों में काम करने का भत्ता और साप्ताहिक अवकाश, कर्मचारियों की भरती, वर्दियां, जलमंभरण, स्कूल सम्बन्धी सुविधाएं और प्रविधिकों का प्रशिक्षण ।

(४) रात्रि भत्ता, उपदान, पद, उत्पादन, वेतन के साथ बोनस विश्रांति, स्थायित्व, बोनस, महंगाई भत्ता और बीमारी की छुट्टी ।

(ग) संख्या १, २ और ४ में उल्लिखित विवादों को राज्य सरकार ने औद्योगिक ट्रिब्यूनल, पंजाब, जालंधर से न्यायनिर्णयन के लिये निर्देश किया था किन्तु यह विवाद समझौता कार्यवाहियों द्वारा तय नहीं की जा सकीं जब कि संख्या ३ में उल्लिखित विवाद का दोनों पक्षों में परस्पर समझौता हो गया ।

'दी न्यू डाइमेन्शन्स आफ पीस'

†१२८७. **श्री क० च० जेना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि श्री चेस्टर बाउल्स लिखित "दी न्यू डाइमेन्शन्स आफ पीस" नामक पुस्तक दिल्ली में बिक रही है जिसमें विश्व के मानचित्र में काश्मीर का पाकिस्तान में विलय बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सरकार की दृष्टि में श्री चेस्टर बाउल्स द्वारा लिखित "दी न्यू डाइमेन्शन्स आफ पीस" नामक पुस्तक आई है जिसमें दिये गये तीन मानचित्रों में से प्रत्येक में काश्मीर को पाकिस्तान में सम्मिलित बताया गया है ।

(ख) चूंकि जम्मू तथा काश्मीर की यह स्थिति पुस्तक में किये गये किसी विवरण के अनुरूप नहीं है यह मान लिया गया है कि यह भूल अनजान में ही हो गई है । यह विषय वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत को बता दिया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वह लेखक से इसकी चर्चा कर दें ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

†१२८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अप्रैल से ३० नवम्बर, १९५८ के बीच पाकिस्तान के साथ किये गये हमारे आयात और निर्यात के व्यापार मूल्य की क्या स्थिति है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : इस समय आंकड़े अगस्त माह तक उपलब्ध हैं । स्थिति इस प्रकार है :—

अप्रैल—अगस्त १९५८

पाकिस्तान को निर्यात	पाकिस्तान से आयात	व्यापार संतुलन
२७४	२७२	(+) २

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सिंचाई के साधनों का उपयोग न किया जाना

†१२८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के परामर्शदाता पंजाब राज्य में सिंचाई के साधनों का पूर्ण उपयोग करने के बारे में राज्य सरकार से चर्चा करने के लिये पंजाब गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई सिफारिशों का क्या ब्यौरा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११६]**

पारपत्र

†१२९०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** १९५८ में अभी तक विदेशों के लिये जारी किये गये पार-पत्र देशवार बताने की कृपा करेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : भारत में पारपत्र जारी करने वाले विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अक्टूबर, १९५८ तक जारी किये गये पारपत्रों की कुल संख्या ३६,८०२ है । इस संख्या में राज्य सरकारों द्वारा जारी किये भारत-पाकिस्तान पारपत्र सम्मिलित नहीं हैं । चूंकि यह पारपत्र विश्व के सभी देशों के लिये जारी किये जाते हैं और इनमें से अधिकांश पारपत्रों पर अनेक देशों की स्वीकृति आवश्यक है अत: प्रत्येक देश के लिये जारी किये गये पारपत्रों की संख्या बताना सम्भव नहीं है ।

भारतीय विदेश सेवा

†१२९१. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** १० मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विदेश सेवा में प्रथम श्रेणी के कितने पदों पर अभी ऐसे व्यक्ति हैं जो उक्त से सम्बद्ध नहीं हैं; और

(ख) भारतीय विदेश सेवा के प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य मंत्रालयों और विभागों से सम्बन्धित हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ऐसे सत्रह पद हैं किन्तु दूतावासों के २४ प्रधान और वैदेशिक कार्य मंत्री के स्वविवेक से विदेशों में नियुक्त पद इसमें सम्मिलित नहीं है । इन सत्रह पदों में से दो भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारी हैं, पांच केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और ६ केन्द्रीय सचिवालय सेवा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं, एक संविदा अधिकारी और एक भारतीय विदेश सेवा से अतिवयस्कता वाले पुनर्नियुक्त अधिकारी और दो अन्य पदों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारी हैं । यह सब अधिकारी अपने मूल कार्यालयों में वापस भेज दिये जायेंगे अथवा विदेशों में उनकी वर्तमान सेवा अवधि पूरी होने पर सेवा निवृत्त हो जायेंगे ।

(ख) ऐसे तीन अधिकारी हैं । यह संख्या उन दो और आठ अधिकारियों से पृथक है जो क्रमश: इण्डोचीन में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में प्रतिनियुक्ति पर और केन्द्रीय पारपत्र संगठन में काम कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रजी में

राजस्थान में बेरोजगारी

†१२९२. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में ३० जून, १९५८ तक बताये गये बेरोजगार ग्रेजुएट, इण्टरमीजियेट और मैट्रीकुलेट उम्मीदवारों को काम दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** योजना के अधीन विकास योजनाओं से उन्हें रोजगार मिलने की आशा है ।

कास्टिक सोडा उद्योग की जांच

†१२९३. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग ने कास्टिक सोडा उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के दावे की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस की रिपोर्ट कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है । रिपोर्ट और तत्सम्बन्धी सरकारी संकल्प **[संख्या ३२ (२)टी०आर०/५८, दिनांक २९ नवम्बर, १९५८]** ३ दिसम्बर, १९५८ को लोक-सभा के पटल पर रख दी गई थी ।

विकिरण के खतरे

†१२९४. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में रेडियो-धर्मिता के खतरे को टालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मानव जाति पर विकिरण का प्रभाव मुख्यत: प्राकृतिक साधनों, चिकित्सा और औद्योगिक प्रक्रिया, और उद्जन विस्फोट से उत्पन्न दूषित वातावरण से उत्पन्न होती है । इन में से अन्तिम कारण अधिक महत्वपूर्ण है जिस से विश्वव्यापी विकिरण स्तर बढ़ रहा है और इस में ऐसे संकट हैं जो प्रभावग्रस्त व्यक्तियों के नियंत्रण से बाहर हैं । यह सर्व विदित है कि भारत, अन्य देशों के सहयोग से उद्जन शस्त्र वाले देशों के साथ विस्फोट रोकने के लिये प्रयत्नशील है ।

जहां तक उद्योग, चिकित्सा और गवेषणा कार्य में मनुष्य को प्रभावित करने वाली विकिरण के अप्राकृतिक साधनों का सम्बन्ध है, उनके प्रयोग पर नियंत्रण किया जा सकता है और संरक्षण एवं सुरक्षा की टेक्नीक को पूर्णता प्रदान कर उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है । अणु शक्ति आयोग विकिरण कार्यकर्ताओं के लिये देश व्यापी फिल्म बैज सर्विस का संचालन करता है जिस से वैयक्तिक कार्यकर्ता पर उसके प्रभाव की मात्रा का नियंत्रण और निर्धारण सम्भव हो सकता है । इसके अतिरिक्त विकिरण साधनों का प्रयोग करने वाली संस्थाओं और प्रयोगशाओं में विकिरण बचाव सर्वेक्षण किये जाते हैं । विकिरण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले विभिन्न किस्मों के इलक्ट्रोनिक उपकरण

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्राम्बे प्रतिष्ठान में बनाये जा रहे हैं। और विकिरण साधनों का प्रयोग करने वाली संस्थाओं को सम्भारित किये जाते हैं।

प्रयोगात्मक टेलीविजन यूनिट

†१२९५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० के० देव :
श्री खी० चं० प्रधान :
श्री वाजपेयी :
श्री तंगामणि :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री १४ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के नई दिल्ली गवेषणा विभाग में एक प्रयोगात्मक टेलिविजन यूनिट की स्थापना के विषय में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : दिल्ली में स्थापित किये जाने वाले प्रयोगात्मक टेलीविजन यूनिट के लिये अपेक्षित अधिकांश उपकरण प्राप्त हो गये हैं। उपलब्ध उपकरण अस्थायी-रूप से आकाशवाणी भवन में स्थापित कर दिये गये हैं और उनका परीक्षण हो रहा है। शीघ्र ही आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में नियमित रूप से प्रयोगात्मक टेलीविजन सेवा प्रारम्भ करने की आशा है।

भारत का मजूरी नकशा'

†१२९६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री वाजपेयी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की 'मजूरी नकशा' तैयार करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : 'मजूरी नकशा' तैयार करने के लिये मजूरी आंकड़े और परिवार बजट सम्बन्धी जांच प्रारम्भ कर दी गई है। चूंकि इनमें काफी समय लगेगा अतः कार्य संचालन समिति ने तीसरी मीटिंग में यह सिफारिश की है। तात्कालिक उपलब्ध आंकड़ों की सहायता से बम्बई और कानपुर के लिये प्रयोगात्मक 'मजूरी नकशे' बनाये जायें। यह कार्य प्रगति पर है किन्तु इसे पूरा करने में अनिवार्यतः कुछ समय लगेगा।

आंध्र प्रदेश की राज्य योजना

*१२९७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग आंध्र प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष के खर्च में ३० करोड़ रुपये को बढ़ा कर ३१ करोड़ रुपये करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़े हुए खर्च से किये जाने वाले कार्यों का क्या स्वरूप है;

---

†मूल अंग्रेजी में
'Wage Map of India.

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार की प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रार्थनाओं का ब्यौरा और प्रत्येक स्थिति में की गई कार्यवाही का क्या स्वरूप है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (घ). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११७**]

मोटा और मध्यम श्रेणी का कपड़ा

१२१८ { **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल के कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कमी के पश्चात्, मोटा और मध्यम श्रेणी के कपड़े के आन्तरिक बाजार भाव पर अभी तक क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) उत्पाद-शुल्क में कमी के पश्चात् कमी के तुरन्त पूर्व की अवधि से तुलना करते हुए कोर्स और मध्यम श्रेणी के मिल कपड़े की कुल कितनी खपत हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) उत्पाद-शुल्क में परिवर्तन के फलस्वरूप आन्तरिक बाजार भाव में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है। यद्यपि कुछ किस्मों में गिरावट की ओर साधारण सा रुख दिखाई दिया था। यह गिरावट की प्रवृत्ति औसत रूप में कोर्स कपड़े पर लगभग १ प्रतिशत और मध्यम श्रेणी के कपड़े पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत से कम थी।

(ख) मिल के कपड़े की यथार्थ खपत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं यद्यपि आन्तरिक खपत के लिये मिलों से हुई कपड़े की डिलीवरी को आन्तरिक खपत का उचित देशनांक समझा जा सकता है। उत्पाद शुल्क की पुनरीक्षा ४ जुलाई, १९५८ से लागू हुई है। अप्रैल–जून और जुलाई–सितम्बर, के तीन तीन महीनों के लिये कोर्स और मध्यम श्रेणी के कपड़े की डिलीवरी के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

१९५८	मोटा	लाख गजों में मध्यम श्रेणी
अप्रैल	६३८	२९०२
मई	५१५	२४०७
जून	४५१	१५०९
जुलाई	६१६	२५०१
अगस्त	६३९	२१३५
सितम्बर	६८२	२१५३

†मूल अंग्रेजी में

अभ्रक का निर्यात

१२९९. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों की अभ्रक की मांग को पूर्ण रूप से पूरा करता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो अभ्रक की सारी मांग को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी नहीं। संसार की अभ्रक सम्बन्धी मांग के अधिकांश की पूर्ति भारत करता है।

(ख) अभ्रक का उत्पादन करने वाले अन्य देशों को इस क्षेत्र से पूरी तौर पर अलग कर देना सम्भव नहीं है। ब्राजील को तो खास तौर पर अलग नहीं किया जा सकता जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के निकट स्थित होने के कारण प्रतिस्पर्धा करने में काफी सुविधा प्राप्त है।

वायदा बाजार (विनियमन) अधिनियम, १९५२

†**१३०१. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायदा बाजार (विनियमन) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ के अधीन मान्यता प्राप्ति के लिये १९५८ में अभी तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कितने आवेदनों को मान्यता प्रदान की गई है—प्रत्येक मामले की अवधि और जिन वस्तुओं के बारे म आवेदनों को मान्यता दी गई है उन का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) दो।

(ख) एक ; तीन वर्ष ; कपास।

कपास परामर्शदाता बोर्ड

†१३०२. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के आयात और निर्यात और तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में कपास परामर्श-दाता बोर्ड ने गत सितम्बर की अपनी बम्बई में हुई बैठक में कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थीं ;

(ख) क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार कर उन के बारे में निर्णय कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या स्वरूप है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) बोर्ड ने १९५८-५९ की ऋतु में ६ लाख गांठें विदेशी रूई के आयात की सिफारिश की है। जहां निर्यात का सम्बन्ध है बोर्ड

†मूल अंग्रेजी में

ने यह सिफारिश की है कि बंगाल देशी १,५०,००० गांठें, पुरानी पंजाब रूई की २५,००० गांठें—जो १३/१६" से अधिक न हो और ५०,००० गांठें रूई—जो ३/४" से अधिक न हो और फसल की प्रचलित अवस्था को ध्यान में रख कर १५ और ३० अक्तूबर, १९५८ के बीच ५०,००० गांठें रूई, जो ३/४" से अधिक न हो, को अतिरिक्त रूप में बाजार में बिक्री के लिये मुक्त करने की सिफारिश की है। बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि रूई पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार ने रूई की चालू मौसम में आयात और निर्यात का निम्न कोटा तय किया है :

आयात

२०,००० गांठें रेशा १–३/१६" और उस से अधिक ;

१०,००० गांठें रेशा १–१/१६" और उस से अधिक यह सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से आयात के लिये है।

निर्यात

२,५०,००० गांठ—बंगाल देशी रूई

१,५०,००० गांठें रूई (बंगाल देशी रूई के अतिरिक्त) जिस का रेशा ३ ४" से अधिक न हो।

१,००,००० गांठें कच्ची रूई जिस के रेशे की लम्बाई ३/४" से कम हो।

२०,००० गांठें—१९५७-५८ और उस से पहले की पुरानी रूई (बंगाल देशी को छोड़ कर) जिस का रेशा २५/३२" से अधिक न हो ; १९५७-५८ में ३०,००० गांठों की अनुमति दी गई है।

जहां तक निर्यात शुल्क का सम्बन्ध है, सरकार ने कच्ची रूई पर शुल्क १६ नवम्बर, १९५८ से प्रति गांठ ५० रुपये से घटा कर २५ रुपये प्रति गांठ कर दिया है।

इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस

†१३०३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संकल्पों के बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** जैसा १२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३७ के उत्तर के सम्बन्ध में पहले बताया गया था इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ९वें सैशन मे पारित अधिकांश संकल्पों के विषयों पर नैनीताल में मई, १९५८ में भारतीय श्रम सम्मेलन में चर्चा की गई थी। उन में से शेष संकल्पों पर स्थायी श्रम समिति की बम्बई में अक्टूबर, १९५८ की मीटिंग में चर्चा की गई थी। इन सम्मेलनों में किये गये मुख्य निष्कर्षों पर आवश्यक कार्यवाही के लिये सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित कर दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

फिल्मों का निर्यात

†१३०४. **श्री राम कृष्ण :**
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६, १९५७ और १९५८ में अभी तक विभिन्न देशों को निर्यात की गई फिल्मों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ;

(ख) इस वर्ष फिल्मों के निर्यात में और वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं , और

(ग) गत तीन वर्षों में विदेशी भाषाओं की फिल्मों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क)और(ग). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११८]**

(ख) २५ सितम्बर, १९५८ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या २८३६ के उत्तर की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

कांच की चादरें और प्लेटें

†१३०५. **श्री दामानी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में देश में कांच की चादरें और प्लेटें निर्माण करने वाली एककों की प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता दी गई हो और यह बतायेंगे कि क्या सम्पूर्ण एकक अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : आज कल कांच की प्लेटों का स्वदेश में उत्पादन नहीं हो रहा है। कांच की चादरों का निर्माण करने वाली विभिन्न यूनिटों की प्रतिष्ठापित क्षमता बताने वाला विवरण नीचे दिया गया है। कोई भी एकक पूर्ण क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रही है। प्रतिष्ठापित क्षमता के लगभग ७० प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा रहा है।

	फर्म का नाम	प्रति वर्ष प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता (लाख वर्ग फीट में)
१.	मैसर्स सरायकेला ग्लास वर्क्स पोस्टआफिस कांदरा जिला सिंहभूम	२८८
२.	मैसर्स इंडो-असाही ग्लास कम्पनी लिमिटेड पोस्टआफिस बदानी नगर	३६०
३.	मैसर्स हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड आसनसोल	३००
४.	मैसर्स यू० पी० ग्लास वर्क्स लिमिटेड बहजोई जिला गुरादाबाद	११८

†मूल अंग्रेजी में

साइंस का सामान

†१३०६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हर साल विदेशों से साइंस का बहुत सा सामान मंगवाना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो १९५७-५८ और १९५८-५९ में विदेशों से साइंस का सामान खरीदने पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) इस मामले में भारत को स्वावलम्बी बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) १९५७ : लगभग ५.६ करोड़ रुपये
१९५८ (जुलाई तक) : लगभग २.१ करोड़ रुपये।

(ग) निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :

(१) वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(२) नये उपक्रमों की स्थापना के लिये प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(३) देश में तैयार होने वाले सामान का विदेशों से आयात करने पर नियंत्रण किया जा रहा है और उन के निर्माण के लिये कच्चे माल और पुर्जों के आयात की ही अनुमति दी जाती है।

(४) सामान के प्रमाणीकरण के लिये उन का आकार प्रकार निश्चित करना।

(५) छोटे पैमाने के यूनिटों को ऋण देना।

इस कार्यवाही के अतिरिक्त सरकार ने हाल ही में साइकलों, सिलाई की मशीनों और औज़ारों के वृहत विकास परिषद में साइंस के सामान के लिये भी एक तालिका नियुक्त की है। यह तालिका इस उद्योग के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

अधिकारियों का उच्च स्तरीय सम्मेलन

१३०७ **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले उन्हों ने कतिपय उच्चस्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिस में दिल्ली नगर निगम की मेयर महोदया ने भी भाग लिया था और जिस में सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों के उपयुक्त नाम रखने, महत्वपूर्ण स्थानों से विदेशियों की मूर्तियों को हटा कर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने, और लाल किले के सामने स्वतंत्रता आन्दोलन का स्मारक बनाने पर विचार किया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में कौन-कौन महानुभाव सम्मिलित हुए थे और उन्होंने क्या क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ग) उन सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) से (ग). ६ सितम्बर १९५८ को मंत्री महोदय ने दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी, जिस में केवल सरकारी कर्मचारियों की कुछ बस्तियों के नाम रखने तथा एक शहीद-स्मारक बनाने के सवालों पर विचार किया गया। निम्नलिखित महानुभाव उपस्थित थे :—

निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय :

श्री अनिल कु० चन्दा, उपमंत्री ।
श्री एम० आर० सचदेव, सचिव ।
श्री एस० चौधरी, उपसचिव ।

दिल्ली नगर निगम :

श्रीमती अरुणा आसफ़ अली, मेयर ।
श्री पी० आर० नायक, कमिश्नर ।

नई दिल्ली नगर पालिका :

श्री सी० बी० दुबे (उस समय के) प्रधान ।
श्री मोहन सिंह, उप प्रधान ।
श्री महेश्वर दयाल, सदस्य ।

शहीद-स्मारक के सम्बन्ध में विचार के समय कलाकार तथा ललित कला अकादेमी, नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री डी० पी० राय चौधरी भी उपस्थित थे ।

सरकारी बस्तियों के नाम रखने की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं, जो कि १ अक्तूबर, १९५८ की एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित हो चुकी हैं। ये निम्न प्रकार हैं :—

	पुराने नाम	नये नाम
१.	मेडिकल एनक्लेव	अंसारी नगर
२.	नार्थ आफ़ मेडिकल एनक्लेव	किदवाई नगर
३.	मान नगर	रवीन्द्र नगर
४.	मेन विनय नगर	सरोजिनी नगर
५.	ईस्ट विनय नगर	लक्ष्मीबाई नगर
६.	वेस्ट विनय नगर	नेताजी नगर
७.	शान नगर	भारती नगर
८.	सेवा नगर	कस्तूरबा नगर
९.	डिप्लोमेटिक एनक्लेव में डी० I और डी० II फ्लैट	चाणक्यपुरी
१०.	साऊथ आफ रिंग रोड	नौरोजी नगर

†मूल अंग्रेजी में

शहीद-स्मारक बनाने के विषय में अन्तिम सिफारिशें नहीं दी गई और सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय चलचित्र

†१३०८. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में कई भारतीय चल चित्रों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले; और

(ख) यदि हां, तो १९५६ से लेकर, वर्षवार, उनके नाम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११९]**

स्टैंडर्ड कपड़े की उपलब्धता

†१३०९. **श्री उ० च० पटनायक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में विशेष डिज़ाइनों के और पायेदार स्टैण्डर्ड कपड़े उचित मूल्यों और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश के खंड २० का अनुसरण करते हुए समय समय पर मिलों को इस बारे में निदेश दिये जाते हैं कि वे किस श्रेणी के और किस आकार प्रकार के कपड़े बना सकते हैं। उसी आदेश के खण्ड २२ के अनुसार कोई भी मिल स्तर से निचले दर्जे अथवा दोषपूर्ण कपड़े को बिना "सैकंड्स" ("दूसरे दर्जे का") लिखे विक्रय के लिये नहीं भेज सकती ताकि उपभोक्ता को मालूम हो जाये कि वह किस किस्म का कपड़ा खरीद रहा है ।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि नियंत्रण आदेश के उपबन्धों का पालन किया जाये वस्त्र आयुक्त संघटन के पदाधिकारी मिलों का सावधिक निरीक्षण करते हैं और नियम उल्लंघन करने पर उपयुक्त कार्यवाही करते हैं ।

जहां तक सस्ते दामों और पर्याप्त मात्रा में कपड़ा उपलब्ध करने का सवाल है देश के आन्तरिक उपभोग के लिये उचित मल्यों पर काफी कपड़ा उपलब्ध है ।

आयात और निर्यात किये गये माल का मूल्य

†१३१०. **श्री नागी रेड्डी :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री राम कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई से ३० सितम्बर, १९५८ तक किये गये आयात और निर्यात का मूल्य क्या था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस अवधि के लिये निर्धारित लक्ष्य पूरे हो गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आयात १७२ करोड़ रुपये। निर्यात १६३ करोड़ रुपये।

(ख) और (ग). आयात और निर्यात के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। भारत सरकार की लाइसेंस देने के नीति के अनुसार आयात और निर्यात की अनुमति दी जाती है।

रंगाई के सामान के आयात के लाइसेंस

†१३११. **श्री कोडियान :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में रंगाई के सामान के कितने तदर्थ लाइसेंस जारी किये गये और वे कितने मूल्य के थे और वे किन किन कम्पनियों को दिये गये ;

(ख) ये 'तदर्थ' लाइसेंस किन आधारों पर दिये गये ; और

(ग) जिन लोगों को तदर्थ लाइसेंस दिये गये क्या वे काफी समय से इनका आयात कर रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५८ में और्गनिक कैटेसिल्टस और अन्य सहायक वस्तुओं के आयात के लिये ५१ लाइसेंस दिये गये जिनका मूल्य ६.८९ लाख रुपये था। जिन समवायों को ये लाइसेंस दिये गये उनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) नीति के अनुसार ये लाइसेंस वस्त्र आयुक्त, बम्बई की मंत्रणा पर दिये गये थे। व्यावहारिक रूप से, कोलतार रंगों के पुराने आयातकारों को ही तदर्थ लाइसेंस दिये गये थे। वस्त्र आयुक्त की सिफारिशें पुराने आयातकारों द्वारा भेजी गई 'पिगमेंट' की मांगों पर आधारित थीं जिनके लिये सहायक वस्तुओं का आयात करना अत्यन्त आवश्यक था।

(ग) जी हां।

बागान श्रमिकों की हड़ताल

†१३१२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अक्तूबर, १९५८ में केरल राज्य में बागान श्रमिकों की हड़ताल होने के कारण भारत के रबड़ के व्यापार को काफी हानि पहुंची ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : उत्पादन को बहुत कम हानि पहुंची। व्यापार में किसी कमी की सूचना नहीं मिली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी से तामिल में कार्यक्रम

†१३१३. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ और सितम्बर, १९५८ तक आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से तामिल भाषा में कितने प्रसारण किये गये और तामिल साहित्य और भाषणों को कितना समय आवंटित किया गया; और

(ख) विषयों का चुनाव किन सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२१**]

(ख) विषयों का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि श्रोताओं के लिये वे कितने उपयुक्त हैं और उन में उनकी कितनी अभिरुचि होगी। यह प्रयत्न भी किया जा रहा है कि वार्ता की ओर कम ध्यान देकर संगीत और नाटक कार्यक्रमों में वृद्धि की जाये।

अन्तर्राष्ट्रीय मेले

†१३१४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५८ के बाद भारत सरकार ने अब तक कितने अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लिया है ;

(ख) क्या उनमें भाग लेने से सरकार व्यापार में कोई वृद्धि कर सकी है; और

(ग) यदि हां, तो कितना कारोबार प्राप्त किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १५।

(ख) और (ग). भारतीय सरकार निर्यात की संविदाओं के लिये बातचीत नहीं करती है। प्रदर्शनी विभाग केवल निर्यातकारों और उत्पादकों को वे सुविधायें देता है जिनसे विदेशी आयातकारों की रुचि भारतीय वस्तुओं में बढ़े और वे इसका आयात अपने देशों में करें। इसलिये यह बताना सम्भव नहीं कि अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने से व्यापार में कितनी वृद्धि हुई।

आयात के लाइसेंस

†१३१५. **श्री मुरारका :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में यह पता चला है कि ६० लाख रुपये से अधिक आयात लाइसेंस धोखे से जारी कर दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ठीक-ठीक कितनी राशि के लाइसेंस जारी किये गये और किन-किन समवायों को जारी किये गये ;

(ग) ये लाइसेंस किन परिस्थितियों में जारी किये गये थे; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (घ). सरकार को यह पता चला कि हाल ही में ४४.७५ लाख रुपये के दो लाइसेंस—एक २८.७५ लाख रुपये का बम्बई में मैसर्ज़ फेडको प्राइवेट लिमिटेड को और दूसरा १६ लाख रुपये का बम्बई के मैसर्ज़ वेकफील्ड पेन्टसू प्राइवेट लिमिटेड को—जारी किये गये थे जो साधारणतः नहीं दिये जाने चाहियें थे। लाइसेंस खारिज कर दिये गये हैं और जिन परिस्थितियों में वे दिये गये थे उनकी जांच हो रही है। अन्तिम कार्यवाही जांच के परिणामों पर निर्भर करती है।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१३१६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री २५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने स्थान रक्षित रखे गये हैं ;

(ख) क्या वे भर लिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें अभी तक न भरने के क्या कारण हैं ; और

(घ) वे कब तक भरे जायेंगे ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२२]**

अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थान

†१३१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने पद रक्षित रखे गये हैं ;

(ख) उन्हें न भरने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ये पद कब तक भर लिये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) एक विवरण नीचे रखा जाता है :—

पद	रक्षित पदों की संख्या	
	अनुसूचित जातियां	अनुचित आदिम जातियां
असिस्टेंट . .	१५	४
क्लर्क . . .	३९	१३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के कारण।

(ग) जैसे ही उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध होंगे।

युकलिप्टस तेल

†१३१८. **श्री सुब्बया अम्बलम्:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नीलगिरी में कितने लोग युकलिप्टस तेल निकालते हैं ;

(ख) क्या इस उद्योग को कुटीर उद्योगों में शामिल किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसे क्या क्या रियायतें दी गई हैं ; और

(घ) क्या २ प्रतिशत बिक्री कर लगाने और लाइसेंस की फीस को २० रुपये से बढ़ा कर २०० रुपये कर देने से इस उद्योग के लिये कठिनाई पैदा हो गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क)से(घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मजदूरों की हड़तालें

†१३१९. **श्री जाधव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७–५८ और १९५८–५९ में मजदूरों की हड़तालें होने के कारण विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में कोई कमी हुई; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि में विशेष उद्योगों के उत्पादन में कितनी कमी हुई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सार्वजनिक सहकारिता योजनायें

†१३२०. **डा० सुशीला नायर :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक सहकारिता योजनाओं ने अब तक क्या प्रगति की है और प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक इन पर कितना खर्च किया गया है;

(ख) यह योजना किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई है और किन-किन क्षेत्रों में कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) क्या इस में कोई गैर-सरकारी संस्थायें भी सहयोग दे रही हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) भारत सेवक समाज द्वारा प्रस्तुत की गई सार्वजनिक सहकारिता योजना सरकार ने सितम्बर, १९५८ में स्वीकृत की थी। इस योजना के अन्तर्गत देश में विकास कार्यक्रम में जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये १०० लोक कार्य क्षेत्र स्थापित करने का विचार है। यह निश्चय किया गया है कि लोक कार्य क्षेत्रों की स्थापना प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार की जाये और पहले केवल २५ क्षेत्रों में ही कार्य आरम्भ किया जाये। सरकार औसतन एक क्षेत्र को ५००० रुपये ही सहायता देगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मार्च, १९५९ की समाप्ति तक के लिये २५ क्षेत्रों पर खर्च करने के लिये अभी तक ५०,००० रुपये के सहायक अनुदानों की स्वीकृति दी गई है। सहयोगियों के प्रशिक्षण के छोटे मोटे खर्च और क्षेत्रों की स्थापना सम्बन्धी प्रारम्भिक खर्च करने के लिये भारत सेवक समाज को ४००० रुपये दिये गये हैं ।

अमरीकी व्यापार शिष्टमंडल

†१३२१. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के दो व्यापार शिष्टमंडल इस समय भारत आये हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडलों के सदस्यों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) अक्तूबर-नवम्बर, १९५८ में अमरीका के दो व्यापार शिष्टमंडल भारत आये उनमें से एक भारत सरकार के निमंत्रण इस बारे में मंत्रणा देने के लिये आया कि अमरीका को दस्तकारी और हथकरघा वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जावे । वह भारत से वापस जा चका है । दूसरा शिष्टमंडल अमरीका की सरकार ने दिल्ली में होने वाली अमरीकी लघु उद्योग प्रदर्शनी के सिलसिले में भेजा था । वह अभी भारत में ही है ।

(ख) मिशनों के सदस्यों के नामों वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२३]**

पश्चिमी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के कैम्प

†१३२२. **श्री पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के कैम्पों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को बस्तियों में बसा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वे बस्तियां कहां स्थित हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). २,८५० विस्थापित व्यक्तियों को निम्नलिखित ११ बस्तियों में बसाया गया है :—

२४ परगना	७
हुगली	२
मिदनापुर	१
मुर्शिदाबाद	१

शेष लोगों को अन्य कैम्पों में भेज दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९५९–६० में योजना का व्यय

†१३२३. **श्री पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने १९५९-६० में योजना पर होने वाले व्यय के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना व्यय होगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). १९५९-६० की योजना के बारे में राज्यों से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा बताये गये आधारों के अनुसार बातचीत हो रही है। केन्द्र के १९५९-६० के खर्च के बारे में विचार किया जा रहा है।

हथकरघा उद्योग

†१३२४. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन उपायों से हथकरघा उद्योग को कितना लाभ हुआ है; और

(ख) गत वर्ष देश में ऐसे कपड़े की कितनी खपत हुई और कितना उत्पादन और निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) निर्यात संवर्धन उपायों का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता।

(ख) अनुमान है कि १९५७ में १६,७९० लाख गज़ हथकरघा कपड़ा बनाया गया। १९५७ में ३७५ लाख गज़ हथकरघा कपड़े का निर्यात किया गया। देश में इस्तेमाल किये गये कपड़े के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

हिमालय पर अभियान

१३२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष, १९५८ में किन-किन विदेशी पर्वतारोही दलों ने हिमालय की विभिन्न चोटियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया;

(ख) हिमालय की किन-किन चोटियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया गया;

(ग) उन पर्वतारोही दलों के क्या उद्देश्य व लक्ष्य थे;

(घ) उन्हें उनमें कहां तक सफलता मिली;

(ङ) उन विदेशी पर्वतारोही दलों के साथ किन-किन भारतीयों ने सम्पर्क पदाधिकारियों के रूप में काम किया;

(च) उन दलों को किस प्रकार की वित्तीय अथवा अन्य सहायता दी गयी; और

(छ) नैपाल, भूटान और सिक्किम की सरकारों ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार को क्या सहयोग दिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ङ). भारतीय हिमालय की विभिन्न चोटियों पर जिन-जिन विदेशी अभियान दलों को चढ़ने की इजाज़त दी गई थी, उनके नाम और उनके बारे में जो सूचना सुलभ है, वह स प्रकार है :

(१) जुलाई और सितम्बर, १९५८ के बीच कुल्लू और स्पिती घाटियों के लिये श्री जे० जी० जी० स्टीफ़ेनसन का अभियान दल। इस अभियान दल के बारे में २२-४-५८ को अतारांकित प्रश्न संख्या २६०१ के उत्तर में सदन को सूचना दी गई थी।

(२) ूनाइटेड किंगडम से महिला-दल का अभियान—जो जुलाई १९५८ के ौरान में पर्वत पर चलने और समाज-विज्ञान का अध्ययन करने के उद्देश्य से चम्बा घाटी होते हुए ज़स्कर पर्वत श्रेणी के लिये गया और रुपशू तथा पश्चिमी लाहौल से होता हुआ वापस आया। चूंकि यह अभियान दल आंतरिक रेखा (इनर लाइन) से आगे नहीं गया, इसलिये इसके साथ कोई सम्पर्क अधिकारी नहीं लगाया गया।

(३) डा० श्मिड का अभियान दल जो भारतीय हिमालय, कुमाऊं, उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेंसी तथा सिक्किम और भारत के दक्षिण में भी, कीड़ों, वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये गया। डा० श्मिड यूनेस्को के विशेषज्ञ हैं और उन्होंने यह स्वीकृति ी है कि उन्होंने जो कुछ इकट्ठा किया है उस सब के नमूने और स अभियान से संबद्ध प्रकाशनों की प्रतियां वे भारत सरकार को सुलभ करेंगे। अक्टबर १९५८ में उन्होंने कुमाऊं में अपना अभियान पूरा कर लिया और उनका कहना है कि यह अभियान सफल रहा। भारत के जीव विज्ञान सर्वेक्षण कार्यालय (जलाजिकल सर्वे आफ इंडिया) के डाक्टर बी० एस० लाम्बा, डा० श्मिड के साथ लगाये गये थे।

(४) ूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रिक, श्री और श्रीमती हमीश मैक आर्थर, श्री और श्रीमती फ्रेंक सोलारी, कुमारी मारगैरेट मुनरो और एम० एमिल बेल का अभियान दल जो जुलाई-अगस्त १९५८ में पर्वतों पर चढ़ने के उद्देश्य से चम्बा-लाहौल और कुल्लू घाटियों के लिये गया। अभियान दल के नेता, श्री हमीश मैक आर्थर की मृत्यु, अगस्त १९५८ में, अभियान के ौरान में बहुत ऊंचाई पर हृदय की गति रुक जाने से हुई थी। इनके साथ कोई संपर्क अधिका ी नहीं लगाया गया क्योंकि अभियान का कार्यक्षेत्र 'इनर लाइन' के परे नहीं था।

(च) विदेशी पर्वतारोही अभियान दलों को भारत सरकार जो सुविधाएं आमतौर से देती है, े इस प्रकार हैं :

(१) प्रवेश और मा ं वीज़ा;

(२) पर्वता ोहण उपकरण पर कस्टम की छूट, बशर्ते कि उपकरण का फिर से निर्यात किया जाय; और

(३) मौसम सम्बन्धी विशेष सूचनाओं को प्रसारित करना।

(छ) सवाल नहीं उठता।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

†१३२६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **योजना मंत्री** २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, १९५८ में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : ८ और ९ नवम्बर, १९५८ को राष्ट्रीय विकास परिषद् की ग्यारहवीं बैठक में किये गये निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) १९५९–६० के लिये राज्यों की वार्षिक योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के निदेशानुसार तैयार की जा रही है और राज्यों से बातचीत चल रही है ।

(२) केन्द्र और राज्यों में तृतीय पंचवर्षीय योजना के विभिन्न पहलुओं के लिये सरकारी दल नियुक्त किये जा रहे हैं ।

(३) एक कार्यवाही दल खाद्यान्न में राज्य व्यापार की योजना तैयार कर रहा है ।

(४) एक कार्यकारी दल उन विभिन्न प्रश्नों का परीक्षण कर रहा है । जिनका प्रभाव राष्ट्रीय विकास परिषद् के सहकारिता नीति सम्बन्धी संकल्प को कार्यान्वित करने पर पड़ता है । १९५९–६० की योजना इस नीति के अनुसार तैयार की जायेगी ।

(५) निर्माण कार्यों में बचत के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और योजना आयोग शीघ्र ही केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को इस बारे में कुछ हिदायतें देगा ।

औद्योगिक श्रमिकों की आवास व्यवस्था

†१३२७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में औद्योगिक श्रमिकों की आवास समस्या का मूल्यांकन करने के लिये कोई विशेष सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) पंजाब में औद्योगिक श्रमिकों के लिये अब तक कितने मकान बनाये गये हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अभी नहीं। पंजाब सरकार इस पर विचार कर रही है ।

(ख) ३१ अगस्त, १९५८ तक राज सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत १८९० मकान बनाये गये हैं ।

विदेशों को निर्यात

†१३२८. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को निर्यात की जाने वाली भारती वस्तुओं की किस्मों को सुधारने के लिये यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ;

(ख) इस कार्यवाही का क्या परिणाम हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विदेशों में आयात करने वाले व्यापारियों में विश्वास पैदा करने में हम किसी हद तक सफल हो गये हैं ।

कन्फैक्शनरी उद्योग

†१३२९. **श्री जाधव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'कन्फैक्शनरी' बनाने के लिए विभिन्न चीनी कारखानों में कितनी मात्रा में चीनी, प्रत्येक कारखाने के अलग-अलग आंकड़े लगती, है ?

(ख) जो 'कन्फैक्शनरी' बनाई जाती है, क्या उसकी खपत भारत में ही हो जाती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी मात्रा का निर्यात किन किन देशों को किया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जिन चीनी कारखानों में अपने 'कन्फैक्शनरी' संयंत्र हैं, उनमें 'कन्फैक्शनरी' का उत्पादन निम्न है ।

१९५७	१९५८ (जनवरी–सितम्बर)
३५७८ टन	२१३३ टन

चीनी की अनुमानित खपत 'कन्फ़ैक्शनरी' के उत्पादन की $^{२}/_{३}$ होती है ।

प्रत्येक कारखाने की सांख्यकी इकट्ठी करना संभव नहीं है ।

(ख) अधिकांशतः, इसकी खपत देश में ही होती है ।

(ग) १९५७–५८ (जनवरी–सितम्बर) में निर्यात की गई 'कन्फैक्शनरी' की मात्रा नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	मात्रा	देश
१९५७	१२७९ हंडरवेट (६४ टन)	ब्रिटेन, अदन, बहरीन, लंका । सिंगापुर, हांगकांग, मस्कट, केन्या,
१९५८ (जनवरी-सितम्बर)	१०३५ हंडरवेट (५२ टन)	यूगांडा, ईरान, बर्मा तथा जंजीबार ।

रोलिंग मिल

†१३३०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में कितनी रोलिंग मिलें (बेलन मिलें) हैं ; और

(ख) इन रोलिंग मिलों द्वारा अलौह धातुओं की वार्षिक कुल कितनी मात्रा प्रति वर्ष ली जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) अलौह धातुओं की रोलिंग में लगी पंजाब में ५५ रोलिंग मिलें हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि इन रोलिंग मिलों द्वारा प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा ली जाती है क्योंकि यह मात्रा माल की उपलब्धता पर निर्भर करती है और प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती हैं ।

पंजाब के समवाय

†१३३१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में समवाय अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण पंजाब के किन समवायों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२५]**

पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश

†१३३२. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों तथा ४ हथियार बन्द पाकिस्तानियों का एक दल भारत तथा पाकिस्तान के सीमा के गांवों में यह प्रचार कर रहा है कि उन गांवों का भारत से कोई सम्बन्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) ७ तथा ११ नवम्बर, १९५८ को चार पाकिस्तानी सैनिक तथा दो पाकस्तानी राष्ट्रजन सकटी गांव, थाना कोतवाली, ज़िला जलपाईगुरी के भारतीय क्षेत्र में घुस आए तथा भारतीय गांववासियों को धमकी दी कि गांव पाकिस्तान में मिलाया जायेगा ।

(ख) जलपाईगुरी के ज़िला मजिस्ट्रेट ने सीमा के दूसरी ओर के ज़िला मजिस्ट्रेट को इस मामले के बारे में लिखा । पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी पूर्वी पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तानियों के भारतीय क्षेत्र में घुस आने के बारे में लिखा तथा कहा कि घुसने वाले को दण्ड दिया जाये । इस प्रकार घुस कर आने वाला यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जायेगा तो विधि अनुसार उसको दण्ड दिया जायेगा ।

गुजरात के नये औद्योगिक एकक

†१३३३. **श्री पु० र० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में गुजरात में कितने नये औद्योगिक एकक स्थापित किए गए तथा उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है, और

(ख) उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकार की गई है तथा कितनी व्यय की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). इस प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं है । परन्तु यदि माननीय सदस्य किसी विशेष वर्ष की

---

†मूल अंग्रेजी में

अथवा किसी एकक की प्रगति के बारे में जानना चाहत हों तो सरकार उसके बारे में बता सकती है ।

कपास सहकारी समितियां

†१३३४. **श्री पु० र० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१ से आज तक किन कपास सहकारी समितियों अथवा अन्य सहकारी समितियों को कपास के निर्यात की अनुज्ञप्तियां दी गई थीं;

(ख) इन में से कितनी समितियों ने अनुज्ञप्तियों के अनुसार कपास का निर्यात किया;

(ग) इस से कपास उत्पादकों को कितना लाभ हुआ; और

(घ) इन में से कितनी समितियों ने अनुज्ञप्तियों का दुरुपयोग किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९५४ से पूर्व सहकारी समितियों को कोई निर्यात अनुज्ञप्ति नहीं दी गई थी। १९५४-५५ के सीजन से १९५७–५८ के सीजन में कपास के निर्यात की अनुज्ञप्तियां जिन सहकारी समितियों को दी गई हैं उसकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२६]**

(ख) कपास निर्यात करने वाली समितियों की संख्या निम्न है :—

सीजन	संख्या
१९५४–५५	१
१९५५–५६	१४
१९५६–५७	१५
१९५७–५८	४०

(ग) ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार को एक समिति की जानकारी है ।

अमेरिका से कपास का आयात

†१३३५. **श्री राम कृष्ण :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार अमेरीका से कपास का आयात कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की तथा कितनी कपास का आयात किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). जी हां। अमेरीका सरकार ने हाल में ही क्रय प्राधिकार जारी किया है। जिस के अधीन १ $^{१}/_{१६}$" और इस से ऊपर के अपलैण्ड काटन स्टेपलिंग की ७७,५०० अमरीकी गांठें (बराबर ९३,००० भारतीय गांठें) पी० एल० ४८० कार्यक्रम के अधीन भारत द्वारा आयात की जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

†१३३६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई है तथा लागू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो विकास योजनाओं के क्या ब्यौरे हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या**

सहकारी निधियों पर भारत-पाक बातचीत

†१३३७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी निधियों के बारे में २८ नवम्बर, १९५८ को जालन्धर में हुए भारत तथा पाकिस्तान के पदाधिकारियों के सम्मेलन में किन बातों पर चर्चा हुई;

(ख) किन बातों पर समझौता हो गया; और

(ग) किन बातों पर चर्चा नहीं हो सकी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) से (ग). सराकार को सम्मेलन में हुए निर्णयों तथा बातचीतों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन नहीं मिला है । इसको राज्य सरकार से मांगा गया है ।

"इंडियन लिसनर"

†१३३८. **श्री हो० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "आकाशवाणी" द्वारा प्रकाशित "इंडियन लिसनर" तथा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित अन्य कार्यक्रम की पत्रिकाओं के परिचालन तथा हानि लाभ आंकड़े १९५६–५७ तथा १९५७–५८ के क्या हैं; और

(ख) भारत सरकार के प्रेस तथा अन्य कहीं पर इन पत्रिकाओं के मुद्रण पर १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में कितनी धनराशि व्यय की गई ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). १९५६–५७ के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२८]** १९५७–५८ की जानकारी अभी मिली नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पत्थर की खानों में दुर्घटनायें

†१३३९. { **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ तथा १९५८ में अब तक पत्थर की खानों में कितनी दुर्घटनायें हुई ;

(ख) इन घटनाओं में कितने व्यक्ति मरे; और

(ग) इन दुर्घटनाओं की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) १९५७ में ११ तथा १९५८ में अब तक १६ ।

(ख) १९५७ में ४ तथा १९५८ में अब तक ३ ।

(ग) दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही प्रत्येक मामले में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जिन दुर्घटनाओं में आदमी मर जाते हैं उनकी जांच खान निरीक्षालय करता है। ऐसी दुर्घटनाओं में जिसमें आदमी मरे इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य मामलों में अन्य प्रकार की उचित कार्यवाही की जा रही है ;

शिक्षित बेकारों के लिये प्रारम्भिक योजना

†**१३४०. श्री मणियंगाडन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेकारों की प्रारम्भिक योजना के अधीन केरल राज्य के कितने व्यक्ति प्रशिक्षण के लिये गये हैं ?

(ख) कितने प्रशिक्षार्थियों ने 'कारखानों में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है तथा कितने अब भी 'कारखानों में प्रशिक्षण' ले रहे हैं ।

(ग) 'कारखानों में प्रशिक्षण' की अवधि क्या है;

(घ) प्रशिक्षणावधि में प्रशिक्षार्थियों को कितना भत्ता तथा सुविधायें दी गई हैं;

(ङ) कितने प्रशिक्षार्थियों को नियुक्तियां मिल गई हैं तथा वे किन स्थानों पर नियुक्त हुए हैं; और

(च) शेष प्रशिक्षार्थी कब तक नियुक्त हो जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (च). एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

विवरण

(क) नौ महीने का प्रशिक्षण केरल के ३७५ व्यक्तियों को दिया गया जिसमें से १९४ ने पहले बैच में शिल्प परीक्षा पास कर ली ।

(ख) 'कारखानों में प्रशिक्षण' अभी किसी ने भी पूरा नहीं किया है । पहले बैच के १५६ प्रशिक्षार्थी 'कारखानों में प्रशिक्षण' प्राप्त कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) 'कारखानों में प्रशिक्षण' सामान्यतः ४ से ६ महीने का होता है परन्तु प्रशिक्षार्थी की योग्यता तथा शिल्प की कठिनाई के कारण यह ६ महीनों से अधिक का भी हो सकती है।

(घ) केरल राज्य में प्रारम्भिक प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षणार्थियों को ४५ रुपये मासिक वृत्ति दी गई। इसके अतिरिक्त उन्हें मुफ्त वर्दी, चिकित्सा सहायता तथा खेलों की सुविधायें दी गईं। मद्रास नगर तथा केरल में भारत सरकार के वर्कशाप में 'कारखाने के भीतर प्रशिक्षण' के लिये प्रशिक्षार्थियों को क्रमशः ६० रुपये तथा ४५ रुपये प्रति मास वृत्तिका के रूप में दिये जा रहे हैं।

(ङ) अभी तक कोई प्रशिक्षणार्थी नियुक्त नहीं हुआ है क्योंकि अभी वे 'कारखानों में प्रशिक्षण' ले रहे हैं।

(च) प्रशिक्षणार्थियों को नियुक्ति देने के प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब उनका 'कारखानों में प्रशिक्षण' संतोषजनक रूप में पूरा हो जायेगा।

घट्टी गांव में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१३४१. **श्री ओंकार लाल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री १३ मार्च, १९५८ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा जिले के 'घट्टी' कोलोनी में पूर्वी पाकिस्तान के कितने और विस्थापित परिवारों को बसा दिया गया है; और

(ख) इसके लिये कितनी धन राशि स्वीकार की गई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) १६५ परिवार। घट्टी कालोनी में इस समय कुल २१३ विस्थापित परिवार हैं।

(ख) गोर्धनपुरा, परनिया, तथा घट्टी गावों में पुनर्वास योजना लागू करने के लिये ३५·२१ लाख रुपये स्वीकार किये गये हैं।

राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

†१३४२. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर जून १९५८ तक गत तीन वर्षों में वर्षवार तस्कर व्यापार तथा पशु चुराने के कितने मामलों का पता लगा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा उठाये पशुओं के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :—

१-७-५५ से ३०-६-५६ तक	४३४
१-७-५६ से ३०-६-५७ तक	६६७
१-७-५७ से ३०-६-५८ तक	१०८७

तस्कर व्यापार के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :—

१९५६	५४१
१९५७	३०४
१९५८ (अक्तूबर १९५८ तक)	३१६

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित लेखे सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०-टी० १११२/५८]

व्यापार समझौते

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) भारत सरकार तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार के बीच दिनांक १६ नवम्बर, १९५८ का व्यापार समझौता ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१११३/५८]

(२) पोलैंड लोक गणराज्य की सरकार तथा भारत सरकार के बीच दिनांक ३ अप्रैल, १९५६ के व्यापार समझौते का, जिस पर वारसा में १५ नवम्बर, १९५८ को हस्ताक्षर किये गये थे, प्रारूप ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-१११४/५८]

(३) भारत सरकार और जर्मन लोक गणराज्य की सरकार के बीच अनुपूरक व्यापार समझौता, जिस पर बर्लिन में ३ नवम्बर, १९५८ को हस्ताक्षर किये गये थे ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-१११५/५८]

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ३ दिसम्बर, १९५८ को सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि "हम काफी का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं और गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष इसका उत्पादन लगभग दुगना हुआ है ।" मैं यह कहना चाहता था गत कुछ वर्षों में इसका उत्पादन लगभग दुगना हो गया है । वास्तविकता यह है कि १९५४-५५ वर्ष के आंकड़ों से यदि १९५७-५८ के आंकड़ों की तुलना की जाये तो पता लगता है कि उत्पादन दुगना हो गया है ।

†**श्री तंगामणि (मदुरै)** : मैं जानना चाहता हूं कि १९५७-५८ का उत्पादन कितना है तथा १९५८-५९ में कितने उत्पादन का अनुमान है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : यह एक अलग प्रश्न है जो इस वक्तव्य से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री तंगामणि** : श्रीमान्, आपने निदेश दिया था कि किसी उत्तर की शुद्धि किये जाने पर प्रश्नों की आप अनुमति देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि के मामलों में मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देता रहा हूं । शायद यह "निदेशों" में भी दिया हुआ है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे इसका पता नहीं । मैं उत्पादन आंकड़े बताता हूं । यह लगभग ४३,५०० हैं ।

जानकारी का प्रश्न

†**श्री रंगा (तेनालि)** : माननीय मंत्री ने कुछ क्षण पूर्व व्यापार समझौतों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी हैं; मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा विदेशों से किये गये इन समझौतों की प्रतियां इतने विलम्ब से सभा-पटल पर क्यों रखी गई हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : समझौतों पर हस्ताक्षर बहुत अधिक दिन पहले नहीं हुए हैं । रूस, जर्मन लोक गणराज्य तथा पोलैंड से इन समझौतों पर नवम्बर में हस्ताक्षर हुए हैं ।

†**श्री रंगा** : सभा तो १७ नवम्बर को समवेत हुई थी ।

†**श्री सतीश चन्द्र** : रूस से समझौते पर १६ नवम्बर को हस्ताक्षर हुए थे । ये समझौते शिष्टमंडल द्वारा अपने साथ लाये गये थे । इनका मंत्रिमंडल में परिचालन किया गया । मंत्रिमंडल में विचार करने के पश्चात् अन्य मंत्रालयों में इनको भेजा गया और तब सभा-पटल पर इन्हें रखा जा रहा है ।

†**श्री फीरोज गांधी** (राय बरेली) : समझौतों पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् मंत्रिमंडल ने इन पर विचार किया !

†**श्री सतीश चन्द्र** : नये समझौतों के बारे में मंत्रिमंडल को सूचना देनी होती है ।

†**श्री रंगा** : अगले वर्ष इस बात का ध्यान रखिये ।

लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब १० दिसम्बर, १९५८ को श्री हजारनवीस द्वारा प्रस्तुत लोक-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी । इसके लिये आवंटित ५ घंटों में से ३ घंटे तथा ३४ मिनट समाप्त हो चुके हैं । अब एक घंटा तथा २६ मिनट शेष हैं । श्री हेम राज अपना भाषण जारी रखें ।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम राज :** (काँगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, रिप्रेजेंटेशन आफ़ दी पीपुल (अमेंडमेंट) बिल जो कि सदन के सामने है और जिस पर कि यहां माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, जितने भी भाषण यहां पर हुए हैं उन सब में यही मत प्रकट किया गया है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए या पबलिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट कर देना चाहिये। मैं भी उस मांग को सपोर्ट करता हूं और वाक़ई में यह बहुत महत्व का बिल है। हमारे हिन्दुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वह संसार में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम ने सब से पहले जो रिप्रेजेंटेशन आफ़ दी पीपुल ऐक्ट बनाया था, दो ऐक्ट आपने बनाये थे, उनमें जैसे-जैसे आप तजुर्बा करते जा रहे हैं, वैसे-वैसे आप उनमें तरमीमें भी करते जा रहे हैं। जो पहले ऐक्ट बनाया था और उसके बाद जो पहले जनरल एलेक्शन हुए तो उससे जो तजुर्बात हमें हासिल हुए, एलेक्शंस की बिना पर एलेक्शन कमिशन को जो तजुर्बात हासिल हुए और उनकी बिना पर जो उसने अपनी रिपोर्ट लिखी, उसको ध्यान में रखते हुए आपने उस ऐक्ट को अमेंड किया। उसके बाद फिर अब यह दूसरा बिल ला रहे हैं। यह ठीक है कि जो पहला बिल था और तजुर्बे की बिना पर जो उसमें ख़ामियां और कमियां पाई गईं, उनको इस में पूरा कर दिया गया है लेकिन तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसको बिलकुल मुकम्मिल तौर पर पूरा कर दिया गया है। इसके अलावा ऐलेक्शन कमिशन की सेकेंड जनरल एलेक्शन के सम्बन्ध में अभी तक रिपोर्ट भी नहीं आई है और इसलिए जो यह सेलेक्ट कमेटी को भेजने या पबलिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट करने की मांग की जा रही है, वह समझ में आने वाली चीज़ है। हमारे पास उसके लिए दो, तीन ही तर्क हैं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेम राज जरा बैठें। मुझे माननीय उपाध्यक्ष ने अभी बताया कि श्री हजारनवीस ने कल यह कहा था कि वह विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने को तैयार हैं। माननीय विधि मंत्री का विचार है शायद एक ही विषय ऐसा है जिस पर कुछ मतभेद है। वह सोचते हैं कि एक प्रवर समिति नियुक्त की जाये जो सोमवार तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे। इसलिए विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि प्रवर समिति में श्री हेम राज को भी रखें जिससे वह अपने सुझाव वहां प्रस्तुत कर सकें।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** पडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन संख्या २३ है। परन्तु उस संशोधन से क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है। श्री वाजपेयी तथा श्री आसर का संशोधन संख्या २७ स्वीकार करन योग्य हैं परन्तु अवधि अगले सत्र के पहले दिन के स्थान पर सोमवार तक रखी जानी चाहिए।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मेरा संशोधन यह था कि इस विधेयक के साथ माननीय सदस्यों के सुझावों, संशोधनों तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामलों पर और मूल अधिनियमों की ऐसी धाराओं पर भी जिनका इस विधेयक में उल्लेख न हो विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिये। पहले भी इस प्रकार की अनुमति दी जा चुकी है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक की प्रवर समिति को यह अधिकार दिये गये थे कि वह विधेयक में उल्लिखित संशोधनों के अलावा अन्य संशोधनों और धाराओं पर भी विचार कर सकती है।

आप जानते हैं कि यहां पर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चुनावों का अनुभव है तथा जो अच्छे सुझाव दे सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप प्रवर समिति को ऐसे अधिकार दे दें जिससे सभी प्रकार के सुझावों तथा संशोधनों पर विचार किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय विधि मंत्री इस पर उचित ध्यान देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : लेकिन तब प्रवर समिति इस सोमवार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकती है क्योंकि इसका कार्य बहुत बढ़ जायेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मुझे खेद है कि मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं । जहां तक लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम सम्बन्धी मूल विधि का सम्बन्ध है, इसमें संशोधन करने के सुझाव मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दिये जाते हैं । यह तो सभी जानते होंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन समय समय पर बुलाते हैं और जब भी कभी वह किसी संशोधन को आवश्यक समझते हैं तभी अपनी सिफारिशें सरकार को भेज देते हैं । इन सिफारिशों के आधार पर, सरकार लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करती है । यह बड़ा ही अनुचित होगा यदि मुख्य चुनाव आयुक्त का परामर्श लिये बिना ही प्रवर समिति कोई सुझाव दे । यह विधेयक भी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा बताई गई बातों के आधार पर सरकार ने संसद् के समक्ष रखा है । इसलिये मेरा विचार है कि हम इस विधेयक तक ही अपने विचार सीमित रखें ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं यह बताना चाहता हूं कि यदि माननीय सदस्यों के अनुभव का लाभ नहीं उठाया गया तो क्या यह अनुचित नहीं होगा । श्री राम कृष्ण तथा श्री तंगामणि के इस सम्बन्ध में दो गैर-सरकारी विधेयक भी सभा में पुरस्थापित किये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को अपने सुझावों को मुख्य चुनाव आयुक्त को भेज देना चाहिये । यह एक बड़ा विवादास्पद विषय है और हो सकता है प्रवर समिति में सभी दल एकमत न हों ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं सभा को कुछ समय पूर्व बता चुका हूं कि लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने वाले सुझावों को हमें अथवा मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा जा सकता है । मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त से बातचीत की है । वह विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाते हैं तथा बातचीत करते हैं । यदि सम्मेलन में इस में कुछ परिवर्तन करने का विचार किया जाता है तो हमें उसकी सूचना दे दी जाती है । इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने की कोई वजह दिखाई नहीं देती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री थोड़ी देर बाद अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें । मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन को इस प्रस्ताव का संशोधन मान कर सभा में मतदान के लिए रखूंगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : कम से कम गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों को तो इसके साथ सम्बद्ध कर दिया जाये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : इन में से एक विधेयक में निहित सुझाव को विधेयक में रख लिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे स्थगित करता हूं अब अगले विषय पर चर्चा होगी ।

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमान्, यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है। यह विधेयक उक्त अधिनियम के कुछ मामलों का स्पष्टीकरण करने व कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये बनाया गया है। इस विधेयक में मंत्रियों तथा संसद के अधिकारियों को राज्य सभा के सभापति को छोड़ कर, रेलवे का प्रथम श्रेणी का नि:शुल्क अहस्तान्तरिणीय पास देने का उपबन्ध किया गया है जिससे वे किसी भी भारतीय रेलवे में किसी भी समय प्रथम श्रेणी में नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगे।

अब मैं कुछ औपचारिक संशोधनों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

खंड (२) में 'सत्र की समाप्ति' शब्दों का, जो कि मूल अधिनियम की धारा (२), खण्ड (घ), उपखण्ड (१) में आये हैं, इस संशोधन में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी सदस्य का दैनिक भत्ता लगाने के लिये उसका कत्तव्य वास-काल उस दिन के हिसाब से गिना जायेगा जिस दिन से संसद् का सदन अनिश्चित तिथि तक स्थगित हुआ हो अथवा जिस दिन से सभा ७ दिन से अधिक अवधि के लिये स्थगित हुई हो। इस संशोधन की इसलिये आवश्यकता पड़ी कि कहीं मूल अधिनियम के "सत्र के अन्त से" शब्दों का अर्थ यह न लगाया जाये कि जिस दिन से सभा का सत्रावसान हुआ हो। प्राय: सदस्यों को सत्रावसान के तीन दिन बाद तक सभा के स्थान पर ठहरने का भत्ता उसी हिसाब से मिलता है जैसे कि मानो वे कर्तव्य पर ठहरे हुए हों। किन्तु मूल अधिनियम में 'सत्र के अन्त' शब्दों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये यह स्पष्ट करना जरूरी था कि सत्र के दौरान में कर्तव्य वास-काल दैनिक भत्ता तभी बन्द होगा जबकि इस बीच सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई हो या ७ दिन से अधिक अवधि के लिये स्थगित हुई हो। अब भी हम इसी हिसाब से दैनिक भत्ते की गणना करते हैं। किन्तु भविष्य में इन शब्दों से किसी प्रकार की भ्रान्ति न पैदा हो इसलिये यह स्पष्टीकरण किया गया है।

इसी प्रकार से तथा इसी अभिप्राय से इस विधेयक के खण्ड ६ में मूल अधिनियम की धारा (७) के "एक सत्र की समाप्ति" शब्दों के स्थान पर "एक सभा के आस्थगन" शब्द रखने का संशोधन रखा गया है।

सभा के सदस्यों को ज्ञात है कि प्रत्येक सदस्य को कर्तव्य पर रहने पर २१ रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। किन्तु कभी-कभी जब सदस्य संसदीय समितियों के कार्य के लिये उनके कार्यालय स्थान पर ठहरते हैं तो वे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय के अतिथि बन कर रहते हैं। ऐसी दशा में उनको पूरा भत्ता देना उचित नहीं समझा गया है। किन्तु मूल अधिनियम में ऐसी स्थिति में कम भत्ता देने का कोई उपबन्ध नहीं था। इस अधिनियम पर विचार करने के लिये बनाई गई संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की थी कि ऐसी दशा में सदस्य को कम भत्ता देने के लिये या उसके दैनिक भत्ते में से कुछ राशि काटने के लिये नियम बनाये जाने चाहियें। इस विधेयक के खंड ३ और ७ में ऐसे नियम बनाये गये हैं। वस्तुत: यह नियम भी संयुक्त समिति ने बनाये थे किन्तु इनको वैध रूप देने के लिये इन्हें इस संशोधन विधेयक में रखा गया है।

इसी प्रकार यह निश्चय किया गया है कि जब कोई संसद् सदस्य संसदीय कर्तव्यों का पालन करने के लिये विदेश यात्रा करता है तब उसके दैनिक भत्ते वा यात्रा भत्ते का निश्चय भी इसी अधिनियम के अन्तर्गत होना चाहिये। अब तक प्रत्येक मामले में वित्त मंत्रालय से परामर्श करके भिन्न-भिन्न राशियां निश्चित की जाती थीं। लेखा परीक्षक अधिकारियों ने इस पर कई बार यह आपत्ति उठाई है कि जब संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों का निश्चय करने के लिये एक पृथक् अधिनियम है तब उनके विदेश यात्रा के समय दैनिक भत्ते तथा यात्रा भत्ते का निश्चय भी उसी अधिनियम के अनुसार किया जाना

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

चाहिये । इसलिये इस विधेयक के खंड ४ से ७ में यह उपबन्ध कर दिया गया है कि इस प्रकार का दैनिक तथा यात्रा भत्ते का संयुक्त समिति द्वारा मूल अधिनियम की धारा (९) के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निश्चय किया जाये । खंड ४ में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई सदस्य नियमित जलपान के अतिरिक्त किसी अन्य जल पान द्वारा ऐसी यात्रा करे तो उसके भत्तों का कैसे निश्चय किया जायेगा । मूल अधिनियम में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं था और प्रायः ऐसे समय के भत्तों का निश्चय करना कठिन हो जाता था । इस विधेयक में संयुक्त समिति को ऐसे यात्रा भत्तों का विनियमन करने के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है ।

इसी प्रकार जो चुनाव के बाद संसद् सत्र में भाग लेने के लिये पहली बार दिल्ली आते हैं उनको यहां आने के लिये तथा सदस्यता की समाप्ति पर यहां से जाने के लिये जो नकद यात्रा भत्ता दिया जाता है उसके बारे में भी कुछ त्रुटियां देखने में आई हैं । इन त्रुटियों को दूर करने के लिये इस विधेयक में यह उपबंध कर दिया गया है कि जहां कहीं भी नकद भत्ते दे दिये गये हों या दिये जाने वाले हों वहां यह समझना चाहिये कि वे नियमों के अनुसार उचित रूप से दिये गये हैं । हम ऐसे सब भुगतानों को भूतलक्षी प्रभाव से वैध करार देना चाहते हैं ताकि बाद में उनके बारे में कोई आपत्ति न उठाई जा सके ।

इसके बाद इस विधेयक में संयुक्त समिति के सदस्यों की कार्यकाल अवधि तथा उसकी आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति के बारे में नियम बनाये गये हैं । इससे पहले संयुक्त समिति ने इस सम्बन्ध में अपने कुछ नियम बनाये हुए थे । इन नियमों को शक्ति परस्तात घोषित कर दिया गया था । इसलिये अब इस विधेयक के खंड ७ (क) में इनके कार्यकाल की अवधि एक वर्ष निश्चित कर दी गई है और आकस्मिक रूप से रिक्त होने वाले स्थानों की पूर्ति के बारे में भी नियम विहित कर दिये गये हैं ।

अधीनस्थ विधान समिति के सामान्य प्रक्रिया व सिफारिशों के अनुसार संयुक्त समिति द्वारा बनाये गये सभी नियमों तथा उनके संशोधनों एवं रूपान्तरों को कम से कम ३० दिन के लिये संसद् के पटल पर रखने का उपबन्ध कर दिया गया है ।

सबसे अधिक सारवान संशोधन खंड ५ में किया गया है । इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि एक मंत्री की, जैसा कि इस शब्द की मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ में परिभाषा की गई है, और एक संसद् अधिकारी को, जैसा कि इस शब्द की संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ में परिभाषा की गई है, राज्य सभा के सभापति को छोड़ कर, किसी भी भारतीय रेलवे पर किसी भी समय यात्रा करने के लिये प्रथम श्रेणी का एक निःशुल्क पास प्रदान किया जायेगा । वर्तमान स्थिति यह है कि संसद् के सदस्यों को तो यह सुविधा प्राप्त थी किन्तु मंत्रियों तथा संसद् के अधिकारियों तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उपसभापति को यह सुविधा नहीं प्राप्त थी । उनके पद की मर्यादा तथा कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुए यह नितान्त एवं स्वाभाविक दीखता है कि उनको यह सुविधायें दी जायें । यद्यपि यह सत्य है कि मंत्रियों तथा संसद् के पदाधिकारियों को अपने-अपने वेतन तथा भत्तों के अधिनियमों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता देने का उपबन्ध है .....

†**अध्यक्ष महोदय** : आप इस बात पर अधिक बल देकर यह प्रकट कर रहे हैं कि मानो उनको कोई नई रियायत दी जा रही है जबकि आपका अभिप्राय शायद यह है कि अब मंत्रियों, संसद् के पदाधिकारियों तथा संसद् सदस्यों का भेद भाव मिट गया है । मंत्री और संसदीय पदाधिकारी भी पहले संसद्

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य होते हैं फिर अधिकारी। इसलिये उनको वे सभी सुविधाएं देने का विचार किया गया जो कि सामान्य सदस्यों को भी उपलब्ध है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : एक ग़ैर सदस्य भी मन्त्री हो सकता है। तब क्या आप उसको भी यह सब सुविधायें देंगे ?

†**श्री सत्य नारायण सिन्हा :** जी नहीं, किन्तु ऐसे मामले बहुत कम होते हैं।

इस प्रकार आप देखते हैं कि मैं ने सभा के सम्मुख ऐसे प्रस्ताव ही प्रस्तुत किये हैं जोकि बिल्कुल विवाद-रहित हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा इनको स्वीकार करने की कृपा करेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : श्रीमान्, इस विधेयक में सरकारी पक्ष के कुछ पदाधिकारियों को कुछ अन्य सामान्य सुविधायें देने के लिये कहा गया है। श्रीमान् हमें केवल यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में ही नहीं बल्कि इस सर्वप्रभुत्व सम्पन्न संस्था के सदस्यों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं के बारे में भली भांति विचार करना चाहिये। हमारे देश में राजनीतिक दलों का संगठन इतना पूर्ण नहीं कि वह अपने प्रतिनिधि को उसके निर्वाचन क्षेत्र की पूरी जानकारी देते रहें। लोगों के साथ तथा अपने दल के नेताओं के साथ सम्पर्क बनाये रखने के लिये एक सदस्य को बहुत बार इधर उधर जाना पड़ता है। किन्तु हमारे देश का विस्तार इतना लम्बा चौड़ा है और आने जाने के साधन इतने पिछड़े हुए हैं कि प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में दो या तीन दिन लग जाते हैं। ऐसी दशा में हम अपने क्षेत्रों की जनता के साथ कैसे सम्पर्क बनाये रख सकते हैं ? इसलिये मैं माननीय मन्त्री को यह अपील करना चाहता हूं कि वह इस सम्पूर्ण प्रश्न पर गौर करें और फिर सभी सदस्यों को दक्षता से कर्तव्य निभाने के लिये यथासम्भव सुविधायें देने वाला एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें। जहां तक रेल यात्रा सम्बन्धी इस विशेष सुविधा का सम्बन्ध है मैं समझता हूं सभी सदस्यों को वायु यात्रा की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दूर के इलाकों से आने वाले सदस्यों के लिये विमान द्वारा यात्रा करने की कोई सुविधा नहीं दी गई है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं।

†**श्री सत्य नारायण सिन्हा**: इस सम्बन्ध में हम श्री केशव द्वारा रखे गये संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं।

†**श्री खाडिलकर** : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह श्री केशव का संशोधन स्वीकार कर रहे हैं। किन्तु सदस्य को प्रथम श्रेणी के रेलवे भाड़े और विमान के भाड़े में जो अन्तर होगा वह देना पड़ेगा। अब इतना रुपया भी केवल वही सदस्य दे सकता है जिस का कोई अपना व्यापार चलता हो। शेष लोगों के लिये इतना व्यय कर सकना बड़ा कठिन होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी सदस्यों को विमान द्वारा पूर्णतया निशुल्क यात्रा करने की सुविधा दी जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि छोटे सत्रों में सत्र के दौरान में कम से कम एक बार अपने निर्वाचन क्षेत्र तक व उससे वापस आने के लिये विमान यात्रा करने की अनुमति जरूर दी जानी चाहिये। और बड़े सत्रों में दो बार विमान यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कौन सा संशोधन स्वीकार करना चाहते हैं ?

†**श्री केशव** (बंगलौर) : संख्या २८ ।

†**श्री खाडिलकर** : श्रीमान् हम को प्रथम श्रेणी का पास दिया जाता है। किन्तु हम से 'डिलेक्स' गाड़ियों या एयर कन्डीशन्ड गाड़ियों में यात्रा करते समय टेलेसकोपिक रेट से अन्तर लिया जाता है। इस पर सभी प्रकार के कर, जैसे रेलवे यात्रा पर अतिरिक्त कर (सर चार्ज) भी लिया जाता है। इसी प्रकार रात के समय स्लीपिंग बर्थ रिजर्व कराने का पृथक् भाड़ा वसूल किया जाता है। मैं समझता हूं कि ऐसी सुविधाओं के लिये हम से कुछ नहीं लिया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरा एक और सुझाव है। हमें संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिये बहुत से टिप्पण पत्र आदि लिखने पड़ते हैं तथा तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिये प्रत्येक सदस्य कार्यालय बनाने की समर्थ नहीं रखता। इसलिये सदस्यों को ग्रुपों में बांट कर प्रत्येक ग्रुप को एक एक स्टेनो या सहायक की सेवायें उपलब्ध की जानी चाहियें। इसी प्रकार सदस्यों को अपनी डाक पर टिकट लगाने से छूट दी जानी चाहिये। इसलिये इस विधेयक को इस प्रकार से बनाना चाहिये कि इस में इन सभी सुविधाओं का उपबन्ध हो जाये।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब पिछले विषय को निपटा दिया जाये। विधि मंत्री अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं।

संशोधन किया गया :

"कि विधेयक को श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन, श्री रंगा, श्री द्वारिका नाथ तिवारी, श्री प्र० चं० बोस, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री ई० ईयाचरण, श्री राधाचरण शर्मा, श्री जगन्नाथ राव, श्री अगाड़ी, श्री हेम राज, श्री पन्नालाल बारूपाल, श्री च० द० पाण्डे, श्री जमाल ख्वाजा, डा० रामगोती बनर्जी, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री अ०मु० तारिक, श्री पद्म देव, श्री श्रीनारायण दास, श्री नलदुर्गकर, श्री सुन्दरलाल, श्री वै०प० नायर, श्री ईश्वर अय्यर, श्री यादव नारायण जाधव, श्री विभूति भूषण दास गुप्त, श्री मी० रु० मसानी, श्री वा० चं० कामले, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री सुरेन्द्र महन्ती, श्री ब्रज राज सिंह, श्री हजारनवीस तथा प्रस्तावक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे १५ दिसम्बर, १९५८ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।"

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) बिधेयक--जारी

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस विधेयक के जरिये सब से बड़ी तब्दीली यह की जा रही है कि मंत्रियों को अब रेलवे पास भी दिये जायें। इसलिये, इस पर विचार करते समय, हम में से कुछ संसद्-सदस्य यह भी चाहते है कि संसद-सदस्यों को विमान-यात्रा की सुविधायें भी दी जायें।

---

†ल अंग्रेजी में

श्री खाडिलकर न इस मांग के औचित्य को काफी जोरदार ढंग से रखा है। सरकार इस का विरोध क्यों करती है ? इस का एक कारण मितव्ययता है और दूसरा यह कि विमान-यात्रा के पासों का दुरुपयोग किया जायगा ।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

मितव्ययता की दलील कोई अधिक मायने नहीं रखती, क्योंकि यदि संसद्-सदस्यों को एक सीमित संख्या में विमान-यात्रायें करने के लिये पास दे भी दिये जायें, तो उस पर कोई अधिक व्यय नहीं होगा। लेकिन मंत्रिगण अपने यात्रा भत्ते में मितव्ययता क्यों नहीं करते। मंत्रियों और उपमंत्रियों के देश और विदेश के दौरों पर १९५५-५६ से १९५७-५८ तक कुल २० लाख ३० हजार रुपये व्यय किये गये है। मितव्ययता क्या संसद्-सदस्यों के लिये ही है ?

दुरुपयोग की बात यह है कि उस की रोकथाम की जा सकती है । मेरे संशोधन में, इसीलिये यह सुझाया गया है कि प्रत्येक संसद्-सदस्य को वर्ष भर में निःशुल्क विमान-यात्रा के लिये कुल १२ कूपन दे दिये जायें। तब तो उन के दुरुपयोग का कोई प्रश्न ही नहीं रह जायगा ।

इस पर इतना कोई व्यय भी नहीं होगा। मंत्रियों और उपमंत्रियों के दौरों से तो कहीं कम ही व्यय होगा। मंत्रियों, उपमंत्रियों और संसद्-सदस्यों में इतना भेद-भाव नहीं करना चाहिये ।

दूसरी चीज़ यह है कि सरकार अपने साधारण अधिकारियों को भी निःशुल्क कारें देती है, जिन पर प्रतिकार प्रति माह ५००–६०० रुपये व्यय होते हैं। वे ऊंचे दर्जे में या वातानुकूलित डिब्बे में भी यात्रायें कर सकते हैं, और उस के लिये उन्हें ऊंचे दर्जे के किराये और उन को जिस दर्जे से यात्रा करने का हक़ हो, उस दर्जे के किराये के अन्तर का एक-तिहाई अदा करना पड़ता है। लेकिन सरकार संसद्-सदस्यों को इतनी सुविधा भी देने को तैयार नहीं है। उन से सरकार दोनों किरायों के अन्तर का एक-तिहाई लेने को तैयार नहीं है। उन्हें अन्तर की पूरी राशि भरनी पड़ेगी। सरकार संसद्-सदस्यों को इतनी भी रियायत देने की मेहरबानी क्यों कर रही है ?

४०३ संसद्-सदस्यों के साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार किया जाता है। नार्थ एवन्यू और साउथ एवन्यू से संसद् तक आने के लिये संसद्-सदस्यों के वास्ते जो बसें चलाई जाती थीं, उन को भी एका-एक बन्द कर दिया गया था। इस पर मैं ने प्रधान मंत्री को लिखा था। दिल्ली परिवहन उपक्रम का कहना है कि दो वर्षों में इन बसों पर १०,००० रुपये की हानि हुई थी। इस का मतलब यह है कि हर महीने ४०० रुपये की हानि हुई थी। सरकार हर महीने संसद्-सदस्यों पर ४०० रुपये भी खर्च करने के लिये तैयार नहीं ? उसे यह मंजूर है कि ४०३ संसद्-सदस्यों को वर्ष भर असुविधा होती रहे। इस पर काफ़ी गरमा-गरमी के बाद ही बसें चलनी शुरू हुई हैं—लेकिन अभी भी वह स्थायी आधार पर नहीं हैं ।

बम्बई में नगरपालिका निगम के सदस्यों के लिये भी बस सेवा निःशुल्क है, और उन्हें प्राथमिकता दी जाती है ।

संसद्-सदस्य अपने-अपने पेश छोड़ कर, अपने धन्धे छोड़ कर, यहां संसद् की सेवा करने आते हैं ४०० रुपये महीने पर, जिस में से १०० रुपये मकान किराये में चले जाते हैं। उन्हें ३०० रुपयों से अपने घर का और यहां दिल्ली में रहने का खर्च चलाना पड़ता है। तब भी हमारे समय की कोई क़ीमत नहीं समझी जाती। जबकि सरकार मंत्रियों के दौरों पर २० लाख रुपये खर्च कर सकती है।

[श्री नौशीर भरूचा]

मुझे टाटा आइरन एण्ड स्टील वर्क्स देखने के लिये जमशेदपुर जाने में चार दिन लगाने पड़े, जबकि मैं एक दिन में वह कर सकता था। फिर संसद्-सदस्यों को देश की परियोजनाओं का वहां जा कर अध्ययन करने का समय कैसे मिल सकता है ?

मैं जोर दे कर कहता हूं कि संसद्-सदस्यों के साथ उचित बर्ताव होना चाहिये। उन के समय की क़ीमत समझी जानी चाहिये। सरकार इस्पात कारखानों के परामर्शदाताओं पर नौ करोड़ रुपये ख़र्च कर देती है, लेकिन संसद्-सदस्यों को सुविधा जुटाने के प्रश्न पर मितव्ययता का रोना ले कर बैठ जाती है।

मैं ऐसे बर्ताव का विरोध करता हूं। संसद्-सदस्यों को विमान यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिये।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज़ा) : मैं श्री नौशीर भरूचा की कई बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन इस से सहमत हूं कि संसद्-सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता।

सरकार ने इस विधेयक को रखने से पहले अन्य दलों के सदस्यों से परामर्श तक नहीं किया है।

गत संसद् में जब ऐसा विधेयक रखा गया था तो सभी दलों के प्रतिनिधियों से काफी परामर्श किया गया था। उस समय माननीय प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार उन सुविधाओं से संतुष्ट नहीं है और वह शीघ्र ही अधिक सुविधायें जुटाने का प्रयास करेगी। लेकिन अब ?

इस विधेयक के सम्बन्ध में तो दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श तक नहीं किया गया। मैं मानता हूं कि देश की हालत देखते हुए अभी इस समय संसद् सदस्यों के लिये सभी उचित और आवश्यक सुविधायें नहीं जुटाई जा सकतीं लेकिन वर्तमान सीमाओं में रहते हुए भी जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है, उस का प्रयास तो सरकार को करना चाहिये।

मैं आप के सामने संसद्-सदस्यों की कुछ वास्तविक समस्यायें रखना चाहता हूं। हम केरल से आने वाले संसद्-सदस्यों को वर्ष में तीन बार यहां आना पड़ता है, यानी छः यात्रायें करनी पड़ती हैं, और हर यात्रा में साधारणतया चार दिन लग जाते हैं। और, फिर रेलवे स्टेशन से अपने शहर या कस्बे के लिये बस से जाना पड़ता है। इस प्रकार हमें हर बार आने-जाने में १० दिन लगाने पड़ते हैं। फिर हमें अपने निर्वाचन-क्षेत्रों इत्यादि में भी जाना पड़ता है। इस प्रकार हमें वर्ष में १२० दिन ट्रेन में बिताने पड़ते हैं।

मनीपुर, त्रिपुरा इत्यादि जैसे स्थानों तक तो रेलवे सुविधायें हैं ही नहीं। वहां के संसद्-सदस्यों का काम तो विमान-यात्रा की सुविधा जुटाने से ही चल सकता है।

हमें १,८०० मील दूर से आना पड़ता है। फिर भी हमारी कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

मैं यह भी नहीं चाहता कि कर-दाताओं का भार बढ़ाया जाये। लेकिन अपने निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली तक विमान द्वारा आनेजाने की सुविधा तो जुटाई ही जानी चाहिये। जहां तक रेल किराये और विमान के किराये का अन्तर अदा करने की बात है, केरल के संसद्-सदस्यों को तो ४०० रुपये उस पर ही खर्च करना पड़ जायेंगे। हम इतना खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वैसे यह व्यवस्था रहने दी जाये । लेकिन दूर के स्थानों से आने वाले संसद्-सदस्यों की विमान-यात्राओं की संख्या सीमित की जा सकती है ।

अन्य समस्याओं पर भी विचार किया जाना चाहिये ।

मैं चाहता तो यह था कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये । हमें ऐसे निर्णय करने में इतनी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिये । फिर भी हमें इस पर बड़ी सावधानी से और पूरे ब्यौरे के साथ विचार करना चाहिये । साथ ही हमें देश की वर्तमान स्थिति और आवश्यक मित-व्ययता को भी नहीं भूलना चाहिये । मैं चाहता हूं कि मेरे सुझावों पर विचार किया जाये ।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (बल्लारी) : मेरा पहला सुझाव तो यह है कि बहुत दूर-दूर के राज्यों से आने वाले संसद्-सदस्यों को निःशुल्क विमान-यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिये ।

अब सवाल यह है कि कितनी बार विमान यात्रा करने की सुविधा दी जाये ? मेरा सुझाव है कि सत्र के दौरान में प्रति महीने एक विमान यात्रा की सुविधा रहनी चाहिये । हमें ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश के संसद्-सदस्य धनी-मानी घरानों के नहीं होते । इस से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं ।

एक सुझाव यह भी था कि संसद्-सदस्यों को स्टेनोग्राफर रखने की सुविधा भी दी जानी चाहिये । यह भी आवश्यक है क्योंकि अब संसद्-सदस्यों को अपना पूरा समय संसद् के लिये ही देना पड़ता है । हमें अपने निर्वाचन-क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने में ही लगे रहना पड़ता है । हमें औद्योगिक महत्व के स्थानों पर भी जाना पड़ता है । इस के लिये भी विमान-यात्रा आवश्यक है ।

इसलिये संसद् सदस्यों को निःशुल्क विमान यात्रा और स्टेनोग्राफर रखने की सुविधायें दी जानी चाहियें ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा)** : मेरा पहला सुझाव तो यह है कि संसद्-सदस्यों को अपने निर्वाचन-क्षेत्रों में आने जाने के लिये सरकारी वाहन मिलने चाहियें ।

दूसरा सुझाव यह है कि कम से कम ५५ वर्ष से अधिक आयु के संसद्-सदस्यों को एक नौकर की निःशुल्क यात्रा के लिये रेल पास और दिया जाना चाहिये । उन के लिये अकेले यात्रा करना कठिन होता है ।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने बिचार व्यक्त किये हैं । मुझे दुख है कि मैं बहुत से माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं हूं । इस में कोई शक नहीं है कि विधायकों को, चाहे वे राज्य विधान मंडलों में हों, चाहे वे इस संसद् के सदस्य हों, कुछ सुविधायें और अधिकार प्राप्त होते हैं और होने चाहियें । लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि स समय विधायकों को जो सुविधायें और अधिकार प्राप्त हैं, अगर उन पर हम दृष्टिपात करें, तो मैं समझता हूं कि वे सुविधायें बहुत ही अधिक हैं ।

एक माननीय सदस्य : तो उन को छोड़ दीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जगदीश अवस्थी : इस में कोई शक नहीं है कि देश की जनता की जो आमदनी है, जो उस का रहन-सहन है, यदि उस के समान ही या उस से कुछ कम ज्यादा हम विधायकों का भी रहन-सहन चलता रहे, तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि देश की जनता के रहन-सहन उन का सामान्य स्तर स्वतन्त्र भारत में बजाये बढ़ने के गिरता जा रहा है। इस स्थिति में यह अच्छा नहीं लगता है कि हम विधायकगण, जो कि उस सामान्य जनता का प्रितिनिधित्व करते हैं और यह दावा करते हैं कि हम गरीबों के सेवक हैं, उन का मत ले कर आते हैं, इस कारण कि हम को विशेष अधिकार प्राप्त हैं; हम एक अधिकार-सम्पन्न संस्था के सदस्य हैं और हम स्वयं कानून बनाते हैं, अपने रहन-सहन के स्तर को तो बढ़ाते जायें और जनता के रहन-सहन के स्तर का ध्यान न रखें। ब्रिटिश टाइम (काल) में हम जमींदारों और रईसों के वर्ग की आलोचना करते थे कि परतन्त्र भारत में जनता तो भूखों मर रही है और वे राजे महाराजे अपना एक वर्ग-विशेष बनाते जा रहे हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं। आज स्वतन्त्र भारत में राजाओं महाराजाओं को तो हम ने कानूनों के ारा बहुत नीचे कर दिया है, लेकिन हम विधायकगण अपना एक वर्ग विशेष बनाते जा रहे हैं और अपने लिये अधिकाधिक सुविधायें और अधिकार प्राप्त करते जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की जनता बहुत ध्यान से देख रही है कि अखिरकार इस देश के प्रतिनिधि क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं।

इस बिल में कहा गया है कि मंत्रियों को प्रथम श्रेणी का पास मिलना चाहिये। इस में कोई शक नहीं है कि मं ी गण भी इस सदन के सदस्य हैं और उन को भी पास मिलना चाहि , लेकिन मैं इस का वि ोध करता हूं। जब कोई सदस्य मंत्री बन जाता है, तो उस का वेतन और सुवि ा सामान्य सदस्यों की सुविधाओं से बढ़ जाती हैं। उन को अपना अधिकांश समय आफिशियल (सरका ी) काम में देना पड़ा है। हवाई जहाजों में उड़ा करते हैं, बहुत से खर्च बढ़ जाते हैं। इस के बाद भी उन को पास भी दिया जाना चाहिये, क्योंकि भी सदन के सदस्य हैं और उन को प्राइवेट काम हुआ करते हैं और उस के लिये जाने में उन को पैसा देना पड़ता है, इस से मैं सहमत नहीं हूं। इस सम्बन्ध में मुझे एक घटना याद आती है। कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। उस में भाग लेने के लिये एक मंत्री महोदय तृतीय श्रेणी में जा रहे थे और कुछ कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के सदस्य प्रथम श्रेणी में जा रहे थे। इस पर मंत्री महोदय में हीन भाव उत्पन्न हुआ कि मैं मंत्री हूं और थर्ड क्लास में जा रहा हूं और ये सदस्य प्रथम श्रेणी में जा रहे हैं। मैं समझता हू कि मंत्रीगण हवा में उड़ें, हवाई जहाज में चलें, तो ठीक मालूम होता है। लेकिन माननीय सदस्य गण भी एयर फैसिलिटीज चाहते हैं। वे भी हवा में उड़ना चाहते हैं। वे उड़ सकते हैं। उन को अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम को अनुभव करना चाहिये कि हम जो मांग करने जा रहे हैं, क्या जनता की आंखों में आंखें डाल कर, उस की विनाओं को दृष्टि में रख कर और उस के रहन सहन के स्तर को सामने रख कर हम उस मांग को रख रहे हैं। जब हम मत लेने जाते हैं, तो हम कितनी लल्लो-चप्पो की बातें करते हैं, लेकिन अधिकार सम्पन्न होने के बाद हम अपने पद को आकर्षक बनाते जा रहे हैं। मैं ो अनुभव करता हूं कि जहां तक मंत्रियों और सदस्यों के पदों का सम्बन्ध है, व्यक्तियों का दोष नहीं है, प ों में दोष है। अब हम स पद को अलंकृत, सुशोभित और आकर्षक बनाते जा रहे हैं। हम जितनी सुविधायें अपने लिये मांगते जायेंगे और अपने पद को अलंकृत करते जायेंगे, उतनी ही देश में पद-लोलुपता बढ़ती जायेगी। अगर यह नियम बना दिया जा कि संसद्-सदस्यों को कोई वेतन नहीं मिलेगा और उन को आनरेरी रूप में काम करना होगा, तो फिर देश में वही लोग चुनाव लड़ेंगे, जो कि सचमुच सेवा करना चाहते हैं। भरूचा साहब ने कहा कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, हम को फैसिलिटी मिलनी चहिये। बहुत ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य साधन-सम्पन्न हैं, जिन को सच मुच कहीं जल्दी जाना है, एयर (विमान) से जाना है, तो वे पैसा दे सकते हैं, डिफरेंस (अन्तर) दे सकते हैं। वे जायें, लेकिन हम जनता के धन पर हवा में उड़ना चाहते हैं। आज जनता का स्टैण्डर्ड ऊंचा नहीं है। अगर उस का स्टैण्डर्ड ऊंचा होता जाये, तो हम भी अपना स्तर ऊंचा करते जायें। मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं है।

इस समय सदस्यों को प्रथम श्रेणी का रेलवे पास मिला हुआ है, जिस से हम सारे देश में यात्रा कर सकते हैं घूम सकते हैं। मैं ने यह संशोधन रखा है कि हम लोग बजाय प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के द्वितीय श्रेणी में यात्रा करना प्रारम्भ कर दें। अगर ऐसा नियम बना दिया जाय, तो शायद जनता के बहुत निकट जा सकेंगे। हम रात दिन कहते रहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं। यह नियम होने से हम सचमुच ऐसे कहने के अधिकारी हो सकते हैं।

†**श्री खाडिलकर :** आप जनता के पास बैल गाड़ियों में जायें।

श्री जगदीश अवस्थी : अगर माननीय सदस्य ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब को शिकायत है कि पहले ही ओवर क्राउडिंग (भीड़) है, हम दूर नहीं कर सकते।

श्री जगदीश अवस्थी : इस में कोई शक नहीं कि वहां ओवर क्राउडिंग है। आज इस सदन में और बाहर भी तृतीय श्रेणी में पेश आने वाली तकलीफों की चर्चा की जाती है। हम कहते हैं कि वहां पानी नहीं मिलता है, लाइट नहीं मिलती है, पंखे का इन्तजाम नहीं है, ओवरक्राउडिंग है, वगैरह। मैं समझता हूं कि उस में यात्रा करने वालों को जो तकलीफें हैं, हम भी उस में हिस्सा बटायें। और हम पर भी वह सब बीतेगी, तो हम ज्यादा अच्छी तरह उन तकलीफों को अनुभव कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी तरह यहां उन के बारे में कह सकते हैं और उन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। मैं ने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि मंत्रीगण भी तृतीय श्रेणी में चला करें और साधारण यात्रियों की कठिनाइयों और हार्डशिप्स को अनुभव करें। लेकिन दुःख होता है कि हम स्वयं ऊंची श्रेणी में चलना चाहते हैं और कुछ लोग अनुभव करते हैं कि हम पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, हमारा बहुत ऊंचा पद है, हम को ऊंचा ही रहना चाहिये और तृतीय श्रेणी में यात्रा करने में हीनभाव का अनुभव करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने या ज्यादा भत्ता लेने से कोई सम्मान नहीं बढ़ता है। हमारे देश में इस बात का प्रमाण मौजूद है। महात्मा गांधी से बड़ा आदमी इस मुल्क में न पैदा हुआ है, न आज है और न पैदा होगा। इस सदन के सदस्यगण आखिर जानते हैं कि महात्मा गांधी शायद ही अपने जीवन में हवाई जहाज से चले हों या प्रथम श्रेणी में चले हों। अगर महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति तृतीय श्रेणी में चल कर. . .

†**श्री खाडिलकर :** महात्मा गांधी के लिये तो ठीक था, लेकिन अब पाखंड रह गया है।

श्री जगदीश अवस्थी : आप कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी (पाखंड) हो। मैं राष्ट्रपिता के लिये उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। आप उन के लिये कुछ भी कह सकते हैं।

मैं समझता हूं कि अगर महात्मा गांधी तृतीय श्रेणी में चल कर पैदल यात्रा कर के देश का उद्धार कर सकते हैं, तो हम लोग जो कि उन के अनुयायी होने और उन के चरण चिह्नों पर चलने का दावा करते हैं, भी तृतीय श्रेणी में यात्रा कर के अपना काम चला सकते हैं और इस में कोई हर्ज नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगदीश अवस्थी]

इस में कोई शक नहीं कि तृतीय श्रेणी में ओवरक्राउडिंग है और दूसरी कमियां हैं, लेकिन अगर हम लम्बी ट्रेन्ज के डिब्बों की बनावट को देखें, उन की सुविधाओं को देखें, तो हमें मालूम होगा कि वे डिब्बे प्रथम श्रेणी से अच्छे बने हुए हैं। सिर्फ फर्क यह है कि उन में गद्दे नहीं हैं। उन में गद्दे लग सकते हैं। जहां तक सोने का प्रश्न है, सोने के लिये बर्थ मिल सकते हैं।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा कश्मीर) : आनरेबल मेम्बर कौन सी क्लास में सफर करते हैं।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं अपना अधिकांश सफर तृतीय श्रेणी में करता हूं। मेरा नियम है कि जेल और रेल में रहता हूं, तो अपने मित्रों और साथियों के साथ तृतीय श्रेणी में रहता हूं। मैं ने कभी प्रथम श्रेणी की सुविधायें जेल में नहीं ली और रेल में भी जब अकेला होता हूं जब तक कोई मजबूरी न हो, तृतीय श्रेणी में ही चलता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि आखिरकार हम क्या करना चाहते हैं। और किस के लिये करना चाहते हैं। (**अन्तर्बाधायें**)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें सब कुछ आराम के साथ सुनना चाहिए।

†**श्री अ० मु० तारिक :** मैं उसी सिलसिले में एक छोटा सा वाकया बयान करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को वक्त दे दूंगा, उस वक्त आप कर लीजियेगा।

श्री अ० मु० तारिक : सिर्फ एक मिनट में मैं कहना चाहता हूं कि अभी मुअज्जिज मेम्बर साहब ने कहा कि जब वह अकेले होते हैं तो तीसरे दर्जे में सफर करते हैं। लेकिन एक बार जब वह कानपुर से आ रहे थे तो वह मेरे साथ सफर कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में वह आ रहे थे।

श्री जगदीश अवस्थी : मैं ने कहा था कि अगर मेरे मित्र प्रथम श्रेणी में होते हैं या द्वितीय श्रेणी में सफर करते हैं तभी मैं उन में सफर करता हूं, अन्यथा थर्ड में ही करता हूं।

तो मैं यह नहीं कहता कि सचमुच हम सब समान हो जायेंगे लेकिन हम ने जो समाजवाद की बात कही है, उस में जहां तक सम्भव हो हम बराबरी की ओर चलें। जहां तक इस विधेयक के बारे में मेरे संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं चाहूंगा कि उन पर गम्भीरता से विचार किया जाये और साफ है कि बहुत से मैम्बर मेरे इस विचार से सहमत नहीं हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा तृतीय श्रेणी में चलने से सब से बड़ा लाभ जो हो सकता है वह यह है कि तृतीय श्रेणी में जो लोग चलते हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उन की कठिनाइयों को समझने में हमें आसानी होगी और हम उन की कठिनाइयों को दूर भी करवा सकेंगे। आज उन को कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है और अगर हम तृतीय श्रेणी में चलना शुरू कर दें तो रेलवे विभाग के जो कर्मचारीगण हैं वे भयभीत हो जायेंगे और समझ जयेंगे कि अगर सब चीजों को ठीक ठाक न रखा गया तो वे मुश्किल में फंस सकते हैं।

गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि उस श्रेणी में बहुत कठिनाई होती है। अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को तो कष्ट सहन करना ही पड़ता रहेगा और हम लोग जो हैं, उन को सुख-सुविधा में

†मूल अंग्रेजी में

मिलती रहेंगी। फर्स्ट क्लास में जो लोग ट्रेवल करते हैं उन के साथ तो दामादों जैसा व्यवहार किया जाता है और जो लोग तृतीय श्रेणी में सफर करते हैं उन के साथ नौकरों का सा व्यवहार किया जाता है। हमें समझना चाहिये कि हम जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : आप चार सौ रुपये में से कितना वापिस देते हैं ?

श्री जगदीश अवस्थी : सब से ज्यादा हम लोगों को अपनी पार्टी में रुपया देना पड़ता है, १२० रुपया महीना देना पड़ता है। हमें यह पया उस पार्टी में देना पड़ता है जो कि जनता की पार्टी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस बहस में न पड़ें कि कौन सी जनता की पार्टी है और कौन सी जनता की पार्टी नहीं है।

अब माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिये।

श्री जगदीश अवस्थी : अन्त में मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जैसा मैं ने सर्व-प्रथम निवेदन किया है अगर जनता का रहन सहन ऊंचा उठता है तो हम को भी सुख सुविधायें मिलनी चाहियें, इस में कोई हर्ज की बात नहीं है लेकिन अगर उस का स्तर नीचे जाता है, तो इस तरह की सुविधाओं का भोग करना हमारे लिये ठीक नहीं है। जनता तो नीचे की ओर जाती रहे और हम ऊंचे जाते रहें यह उचित नहीं लगता। मैं मानता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधियों के रूप में यहां बैठे हैं और हमें सुविधायें मिलनी चाहियें, लेकिन जनता का ख्याल भी हमें रखना होगा।

इस के साथ साथ मंत्रियों के लिये प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिये फर्स्ट क्लास पास की जो व्यवस्था की गई है इस का मैं घोर विरोध करता हूं। मंत्रियों को दो हजार से ऊपर रुपया मासिक मिलता है और इस के साथ ही साथ भत्ता भी काफी मिलता है। प्रथम श्रेणी में सफर करने के लिये या द्वितीय श्रेणी में सफर करने के लिये अगर वे थोड़ा सा पैसा अपने पास से खर्च कर डालें तो कोई हर्ज नहीं है।

अन्त में मैं उम्मीद करता हूं कि जो संशोधन मैं ने पेश किये हैं, उन पर सदन विचार करेगा और उन को स्वीकार करेगा।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : इस विधेयक का नाम तो मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक रखना ही अधिक उचित होता। इस विधेयक में संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं गया है, केवल मंत्रियों को निःशुल्क रेलवे पास देने की व्यवस्था की गई है।

वास्तव में दूर दूर के स्थानों से आने वाले संसद्-सदस्यों को आजकल बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

रेलवे भी स्थान सुरक्षित कराने के मामले में, हमें कोई प्राथमिकता नहीं देती। ग्रांड ट्रंक एक्स-प्रेस अक्सर ७–८ घंटे देर से पहुंचती है, जिस से हमें आगे के लिये सम्बन्धित ट्रेन भी नहीं मिल पाती, और हम अपने सुरक्षित स्थान का लाभ भी नहीं उठा पाते। इस तरह हमें एक स्टेशन पर दो-तीन दिन रुकना पड़ जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ईश्वर अय्यर]

हमें संसद् की बैठक के लिये २,००० मील से आना पड़ता है। सिर्फ अधिक खर्च की बात नहीं है, इस में समय भी बहुत अधिक लगता है। इसलिये हमें निःशुल्क विमान यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिये। तब हम २–३ दिनों में ही अपने निर्वाचन क्षेत्र जा कर, वहां से लौट सकते हैं। माननीय मंत्री को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री भरूचा ने संसद् से नार्थ ऐवेन्यू और साउथ एवेन्यू तक बस सेवा की कठिनाइयां भी बताई हैं। उस पर भी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

स व्यवस्था से कोई भी फायदा नहीं होगा कि संसद्-सदस्य रेल किराये और विमान किराय का अन्तर अदा करें। यदि सरकार चाहती है तो उसे पूरी सुविधा ही देनी चाहिये।

†**श्री केशव** : हमारा देश बहुत विशाल है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र दिल्ली से बहुत दूर दूर पर स्थित हैं। हमें वर्ष में आठ महीने दिल्ली में रहना पड़ता है। लेकिन साथ ही अपने निर्वाचन क्षेत्रों से सम्पर्क रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिये हमें परिवहन का एक ऐसा साधन चाहिये, जिसमें कम से कम समय लगे। अभी तो मुझे बंगलौर से दिल्ली तक आने जाने में ही तीन दिन लग जाते हैं।

दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने २२-९-५८ को सिफारिश की थी कि संसद् सदस्यों को अपने रेलवे पासों को विमान यात्रा के पासों में बदलवाने की सुविधा दी जानी चाहिये, और इस के लिये उन से सरकारी कर्मचारी यात्रा भत्ता नियम के अनुसार दोनों का अन्तर अदा करने के लिये कहा जाये। सरकार से कई अन्य चीजों के बारे में भी विधेयक में संशोधन करने के लिये कहा गया था।

हम सरकार से कोई अनुचित मांग तो कर नहीं रहे हैं। हमारी मांग तो सिर्फ इतनी ही है कि संसद्-सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली तक निःशुल्क विमान यात्रा की सुविधा दी जाये। हम पूरे देश में विमान यात्रा की सुविधा तो नहीं मांगते। आस्ट्रेलिया में तो प्रत्येक संसद्-सदस्य को जीवन पर्यन्त निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है। लगभग २०० संसद्-सदस्य मैसूर, हैदराबाद, मद्रास, त्रावनकोर और आसाम से आते हैं। आसाम से आने जाने में तो उन्हें आठ दिन लग जाते हैं। इतनी दूर से आने वाले संसद्-सदस्यों को तो विमान यात्रा की सुविधा दी ही जानी चाहिये। उस के बिना वे अपने नर्वाचन क्षेत्रों से सम्पर्क कैसे रख सकेंगे ?

हम मंत्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का विरोध नहीं करते, लेकिन हमें भी तो अपने कर्तव्य निभाने लायक सुविधायें दी जायें।

†**श्री बर्मन** (कूच बिहार रक्षित––अनुसूचित जातियां) : मैं श्री केशव के संशोधन संख्या २ का समर्थन करता हूं। निःशुल्क विमान यात्रा की सुविधा देने से सरकार को कोई भी हानि नहीं होगी। अभी इतनी दूर से रेल द्वारा यात्रायें करने पर संसद्-सदस्यों को जितने समय का अपव्यय करना पड़ता है, विमान द्वारा यात्रा करने पर वह समय संसद् और निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा में लगाया जा सकेगा। इसलिये इस सुविधा की मांग अनुचित नहीं है। श्री केशव के संशोधन संख्या १८ को स्वीकार कर लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा। हम संसद्-सदस्य अपनी ओर से विमान-यात्रा का व्यय नहीं उठा सकते। रेल किराये और विमान किराये का अन्तर अदा करने लायक पैसा भी हमारे पास नहीं है। इसलिये उस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। यदि माननीय मंत्री हमारे समय का कोई मुल्य मानते हैं, तो उन्हें यह सुविधा जुटाने में हिचकना नहीं चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

हां, इस सुविधा को सीमित किया जा सकता है कि संसद् के सत्र में कम से कम ३० दिन भाग लेने वाले माननीय सदस्य ही इस सुविधा से लाभ उठा सकेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ने अभी आप की खिदमत में एक अमेंडमेंट का नोटिस दिया है और मैं सब से पहले उसी की तरफ आप की तवजह दिलाना चाहता हूं । सैक्शन ९ में ज्वाइंट कमेटी को जो पावर्स (शक्तियां) दी गई हैं वे बहुत ही थोड़ी सी पावर्स हैं और बाकी जो बातें हैं वे तकरीबन-तकरीबन तय सी ही हैं । बाकी चन्द एक चीजें ही रह जाती हैं । एक चीज है जिस के बारे में कहा गया है कि यदि एक मेम्बर को दिल्ली से अपने घर पहुंचना है, तो सिर्फ रूट (मार्ग) को तय करने का उन को अख्तियार है ।

इस के आगे चल कर कि दिन के एक भाग के बारे में कहा गया है ।

यह भी एक छोटा सा मामला है कि "फ्रेक्शन आफ ए डे" दिन का एक भाग क्या निकलता है या फ्रैक्शन सैलेरी (वेतन का भाग) का क्या निकलता है, इस को यह कमेटी तय करे । इस तरह से इन छः सात चीजों में बहुत ही थोड़ी पावर्स कमेटी के पास रह जाती हैं ।

इसमें कोई शक नहीं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जिन्होंने इस बिल को यहां रखा है, इसके लिए एक स्पेशल सा कांस्टीट्यूशन बनाया है यहां तक कि अगर रूल नहीं बनते तो कमेटी को अख्त्यार दिया गया है कि वह बनाये । लेकिन अख्त्यार बड़े ही महदूद हैं और जितने यह महदूद हैं उतनी ही इस पर और रेस्ट्रिक्शंस (प्रतिबन्ध) डाली जा रही हैं । सब से पहले तो यह रेस्ट्रिक्शंन लगाई गई हैं कि सैंट्रल गवर्नमेंट की कंसलटेशन (परामर्श) से ही रूल बनें । यह एक नया ही रूल बना है ।

मुझे इसके अन्दर कोई बाधा नज़र नहीं आती लेकिन—

श्री सत्य नारायण सिंह : आप को मालूम ही होगा कि करीब-करीब . . . .

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप सैंट्रल गवर्नमेंट की कंसलटेशन से रूल बनाना चाहते हैं, मुझे इसमें कोई बाधा नहीं है ।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह हमेशा का कायदा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : हमेशा का कायदा नहीं है । आज ही नया आया है । मैं इसको मानता हूं । लेकिन दूसरी शर्त यह है कि ज्वायंट कमेटी रूल बना दे और रूल हमारे स्पीकर साहब और राज्य सभा के चेयरमैन साहब के पास उनकी कनफर्मेशन के लिए, या उनकी एप्रूवल (अनुमोदन) के लिये भेजे जायेंगे । राज्य सभा के चेयरमैन साहब और लोक-सभा के स्पीकर साहब दोनों ही पार्लियामेंट के सब से बड़े अफसरान हैं और मुझे बिल्कुल भी शुबा नहीं है कि जो सही बात होगी उसी को वे एप्रूव करेंगे, कनफर्म करेंगे । यहीं तक यह रहता जैसा कि पहले था तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था । लेकिन अब एक नई शर्त जोड़ी जा रही है । जब वे एप्रूव कर देंगे तो कहा गया है कि हाउस के अन्दर वे आयेंगे और उसकी मुहर उन पर लगेगी । पार्लियामेंट चाहे तो उनको मंजूर करे और चाहे तो उनको माडिफाई (रूपभेद) करे । समझ में नहीं आता कि इस कद्र शर्तें लगाने की क्या जरूरत थी । जो रूल ज्वायंट कमेटी जो कि इन दोनों हाउसिस की होगी बनाये और जो कनफर्म भी हो जायेंगे और सब कुछ हो जायेगा तो फिर क्या वजह है कि उसके ऊपर आप और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

चैक (रोक) चाहते हैं। एक नहीं दो दो और तीन तीन चैक आप लगाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ओरिजनल रूल (मूल नियम) बना हुआ था, वह काफी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस संशोधन की सूचना मुझे अभी मिली है। सरकार इस पर क्या कहती है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** उन्हें पूरी बात कह लेने दीजिये। मैं इसी बीच म उस पर विचार करूंगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि जिस चीज़ पर स्पीकर साहब और राज्य सभा के चेयरमैन साहब मुहर लगा दें उसको फिर से पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाये। फ़र्ज़ कीजिये कि पार्लियामेंट कोई तबदीली करती है तो फिर वह चीज़ एप्रूव होगी और फिर तरमीम करनी होगी और यह सब मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि किसी तरह की कोई डिसपैरिटी (असंगति) रह गई हो। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इसको हटा दिया जाये।

इसके अलावा आपके सामने जो बड़ा पेचीदा सवाल है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक एयरप्लेन (विमान) से सफर करने के लिये इजाज़त होने का सवाल है मेरी ज़ाती राय बेहद इसके हक़ में है। जैसे माननीय श्री भरूचा साहब ने कहा कि अगर कोई मैम्बर स्टील प्लांट के मुताल्लिक यहां पर बहस करना चाहे तो उसके बारे में बहस करना नामुम्किन है जब तक कि उस प्लांट को देख न लिया जाये। यहां पर बैठ कर हम हिमाचल प्रदेश के ३७ एक्ट्स को वैलिडेट करते हैं, केरल की गवर्नमेंट के बारे में कई बात कहते हैं कि वहां यह हुआ और यह नहीं हुआ है और इनके बारे में मैम्बर साहिबान ठीक तरह से अपनी राय नहीं दे सकते हैं जब तक वे वहां जा नहीं आते हैं और फर्स्ट हैंड नालिज हासिल नहीं कर लेते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के इंटिरेस्ट (हित) में और देश के भी यह इंटिरेस्ट में है और साथ-साथ मैम्बरों के भी इंटिरेस्ट में है कि उनको इजाज़त दी जाये कि हिन्दुस्तान में जहां वे चाहें जा सकें और फिर आ कर अपनी राय दें। मैम्बर साहिबान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह से मिनिस्टर साहिबान की सारे हिन्दुस्तान के प्रति जिम्मेदारी है उसी तरह से मैम्बरों की भी सारे हिन्दुस्तान के प्रति जिम्मेदारी है।

मैं यह भी जानता हूं कि इस में बहुत सा खर्चा होगा। हमें जब फर्स्ट क्लास का पास मिला था तो उसके बारे में भी लोग तरह तरह की बातें करते थे और कहते थे कि इनको यह सुविधा मिल गई और वह सुविधा मिल गई। मैं आपको अपनी ही मिसाल बतलाना चाहता हूं। जब मैं हिसार आता जाता हूं तो आठ रुपये आठ आने या आठ रुपये दस आने फर्स्ट क्लास पास से पड़ते हैं लेकिन मैं हमेशा अपनी कार से जाता हूं, पास को इस्तेमाल नहीं करता। आपने रेल का फर्स्ट क्लास पास दे कर कोई अहसान नहीं किया है। आपने जो पास दिया है उसका आपको पता ही है कि कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेगा या बिला वजह इस्तेमाल नहीं करेगा।

अब अगर आप एयर ट्रेवल की सुविधा देंगे तो मैं समझता हूं कि, चाहे मेरी ज़ाती राय इसके हक़ में है, लेकिन कंट्री आज इस खर्चे के हक़ में नहीं है। आप अगर किसी आदमी से पूछेंगे तो वह आपको यही कहेगा कि मेम्बर लोग जो वहां बैठे हुए हैं, अपने आप कानून बनाते हैं और जो कुछ उनके हक़ में होता है उसको कर लेते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस वास्ते मैं समझता हूं कि अभी वक्त नहीं आया है कि फर्स्ट क्लास की जगह एयर ट्रेविल का पास दिया जाय । अलबत्ता आनरेबुल मिनिस्टर को श्री केशव का वह अमैंडमैंट मंजूर कर लेना चाहिए जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट का मेम्बर सेशन के दौरान में फर्स्ट क्लास फेयर और ऐयर फेयर में जो डिफरेंस है उसको पे करके वह ऐयर से ट्रेविल कर सके । यह रिआयत तो पार्लियामेंट के मेम्बरों को मिलनी ही चाहिये ।

दूसरी बात जो मैं ज्यादा ज़ोर से अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है और जो हमारे दोस्तों की डिमांड भी है कि जो मेम्बर्स दूरदराज़ की जगहों पर रहते हैं, आसाम से आते हैं और रेल से आने में उनके आठ दिन खर्च हो जाते हैं तो क्यों न उनको ऐयर ट्रेविल का पास दिया जाय ? इसी तरीक़े से मेरे दोस्त बर्मन साहब ने अपनी बात सुनाई । अब मैं पूछना चाहता हूं कि बर्मन साहब के यहां आने के लिये आप चार दिन क्यों जाया करना चाहते हैं ? इसी तरह से केरल के भाई हैं आसाम के भाई हैं उनका समय आप क्यों जाया करना चाहते हैं ? आखिर यह आपके ऐयरोप्लेंस किस वास्ते हैं ? क्या इन ऐयरोप्लेंस का इस्तेमाल पार्लियामेंट के मेम्बरों का टाइम बचाने के लिये नहीं किया जा सकता क्योंकि आखिर में पार्लियामेंट के एक मेम्बर का टाइम अगर ज़ाया होता है तो देश का नुक़सान होता है और इसलिये मैं समझता हूं कि यह सहूलियत उनको दी जानी चाहिये । जो ४ दिन और ६ दिन का टाइम उन मेम्बर्स का इस तरह रेल में खर्च हो जाता है वही ऐयर से ट्रेविल होकर बचाया जा सकता है और वही टाइम वह अपनी कांस्टीटुऐंसी में जा कर फूड कैम्पेन और दीगर ज़रूरी कामों में लगा सकते हैं । इस वास्ते मैं श्री केशव का जो इसके लिये अमेंडमेंट है मैं उसकी ताईद करता हूं और वह बड़ा माकूल अमेंडमेंट है । अगर मेम्बरों को ऐयर से आने जाने की इजाज़त दी जाय तो मैं इस में कोई हर्ज नहीं देखता । इस मामले में जिसके कि अन्दर पार्लियामेंट का कोई मेम्बर अपने वास्ते फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, किसी जगह के मेम्बरों के वास्ते हम रिआयत नहीं कर रहे हैं और हम आमतौर पर मेम्बरों के वास्ते यह चीज़ करना चाहते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि उनका यह अमेंडमेंट निहायत माकूल है और जिसके कि वास्ते काफी अर्से से झगड़ा होता आया है उसको मंजूर कर लेना चाहिये । यह कोई पार्लियामेंट के मेम्बरों के हकूक़ का सवाल नहीं है बल्कि यह तो इसलिये डिमांड किया जा रहा है ताकि वे अधिक काम कर सकें और उनका वक्त ज़ाया न हो। आज आने जाने में रेल के सफ़र में जो उनके दिन ज़ाया होते हैं वे इस तरह बचाये जा सकते हैं । इसके अलावा रेल के सफ़र में जो दिक्कतें पेश आती हैं उनको भी दरगुज़र नहीं किया जा सकता और मैं अपने तजुर्बे पर बतला सकता हूं कि यहां दिल्ली से लुहारू तक का जो रेल का सफ़र है वह तो आदमी को बीमार कर देने वाला साबित होता है और सफ़र में पेट का पानी हिलता जाता है । इसलिये मेरा कहना है कि क्यों उनका यह वक्त ज़ाया किया जाता है और इस दिक्कत में डाला जाता है । ज़ाहिर है कि जब वे ऐयरोप्लेन से यहां पर आयेंगे तो खुश खुर्रम होकर और तरोताज़ा आयेंगे और यहां पर पार्लियामेंट का काम भी तेज़ी और मुस्तैदी के साथ करेंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि २, ४ और १८ इन तीनों अमेंडमेंट्स को मंजूर किया जाय ।

†**श्री मी० रू० मसानी** (रांची-पूर्व) : संसद्-सदस्यों का समय काफी कीमती होता है । वे इतने व्यस्त रहते हैं कि सिर्फ़ मज़े के लिये विमान-यात्रा की ऐयाशी करते नहीं फिरेंगे । हमारा देश बहुत विशाल है । दूर-दूर से आने वाले संसद्सदस्यों को रेल-यात्रा पर अनावश्यक ही बहुत समय बर्बाद करना पड़ता है । निर्वाचन क्षेत्रों से भी सम्पर्क बनाये रखना जरूरी होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रू० मसानी]

इसीलिये, मैंने इस वर्ष के आरम्भ में गैर-सरकारी सदस्यों का एक विधेयक पुरःस्थापित किया था कि संसद्-सदस्यों को निःशुल्क विमान-यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिये, पूरे देश में नहीं, बल्कि निर्वाचन क्षेत्र, दिल्ली और अपने घर के शहर तक आने जाने की। इसलिये मुझे बड़ी खुशी होगी यदि इसी प्रयोजन के लिये रखा गया, श्री केशव का संशोधन संख्या २ स्वीकार कर लिया जाये।

हम ने विरोधी दलों के प्रतिनिधियों की ओर से एक सम्मिलित संशोधन रखा है—संशोधन संख्या ४। उस में हम ने रेल के पहले दर्जे के किराये और विमान-यात्रा के किराये का अन्तर अदा करने वाले संसद्-सदस्यों को विमान-यात्रा की सुविधा देने की बात कही थी। यह देश के हित में ही रहेगा।

लेकिन उस में भी यह कठिनाई रहेगी कि बहुत दूर-दूर से आने वाले संसद्-सदस्य इतना अधिक व्यय नहीं कर पायेंगे, दोनों का अन्तर अदा नहीं कर पायेंगे। इसलिये, मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह श्री केशव का संशोधन स्वीकार कर लें। और, यदि वह उसे स्वीकार नहीं करते, तो मेरा संशोधन संख्या ४ और श्री भरूचा का संशोधन संख्या ३६ स्वीकार कर लें। श्री भरूचा ने तो वर्ष भर में १२ विमान-यात्राओं की सीमा भी रख दी है।

इससे संसद्-सदस्यों को अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने का अवसर मिल जायेगा।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितल द्रुग) : पूर्ववक्ताओं ने जो रोष प्रकट किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय मंत्रियों को तो सुविधा पर सुविधा दिये जा रहे हैं, जोकि पहले ही काफी धन प्रत्येक वर्ष खर्च कर डालते हैं, परन्तु माननीय सदस्यों की अवस्था सुधारने के बारे में उन में उत्साह का नितान्त अभाव है। अच्छा है कि उन्हों ने श्री केशव का संशोधन स्वीकार कर लिया है और यह स्पष्ट हो ही गया है कि विमान-यात्रा की सुविधा प्राप्त करने के सम्बन्ध में सदन के सभी वर्ग एकमत हैं। इस से रुपये की बचत होती है और सदस्य कार्य की ओर अधिक ध्यान दे सकते हैं। दूर-दूर से आने जाने में जो समय नष्ट होता है, वह बच जाता है। एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत में रेल यात्रा से स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव होता है। पता नहीं मंत्री महोदय ने कभी इन गाड़ियों में यात्रा की है अथवा नहीं। विशेषकर गर्मियों में तो हालत और भी खराब होती है। इस में जो दो तीन मास खराब होते हैं उस के लिये उत्तरदायित्व सरकार का ही है। देश सेवा में लगे सदस्यों को कम से कम आधुनिक सुविधायें प्राप्त होनी ही चाहियें। इस में कोई विलास और प्रतिष्ठा की बात नहीं, आवश्यक कार्य की ओर समुचित ध्यान देने की बात है।

हम केवल यात्रा की सुविधा मांग रहे हैं, और सभी प्रगतिशील देशों में यह सुविधा दी जाती है। इंगलैण्ड में भी एक हजार पौंड प्रतिवर्ष के अतिरिक्त रेल और विमान द्वारा यात्रा की सभी सुविधायें सदस्यों को उपलब्ध होती हैं। अतः विमान यात्रा बड़े महत्व की बात है, विशेषकर उन सदस्यों के लिये जोकि दक्षिण भारत से आते हैं। यदि हमारी यह मांग सरकार स्वीकार नहीं करती तो हम यह मांग करेंगे कि संसद् का एक सत्र हैदराबाद, नागपुर अथवा किसी और स्थान पर किया जाये। वहां पर दिल्ली जैसी सर्दी और गर्मी नहीं होगी। आज केवल एक माननीय सदस्य को छोड़ कर सारा सदन विमान यात्रा सुविधा की व्यवस्था करने के पक्ष में है। हम चाहते हैं कि श्री

†मूल अंग्रेजी में

केशव का प्रथम नहीं द्वितीय संशोधन स्वीकार किया जाये, क्योंकि हम किराये का अन्तर देने के समर्थ नहीं हैं। हमें पूरी विमान यात्रा की सुविधा दी जाये ताकि हम अपने क्षेत्र और देश के प्रति जिम्मेदारियों को अच्छी प्रकार निभा सकें।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि यह जो इस समय बात यहां चल रही है, यह त्यागवाद, भोगवाद और वास्तविकतावाद के आधार पर है। एक तरफ तो यह दम्भ आ गया है और त्याग की बातें करना भी देश में एक फ़ैशन हो गया है चाहे काम चले या न चले लेकिन त्याग की बात कहे जाओ, त्याग होना चाहिये लेकिन त्याग के लिये दिखावा होना भी ज़रूरी समझा जाता है। त्याग स्वयं एक वास्तविक चीज़ है। हमारे हृदय में देश के प्रति एक तड़पन होनी चाहिये, उस की एक-एक पाई बचाने की भावना होनी चाहिये लेकिन यह कहां की अक़लमंदी होगी कि हम कंजूस की तरह पैसा लिये बैठे रहें उधर देश भले ही नाश हो जाये ? यह कौन-सा त्याग होगा ? पार्लियामेंट के सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वे देश के कोने-कोने में घूमें, लोगों से मिलें और उन की कठिनाइयों और समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें और तत्पश्चात् यहां हाउस में आने के बाद अपनी ज़बान हिलायें और सरकार का ध्यान उन की ओर आकृष्ट करें। अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिये पार्लियामेंट में बोल लेना चाहे उन का नाम पूरा आये भी या नहीं, यह कोई त्यागवाद नहीं है। इस में कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं है। जो सदस्य यहां पार्लियामेंट में आये हैं उन को सम्पूर्ण प्रकार की सुविधा देना यह शासन का काम है और राज्य कार्य सुव्यवस्थित रूप में और कम से कम पैसे में चले, इस का ध्यान रखना सदस्यों का कर्त्तव्य है। दोनों को परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्भावना रख कर काम करना चाहिये। अब चूंकि यहां पर रूलिंग पार्टी के सदस्य ज्यादा हैं और उन को जनता में अनपापुलर करने के लिये मैं यह कहूं कि पार्लियामेंट के सदस्यों को थर्ड क्लास में ट्रेविल करना चाहिये तो यह कोई ईमानदारी की बात नहीं होगी। मेरा तो सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन है कि सदन में आ कर जो बात कही जाय वह हृदय से कही जानी चाहिये और इस को प्रोपेगेंडा की जगह नहीं बनाना चाहिये। यह कोई पबलिसिटी, प्रोपेगेंडा और प्रचार की जगह नहीं है। यह तो देश की वास्तविक स्थिति को समझने समझाने की और तदनुसार उस के लिये समुचित व्यवस्था करने की जगह है। जो भी प्रचार अथवा प्रोपेगेंडा करना हो उस को चौराहे पर जा कर करें, यहां नहीं करना चाहिये।

अब मैं न तो बंगाल, आसाम, या हैदराबाद दक्षिण से आता हूं बल्कि मैं तो यहां उस स्थान से आता हूं ग्वालियर के निकट से जहां का कि करीब करीब १९ पये किराया लगता है लेकिन मैं इस मांग का हृदय से समर्थन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों को अपने घरों से यहां दिल्ली पहुंचने में रेल में ८, ८ और ९, ९ दिन लगते हैं, उन को एयर ट्रेविल की सुविधा दी जानी चाहिये क्योंकि पार्लियामेंट के एक सदस्य होने के नाते उन का समय बहुत कीमती है और वह राष्ट्र का समय इस तरह गाड़ी में बर्बाद न होने दिया जाये और हवाई जहाज़ से यात्रा करने की सुविधा दे कर उन का वह समय बचाया जा सकता है जोकि राष्ट्रोपयोगी कामों में खर्च किया जा सकता है। आखिर यह हवाई जहाज़ कोई टाटा डालमिया आदि के लिये ही तो नहीं है। हवाई जहाज़ की यात्रा को और अधिक पापुलर बनाने और उस को अधिक जनप्रिय बनाने के लिये पार्लियामेंट के सदस्यों को उन से कुछ पैसा ले कर हवाई यात्रा की सुविधा देनी चाहिये। माननीय सदस्यों की जेबों से जो कुछ पैसा इस के लिये आयेगा उस से हवाई सर्विस को लाभ भी होगा और लोगों में हवाई जहाज़ में बठने की इच्छा भी पैदा होगी। देश के बहुत से आदमी इसी डर के मारे हवाई जहाज़ की तरफ़ देखते नहीं कि कहीं उस में से गिर कर वे मर न जाये। आखिर लोग जब पूछेंगे हमारे पार्लियामेंट के मेम्बरों से कि आप क्या हवाई जहाज़ में बैठे तो जब वे उन से कहेंगे कि हम तो अभी तक हवाई जहाज़ में नहीं

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

बैठे हैं तो देश की जनता उन के बारे में क्या सोचेगी ? देश की सर्वोच्च लोकतंत्री संस्था के सदस्य हैं लेकिन वायुयान में नहीं बैठे, देश का कल्याण करने चले हैं, राष्ट्र निर्माण के काम हाथ में लेने जा रहे हैं लेकिन उन को यह पता नहीं है कि हवाई जहाज़ की सीट कैसी होती है ! आखिर जनता उस अवस्था में उन के बारे में क्या सोचेगी ! इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल में यह संशोधन होना चाहिये और सदस्यों को एयर ट्रेविल की सुविधा देने की व्यवस्था कर देनी चाहिये ताकि उन के समय की बचत हो सके और रेल में बर्बाद होने वाला समय वह दूसरे उपयोगी कार्यों को करने में लगा सकें ।

अब यह जो कहा जा रहा है कि मिनिस्टर्स को भी फ़र्स्ट क्लास में न बैठने दिया जाय तो उस के लिये मेरा कहना है कि अगर हमारे मिनिस्टर्स थर्ड क्लास में संडास की बगल में बैठ कर सफ़र करेंगे तो आप स्वयं अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि उन के दिमाग में कैसी योजनायें आयेंगी ? यह बहुत ज़रूरी है कि उन को अच्छे प्रकार से कार्य करने के लिये तमाम आवश्यक सुविधायें दी जायें । एक मंत्री का मेरी समझ में देश के लिये सब से अच्छा और हितकारी कार्य अगर कोई हो सकता है तो वह यही कि न तो वह रिश्वत खाये और न ही अपने पूरे विभाग को रिश्वत खाने दे । यह जो एक त्याग दिखाने और उस की बात करने का फ़ैशन-सा हो गया है उस से देश का काम चलने वाला नहीं है । उस के लिये तो हमें सब को ईमानदारी, सच्चाई और लगन से जुट कर काम करने के लिये तैयार रहना चाहिये । आज जो यह कथरी ओढ़ कर त्याग की बात करते हैं और भीतर उस के घी पीते हैं, उस से देश का भला होने वाला नहीं है । संसद् सदस्यों के लिये यह आवश्यक है कि वे देश में इधर उधर घूमें, लोगों से सम्पर्क स्थापित करें उन की आवश्यकताओं और कठिनाइयों को समझ कर यहां संसद् में सरकार का ध्यान उन की ओर दिलायें । घूमने से उन का ज्ञानवर्धन भी होता है । इसलिये यह एयर ट्रेविल की सुविधा देने की व्यवस्था होनी चाहिये । अब अगर कुछ माननीय सदस्यों के मन में त्याग के लिये थोड़ा दिखावा करने और विरोध करने की भावना भी हो तो मेरी उन से यह प्रार्थना है कि वह किसी दिन और बोल लें और अपना विरोध प्रकट कर दें लेकिन आज तो उन को बोलने और अपना विरोध प्रकट करने के लोभ को संवरण करना चाहिये ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मुझे रेल द्वारा दिल्ली पहुंचने में चार दिन लगते हैं । अब जो संशोधन सरकार ने किया है, उस के अनुसार रेलवे भाड़े और विमान भाड़े का अन्तर होगा, वह मेरे लिये आने जाने का ३२० रुपये फैलेगा । एक बार आने जाने के ३२० रुपये देने पड़ेंगे, क्या आप इसे सुविधा कहेंगे ? यदि मैं अपने आठ दिन का समय बचाना चाहूं तो ३२० रुपये का अन्तर दे कर बचा सकता हूं । यह ठीक नहीं है । मंत्री महोदय को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि ५०० मील की अधिक दूरी से आने वाले सदस्य को कम से कम मास में एक विमान यात्रा का पास अवश्य दिया जाना चाहिये । हमारे लिये तो अपने क्षेत्र में जाना प्रायः असम्भव हो जाता है । मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि उन्हें बिना किसी प्रकार के अन्तर के देने-लेने-के विमान यात्रा के पास की व्यवस्था करनी चाहिये । हमें मास में एक बार विमान यात्रा की सुविधा उपलब्ध होनी ही चाहिये ।

†**डा० मेलकोटे** (रायचूर) : सरकार जो सुविधा दे रही है उस का लाभ केवल वे लोग ही उठा सकेंगे जो अन्तर अदा करने की क्षमता रखते हैं । दूसरों के लिये यह सुविधा कोई सुविधा नहीं । यदि सरकार यह सुविधा दे देना चाहती है, तो इस की इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिये कि सब सदस्य एक समान इस का लाभ उठा सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जाधव (मालेगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है उसके पहले हिस्से के बारे में यहां पर काफी कहा जा चका है। उसका जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में मैं खास तौर पर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं अगर हमें अपने देश में डिमाक्रेसी को कायम और जिन्दा रखना है तो हमको अपनी कांस्टीट्एन्सीज़ में लोगों के पास जाना होगा और यहां पार्लियामेंट में जो घटनायें होती हैं उनको लोगों के सामने रखना होगा। हमारे वोटर हमसे पूछते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए क्या करते हैं। इतना ही नहीं है। पार्लियामेंट के सदस्य को अवाम को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। परसों साउथ ऐवेन्यू में हमारे स्पीकर साहब आये थे। उन्होंने इस बात का खास तौर पर ज़िक्र किया कि दुनिया में आज जो घटनायें घट रही हैं, खासकर पाकिस्तान में और हमारे आसपास जो कुछ घटनायें घट रही हैं, उनको सामने रखते हुए अगर हमें हिन्दुस्तान में लोकशाही को जिन्दा रखना है, तो हमारी पार्लियामेंट के हर सदस्य को पार्लियामेंट में फुल टाइम मेम्बर की हैसियत से काम करना चाहिए। अगर हम फुल टाइम मेम्बर की हैसियत से काम करेंगे तो हमको पार्लियामेंट से बाहर रहने के दिनों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी जाना पड़ेगा, जो कुछ यहां चलता है वह लोगों के सामने रखना होगा, जो हमारी योजनायें हैं उनको लोगों को बताना होगा। हर मेम्बर सेशन को छोड़ कर ६ महीने घर पर रहता है। इस ६ महीने में से कम से कम तीन महीने अगर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना चाहेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमको रेलवे का पास मिला हुआ है। लेकिन हमारे निर्वाचन क्षेत्र देहातों में हैं जहां रेलवे नहीं जाती। ऐसी हालत में अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना चाहूं तो मुझे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी तो अवश्य मिलनी चाहिए।

एक प्रस्ताव ऐसा भी है कि प्रत्येक सदस्य को पांच हजार रुपया मोटर खरीदने के लिये दिया जाये। लेकिन यहां ऐसे मेम्बर कम हैं जिनकी इनकम इतनी हो कि अपनी मोटर खरीद कर इसका मेनटिनेंस भी कर सकें। ऐवरेज मेम्बर की इतनी इनकम नहीं है कि जो मोटर खरीद सके और उसको मेनटेन कर सके। बम्बई स्टेट असेम्बली ने अपने सदस्यों को स्टेट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी हुई है। उनको पासेज़ दिये हैं। इसका खास मकसद यही है कि मेम्बर असेम्बली के काम को अवाम के सामने रख सकें। परसों स्पीकर साहब ने यह बात भी हमारे सामने रखी कि वह इस बात को मानते हैं कि अगर पार्लियामेंट के सदस्यों का पांच सात या आठ मेम्बरों का ग्रुप स्टडी ग्रुप के तौर पर बने और वह दूसरे प्राविंस में जाना चाहें तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट की फसिलिटी और खाने पीने का बन्दोबस्त मैं करने के लिए तैयार हूं।

इसके अलावा किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो उसको अपनी पार्टी की फिलासफी और जो काम यहां पार्लियामेंट में चलता है उसे अवाम के सामने रखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हो, या पी० एस० पी० का सदस्य हो अथवा कांग्रेस का सदस्य हो उसे यह सुविधा मिलनी चाहिए। इस प्रकार हम देश में सही मानों में लोकशाही को जिन्दा रखने का काम कर सकते हैं। हम ऐश नहीं करना चाहते लेकिन समय बचाना चाहते हैं। अगर हमें अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाना होता है तो बहुत जगह स्टेट मोटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती। ऐसी जगहों में जाने के लिये मेम्बरों को पैसा मिलना चाहिए।

यह जो बिल रखा गया है उसमें मिनिस्टरों को फैसिलिटी मिलने वाली है और पार्लियामेंट के अफसरों को फैसिलिटी मिलने वाली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनकी क्या जगह रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वही पार्लियामेंट के अफसर हैं।

†**श्री दा० रा० चावन** (कराड़) : मैंने अपना जो संशोधन रखा है, अब मैं उस पर जोर देना नहीं चाहता। मैं श्री नौशीर भरूचा के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। उसके अनुसार यह व्यवस्था की जायगी कि प्रत्येक सदस्य को वर्ष में विमान यात्रा के १२ कूपन दिये जायेंगे। और इससे वह देश में विमान द्वारा कहीं भी जा सकेगा। श्री केशव के प्रथम संशोधन में दिल्ली से सदस्य के क्षेत्र के किसी निकटतम विमान पत्तन तक विमान यात्रा की बात है। उनके दूसरे संशोधन में भाड़े के अन्तर को अदा करने की बात कही गयी है। मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं।

श्री नौशीर भरूचा के १२ विमान यात्रा के कूपन दिये जाने वाले संशोधन से मैं सहमत हूं। इससे समस्या हल हो जायेगी। सदस्यों को राजधानी में आने जाने की भी सुविधा रहेगी, और दिल्ली के पास ही रहने वाले जो सदस्य, समयाभाव के कारण देश की विभिन्न परियोजनाओं को देख नहीं सकते, उन्हें भी उनका अध्ययन करने का अवसर उपलब्ध हो जायेगा, क्योंकि संसद् सदस्य केवल अपने क्षेत्र का ही प्रतिनिधि नहीं, देश का भी प्रतिनिधि है। दूर-दूर के स्थानों पर जहां केवल रेल में आने जाने में आठ आठ दिन लग जाते हैं, वहां समयाभाव के कारण रेलवे का पास होते हुए भी नहीं जाया जा सकता। इस संशोधन में कुछ रोक भी लगाई गई है ताकि ७०० माननीय सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने से इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को व्यवस्था करने में कुछ असुविधा न हो। मेरा निवेदन है कि श्री नौशीर भरूचा द्वारा प्रस्तुत संशोधन सदन को स्वीकार कर लेना चाहिए।

†**श्री लीलाधर कटकी** (नौगांव) : मझे श्री केशव के संशोधन संख्या १८ से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि संसद् सदस्य केवल सत्र के समय में ही अपने क्षेत्र में नहीं जाते प्रत्युत् वर्ष भर जाते आते रहते हैं। सभी का यही मत है कि मांगी जा रही सुविधाओं से सभी सदस्यों को लाभ पहुंचेगा। श्री केशव के संशोधन संख्या २ को स्वीकार किये जाने पर मैं जोर दूंगा। उसका सम्बन्ध अपने घर अथवा क्षेत्र से दिल्ली तक आने जाने की मुफ्त विमान यात्रा से है।

इसके अतिरिक्त मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन संख्या १५ के प्रथम भाग को स्वीकार कर लें, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी सदस्य विमान भाड़ा और रेल भाड़े का अन्तर अदा करके देश के किसी भाग में भी विमान यात्रा कर सकता है। इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी। अतः मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करें और साथ ही श्री केशव का संशोधन संख्या २ स्वीकार कर लें।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैंने सदन के विभिन्न दलों से सम्बन्धित माननीय सदस्यों की बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। मैंने आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अधिनियम के कार्यान्वित करने में जो कठिनाइयां आईं, उसके कारण यह संशोधन विधेयक बड़ा आवश्यक हो गया। इसके अलावा कुछ स्पष्टीकरण भी बड़े आवश्यक हो गये हैं। लेखा परीक्षणकर्त्ताओं ने और विधि मंत्रालय ने भी कहा था कि संयुक्त समिति में हमने जो नियम बनाये थे वे वैध नहीं हैं। माननीय मित्र श्री पुन्नूस ने कहा कि गत बार जब मूल विधेयक स्तुत किया गया था तो हमने अन्य दलों के नेताओं तथा माननीय सदस्यों से परामर्श किया था। परन्तु इस बार कोई नई सुविधायें अथवा नये उपबन्धों की व्यवस्था करने का कोई इरादा नहीं था। सभी प्रस्तुत संशोधन औपचारिक हैं, अतः परामर्श करना आवश्यक नहीं समझा गया।

संसद् पदाधिकारियों अथवा मंत्रियों को रेलवे यात्रा की कुछ सुविधायें देने के नये उपबन्ध का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे में आरम्भ से ही जब से ये सुविधाय सदस्यों को दी जाती रही है, संसद्

---

†मूल अंग्रेजी में

के पदाधिकारियों तथा मंत्रियों द्वारा यह मांग की जाती रही है कि ये सुविधायें उनको भी दी जानी चाहियें। हमने इस बात को रोके रखा। एक बार यह भी विचार था कि संसद् पदाधिकारियों और मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम में संशोधन किया जाय। परन्तु क्योंकि यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था, अतः हमने सोचा कि क्यों न इस अवसर का लाभ उठा कर इस खण्ड को इसमें सम्मिलित करके, इसकी परिभाषा कर दी जाये। क्योंकि आखिर मंत्री और पदाधिकारी संसद् के सदस्य ही हैं; आप किसी माननीय सदस्य को सदस्यता के अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। मंत्री बनने के लिये पहले सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यह ठीक है कि छः मास तक उनको छूट है। परन्तु संसद् पदाधिकारी बनने के लिएतो उन्हें सबसे पहले संसद् का सदस्य बनना अनिवार्य है। अतः जो संसद् सदस्य होने के नाते सुविधायें माननीय सदस्यों को उपलब्ध हैं, वे संसद् पदाधिकारियों तथा मंत्रियों को भी प्राप्त होनी चाहिएं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें औद्योगिक संयंत्र अथवा अन्य चीजों को देखने के लिए देश के सभी भागों में जाने की सुविधायें होनी चाहियें। यह सब कारण उस समय भी बनाये गये थे, जबकि सदन के माननीय सदस्यों के लिए मुफ्त रेलवे पास की व्यवस्था की गयी थी। अब वे कहते हैं कि रेलवे पास काफी नहीं हमें विमान का पास दिया जाना चाहिये। श्री भरूचा ने कहा कि जो सुविधायें कुछ अधिकारियों को हैं, वे माननीय सदस्यों को क्यों नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इन सुविधाओं के कारण माननीय सदस्यों को अपना मुकाबला अधिकारियों से नहीं करना चाहिए। केवल वेतन से या सुविधाओं या विशेषाधिकारों से तो आदमी का स्तर ऊंचा नहीं बनता। जहां तक वेतन का प्रश्न है कई सचिव प्रधान मन्त्री अथवा मंत्रियों से भी अधिक वेतन लेते हैं, इसका यह तात्पर्य नहीं कि उनसे ऊपर हो गये। भत्ते अथवा सुविधाओं के मामले में अधिकारियों की श्रेणी अलग है और संसद् के सदस्यों की अपनी एक अलग श्रेणी है। दोनों में भिन्नता है। दोनों का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

जहां तक श्री भरूचा का यह विचार है कि मंत्रीगण दौरे पर रहते हैं और उससे काफी धन खर्च होता है, तो शायद उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि माननीय सदस्यों को मुफ्त पास देने पर कितना धन खर्च होता है। यह रियायत नई थी। माननीय सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिये कि मंत्रियों के दौरे इत्यादि तो पहले भी थे, परन्तु पास की सुविधा तो बिल्कुल नई चीज है। हिसाब लगाने से पता लगता है यह खर्च ६ लाख तक फैलता है। अतः यह मुकाबला ठीक नहीं। इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसके बारे में जनता और अखबारों में क्या-क्या आलोचनायें हुई हैं। उन्होंने काफी आलोचना की है। मेरे पास कुछ अखबारों की कतरनें हैं, और माननीय सदस्यों ने भी उन्हें देखा होगा। मैं इस समय उन्हें यहां पढ़ना नहीं चाहता। हमने अपने लिये जो प्राधिकार और सुविधायें स्वीकृत की हैं उस पर काफी आलोचना की गई है। यह ठीक है कि हमारे पास सभी अधिकार हैं, परन्तु हम दूसरे के लिये कुछ करें तो इतनी बात नहीं होती, परन्तु अपने लिये कुछ लेने या करने पर आलोचना बड़ी तीव्र हो जाती है। इस संसद् को सर्वोपरि प्राधिकार प्राप्त हैं और हम जो चाहें निश्चय कर सकते हैं। कोई कावट नहीं, हम कह सकते हैं कि हमारे सदस्यों को ये सुविधायें दी जानी चाहिये। परन्तु उस अवस्था में यह बात मजाक बन कर रह जाती है, जब कि हम रात दिन लोगों से बचत करने के लिये कह रहे हैं। मंत्रियों को जो पुरानी सुविधायें थीं, वही दी जा रही हैं, परन्तु आज जब उनको भी कोई नई सुविधा दी जाये तो काफी शोर होगा और आलोचना की जायेगी। अतः मेरा निवेदन है कि मैं इस दिशा में अधिक खर्च का बोझ डालने के पक्ष में नहीं।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

विमान यात्रा के सम्बन्ध में हमने काफी माननीय सदस्यों से चर्चा की है और हमने श्री केशव का संशोधन संख्या २८ स्वीकार कर लेने का निश्चय किया है। जो सुविधा पहले से है, वह तो है ही, अब संशोधन को स्वीकार करके यह व्यवस्था हो जायेगी कि सत्र के बीच में भी माननीय सदस्यों की यात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, चाहे इन यात्राओं की संख्या कितनी ही हो। यह अच्छी खासी सुविधा है, कई लोगों का कहना है कि इस सुविधा से केवल धनी व्यक्ति ही लाभ उठा सकेंगे। जो लोग विमान द्वारा यात्रा करते हैं उन्हें भी प्रथम श्रेणी का किराया वापिस मिल जायेगा, यह पहले नहीं मिलता था।

अन्य जिन सुविधाओं का माननीय मित्रों ने उल्लेख किया अर्थात् डाक अथवा अन्य चीजों की सुविधा का, उसके बारे में संयुक्त समिति विचार करने के लिये सक्षम है। यह दोनों सदनों के बारे में निश्चय कर सकती है। डाक इत्यादि की अन्य सुविधाएं भी जो दी जानी चाहिये, उनके सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा। डाक्टरी सुविधाओं के सम्बन्ध में हम श्री जगन्नाथ राव का संशोधन स्वीकार कर रहे हैं। शायद सभा को यह पता होगा कि माननीय सदस्यों के लिये अंशदायी चिकित्सा सेवा योजना को भी हमने लगभग स्वीकार कर लिया है। इसमें विधि मंत्रालय की आपत्ति का ध्यान रखते हुये हमने एक संशोधन स्वीकार करके सदस्यों के परिवारों के लिये भी व्यवस्था कर दी है। मंत्रियों और अधिकारियों को इस दिशा में प्राप्त सभी सुविधायें सदस्यों को भी उपलब्ध हो जायेंगी। इन शब्दों से मैं आशा करता हूं कि मुझे इन मांगों को स्वीकार न करने पर क्षमा कर दिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) अधिनियम १९५४ में अग्रेतर संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा की जायेगी।

खंड २ (धारा २ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३ (धारा ३ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब नया खण्ड ४क लिया जायेगा ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं अपना संशोधन संख्या ४१ प्रस्तुत करता हूं ।

इस संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा प्रयोजन यह है कि माननीय सदस्यों को सत्र के दिनों में रेलवे के प्रथम श्रेणी के भाड़े तथा विमान भाड़े का अन्तर भुगतान कर के विमान द्वारा यात्रा करने की सुविधा दी जाये । इस से सरकारी राजकोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : एक औचित्य प्रश्न है । मैं इस सम्बन्ध में आप का विनिश्चय चाहता हूं । श्री जगन्नाथ राव का जो संशोधन है वैसे ही अन्य कई संशोधन हैं । अतः मेरा निवेदन है कि एक प्रक्रिया बना ली जाये कि सभी संशोधनों को साथ लिया जाये । अन्यथा आप बाद में उन्हें नियम विरुद्ध मान लेंगे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि वे संशोधन इसी विषय पर हैं तो उन्हें साथ-साथ लिया जा सकता है । वे कौन से संशोधन हैं ?

†**श्री मी० रु० मसानी** : मेरा संशोधन संख्या ४, श्री केशव के संशोधन संख्या २ और १८ और श्री नौशीर भरूचा का संशोधन संख्या ३६ ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : मेरा संशोधन संख्या ३५ है ।

†**श्री जाधव** : मेरा संशोधन संख्या ३४ है ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री केशव** : मैं अपने संशोधन संख्या २ और १८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ३६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री जाधव** : मैं अपना संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री मोहम्मद इमाम** : मैं अपना संशोधन संख्या ३५ प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ४६; विपक्ष में ६९ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३६ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मतविभाजन हुआ । पक्ष में ५६, विपक्ष में ९७ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ५३, विपक्ष में १०४

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३५ मतदान के लिये रखा गया

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री जगन्नाथ राव का संशोधन संख्या ४१ मतदान के लिये रखता हूं ।

†**प्रधान मंत्री तथा सभा नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** यह संशोधन एक ग़ैर-सरकारी सदस्य द्वारा रखा गया है । सरकार बता चुकी है कि यदि सभा इसे स्वीकार करती है तो इसे स्वीकार कर ले । यदि सभा नहीं चाहती तो मैं माननीय सदस्य को परामर्श देता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

खण्ड ५—[धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना, (रेल द्वारा निशुल्क यात्रा)]

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैं अपने संशोधन संख्या ३० और ३१ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३९,—

"Shall be (होगा)" शब्दों के बाद "and shall be deemed always to have been (और हमेशा हुआ माना जायेगा)" शब्द रखें जायें ।

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १ से ५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"(4) A member who on ceasing to be a member surrenders his pass shall, if he performs any return journey by rail of the nature referred to in sub-section (1) of section 4, be entitled and be deemed always to have been entitled in respect of that journey to an amount equal one first class journey. [(४) कोई सदस्य जो सदस्य न रह जाने पर अपना पास लौटाता है वह, यदि धारा ४ की उप-धारा (१) में उल्लिखित प्रकार की रेल द्वारा वापसी

†मूल अंग्रेजी में

यात्रा करता है तो, उस यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराये के बराबर राशि का अधिकारी होगा और हमेशा अधिकारी समझा जायेगा ।]"

संशोधन संख्या ३० खण्ड ५ के सम्बन्ध म है जो मुख्य अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर एक नयी धारा रखने के संबंध में है । इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि किसी भी सदस्य को, उसको रेलवे पास मिलने के पूर्व, रेलवे भाड़े के भुगतान का हमेशा अधिकारी समझा जायेगा । यह संशोधन उस उपबन्ध को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाता हैं ।

संशोधन संख्या ३१ भी खण्ड ५ के सम्बन्ध में है और संशोधन संख्या ३० की ही भांति वह भी, सदस्य द्वारा रेलवे पास के लौटा दिये जाने के बाद, सदस्य को रेलवे भाड़े के भुगतान का अधिकारी बनाने संबंधी उपबन्ध को भूतलक्षी रूप से प्रभावी बनाता है ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता पूर्व) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । खण्ड ५ के अधीन मंत्रियों को जो पास दिये जाते हैं, उसके संबंध में क्या हम यह समझें कि क्या इस अधिनियम के लागू होने के बाद उनके यात्रा भत्ते के बिलों के संबंध में कोई अन्तर पड़ेगा ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : सरकारी दौरे संबंधी यात्रा भत्ते के नियम यथावत् रहेंगे । मैं पहले ही यह बात समझा चुका हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे या तो यात्रा भत्ते संबंधी नियमों का लाभ उठायें या इस पास का ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : संशोधन संख्या ३० के संबंध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । पास लौटाने के बाद भूतलक्षी प्रभाव से किराये का दावा करने की बात मेरे समझ में नहीं आई । अतः मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : इस मामले में मंत्रियों का कोई प्रश्न नहीं है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस सभा के कुछ माननीय सदस्यों के संबंध में—माननीय मंत्रियों के संबंध में नहीं—ऐसी कुछ घटनायें हो चुकी हैं । इस सभा के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में ऐसी कोई कठिनाई नहीं आई है ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : यदि किसी मंत्री ने अप्रेल १९५८ में यात्रा की हो तो क्या वह उस के भुगतान का भी दावा कर सकता है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : वह इसका दावा कैसे कर सकता है ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । संविधान में उपबन्ध है कि संसद् की किसी भी सभा का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति कम से कम ६ महीने तक मंत्री रह सकता है । तो ऐसी अवस्था में जब कि वह मंत्री है—पर संसद् की किसी भी सभा का सदस्य नहीं है—क्या वह भुगतान का दावा कर सकता है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैंने यह बात भी स्पष्ट कर दी थी । किसी भी मंत्री को तब तक यह विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होगा जब तक कि वह सभा का सदस्य नहीं बन जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री साधन गुप्त :** अभी मैं माननीय मंत्री का स्पष्टीकरण अच्छी तरह समझ नहीं पाया हूं । मैं समझता हूं कि शायद मंत्रीगण सरकारी दौरों पर भी यात्रा के लिए पासों को इस्तेमाल करेंगे । उनके पास शायद केवल गैर-सरकारी दौरों के लिए ही नहीं हैं इस समय उन्हें पास मिलेंगे और उन्हें रेल का किराया नहीं देना पड़ेगा तो क्या वे यात्रा भत्ते के भी अधिकारी होंगे जैसा कि इस समय होता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री की बात से मैं केवल यह समझ पाया हूं कि मंत्रीगण पासों का इस्तेमाल तभी करेंगे जब वे सरकारी दौरे पर होंगे ।

†**श्री साधन गुप्त :** परं इस विधि में तो यह बात नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जब वह एक सदस्य के रूप में यात्रा करेगा तभी वह पास का इस्तेमाल करेगा ।

†**श्री साधन गुप्त :** उन्हें पास मंत्री के रूप में मिलता है ; सदस्य के रूप में नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें सदस्य के रूप में पास मिलता है ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २, पंक्ति ३९,—

"Shall be (होगा)" के बाद and shall be deemed always to have been (और हमेशा हुआ माना जायेगा)" रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १ से ५ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"(4) A member who on ceasing to be a member surrenders his pass shall, if he performs any return journey by rail of the nature referred to in sub-section (1) of section 4, be entitled and be deemed always to have been entitled in respect of that journey to an amount equal to one first class journey [(४) कोई सदस्य जो सदस्य न रह जाने पर अपना पास लौटाता है वह, यदि धारा ४ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्रकार की रेल द्वारा वापसी यात्रा करता है तो, उस यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के किराये के बराबर राशि का अधिकारी होगा और हमेशा अधिकारी समझा जायेगा ।]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हाल्दर :** मैं अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जब मैं ने पूछा था उस समय इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये था ।

†**श्री हाल्दर** (डायमंड हार्बर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं अपना संशोधन संख्या २३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री जगदीश अवस्थी :** मैं अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २३ और १० मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ९३, विपक्ष में ५५ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ६—(धारा ७ का संशोधन) :

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं खण्ड ६ को मतदान के लिए रखूंगा ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह :** मैं अपना संशोधन संख्या ३२ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १५ से १९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये —

"Where the interval between the adjournment of a House of Parliament or, as the case may be, one sitting of a Committee and the re-assembly of that or the next sitting of the Committee at the same place [जब, यथास्थिति, संसद् की किसी सभा या किसी समिति की किसी बैठक के स्थगन तथा उस सभा के पुनः समवेत होने या उसी स्थान पर उस समिति की अगली बठक के बीच का मध्यान्तर]"

यह संशोधन विधेयक के खण्ड ६ के सम्बन्ध में है । जो संशोधन विधेयक में हैं उसके शब्द कुछ ठीक नहीं थे अतः इसमें उसके शब्दों को ठीक कर दिया गया है । उन शब्दों से ऐसा अर्थ निकलने की भी संभावना थी कि किसी सभा के स्थगन तथा उसके पुनर्समवर्त्तन या किसी समिति की बैठक के स्थगन तथा उसकी आगामी बैठक के बीच के सात दिन का मध्यान्तर जोड़ दिया जायेगा । अब इस संशोधन द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि मध्यान्तर का संबंध किसी सभा के स्थगन या किसी समिति की बैठक के स्थगन, यथास्थिति, तथा उस सभा के पुनर्समवर्त्तन या उस समिति की आगामी बैठक से है । केवल "यथास्थिति" शब्दों का स्थान बदल दिया गया है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १५ से १९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये —

"Where the interval between the adjournment of a House of Parliament or, as the case may be, one sitting of a Committee and the re-assembly of that or the next sitting of the Committee at the same place जब, यथास्थिति, संसद् की किसी सभा या किसी समिति की किसी बैठक के स्थगन तथा उस सभा के पुनः समवेत होने या उसी स्थान पर उस समिति की अगली बैठक के बीच का मध्यान्तर]"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक नये खण्ड ६क के लिये एक संशोधन है ।

†**श्री जगन्नाथ राव :** मैं अपना संशोधन संख्या ३९ प्रस्तत करना चाहता हूं मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १९ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

'6A—*Amendment of section* 8—In Section 8 of the Principal Act, for the word "Medical" the words "Medical facilities for himself and for members of his family and to such" shall be substituted. ६क—**धारा ८ का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा ८ में "चिकित्सा" शब्द के स्थान पर" अपने लिये तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिये तथा ऐसे . . . चिकित्सा सुविधा" शब्द रखे जायें ।]'

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १९ के बाद निम्नलिखित रखा जाये :—

6A—*Amendment of section* 8—In Section 8 of the Principal Act, for the word "Medical" the words "Medical facilities for himself and for members of his family and to such" shall be substituted. ६क—**धारा ८ का संशोधन**—मूल अधिनियम की धारा ८ में "चिकित्सा" शब्द के स्थान पर "अपने लिये तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिय तथा ऐसे . . . . . चिकित्सा सुविधा" शब्द रखे जायें]'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड ६क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नया खंड ६क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ४ में,

पंक्ति १० से १७ हटा दी जायें

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ४ में

पंक्ति १० से १७ हटा दी जायें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७, संशोधित रूप में , विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ८, १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : श्री जगन्नाथ राव का संशोधन जो वापस लिया गया उसे वापस नहीं लिया जाना था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : किसी सदस्य के लिये यह कहना उचित नहीं है कि सभा को अमुक संशोधन स्वीकार नहीं करना था या किया जाता तो अच्छा रहता इत्यादि । न उसे यह कहने का अधिकार है कि सभा द्वारा क्या किया जाना चाहिये और क्या नहीं ।

†**श्री रंगा** : मैं केवल यह कहना चाहता था कि विशेषत: दूर के निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों को दिल्ली तक आने में अपना बहुतसा समय रेल यात्रा में व्यय करना होता है । विशेषत: जब सभा के सत्र के दौरान वे निर्वाचन क्षेत्रों को जाना चाहते हैं तो उनके लिये बहुत कठिन हो जाता है अत: उन्हें यह अनुमति दी जाये कि वह रेल के पहले दर्जे और विमान के किराये का अन्तर अपनी जेब से देकर विमान में यात्रा कर सकें । इससे हमें अपना कर्त्तव्य पालन करने में अधिक सुविधा होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची-पश्चिम-रक्षित-अनसूचित आदिम जातियां) : मैं माननीय संसद कार्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक का संचालन किया तथापि उन्होंने इस विधेयक का संचालन सभा के नेता के स्थान से किया जिस पर मुझे आपत्ति है। मैं इस पर बार बार आपत्ति इसलिये भी करता हूं कि हमारी कुछ परम्परायें हैं और हमें उन परम्पराओं का आदर करना चाहिये ।

इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि हम कम से कम समय में अधिकतम संसद-कार्य कर सकें। यह ठीक है तथापि सरकारी पक्ष के सदस्यों ने इस विधेयक की चर्चा के समय जो प्रवृत्ति दिखाई है उससे स्पष्ट है कि वे जिस वर्गहीन समाज की रचना के बारे में ढिंढोरा पीटते हैं व्यावहारिक रूप से वे उसी के विरोध में कार्य कर रहे हैं। निस्संदेह मंत्रियों को अधिक सुविधाओं की आवश्यकता है क्योंकि इससे अधिक क्षमता तथा कार्यकुशलता आती है तथापि हमें भी ऐसी सुविधायें प्राप्त होनी चाहियें कि हम अधिक संसद कार्य कर सकें। यद्यपि मेरे माननीय मित्र इस विधेयक का संचालन सफलता से करने में समर्थ हो गये हैं तथापि मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वह अपने ही स्थान पर बैठे रहें और यदि मौखिक मतदान का कोई महत्व है तो इस प्रश्न पर हमारी विजय हुई है।

इस सम्बन्ध में एक विशेष कठिनाई यह है कि गोष्ठी कक्ष में होने वाली चर्चाओं से कुछ और बात मालूम होती है लेकिन मतदान करते समय वही सदस्य विरोध में मतदान करते हैं। तथापि मैं अनुभव करता हूं कि हम किसी न किसी रूप में समाजवादी ढांचे के समाज के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अतिरिक्त अनुदानों की माँगें (रेलवे), १९५५-५६ और १९५६-५७

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा अब रेलवे की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी।

वर्ष १९५५-५६ और १९५६-५७ के लिये रेलवे के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की निम्न मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये में)
१३*	विकास निधि के लिये विनियोग	४,६४,४९,४७९
१५*	नई लाइनों का निर्माण	८,६७,३३१
१	रेलवे बोर्ड	१,४२,५४६
३	चालू लाइनों तथा अन्य लाइनों के लिये भुगतान	९०,८७९
५	कार्यवहन व्यय—मरम्मत और संधारण	१,८७,८६,१०१
८	कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय	३२,५३,४४०
९	कार्यवहन व्यय—विविध व्यय	१,४६,८६,५८२

†मूल अंग्रेजी में

* ये मांगें वर्ष १९५५-५६ के लिये थीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उक्त मांगें सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : २४ नवम्बर, १९५८ को सभा में उपस्थापित १९५५-५६ और १९५६-५७ की अतिरिक्त मांगों पर चर्चा के प्रारम्भ के पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं ।

२४ नवम्बर, १९५८ को मांग संख्या १५ के अधीन १,३४,८४२ पये की एक अतिरिक्त मांग रखी गई थी जिसमें मतदान प्राप्त ६.२२ करोड़ की मांग से वास्तविक आधिक्य राशि दिखाई गई थी जैसा कि लेखा परीक्षाकृत विनियोग लेखाओं में दिखाया गया है ।

तथापि सभा की लोक लेखा समिति शाखा ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि लोक लेखा समिति के नवें प्रतिवेदन की कंडिका ३ की सिफारिशों के अनुसार उक्त कंडिका में दिखाई गई ७,३२,४८९ रु० की अग्रेतर प्रविष्टि को जोड़ने के उपरांत १९५५-५६ की अतिरिक्त अनुदानों की मांग के अधीन मांग संख्या १५ के अन्तर्गत कुल राशि ८,६७,३३१ रुपये होनी चाहिये । यह राशि विनियोग लेखों में दिखाई गई मत प्राप्त अनुदान से १,३४,८४२ रु० अधिक होनी चाहिये । गलती से जमा की गई इस राशि के सामने दूसरी ओर ७.७४ लाख रुपये का समायोजन किया गया जैसा कि विनियोग लेखे के पृष्ठ ६७ में उल्लेख है ।

लोक लेखा समिति की सलाह के अनुसार १९५५-५६ की मांग संख्या १५ के अधीन ६.२२ करोड़ के मतप्राप्त अनुदान से अधिक अतिरिक्त राशि को १.३४८४२ ० से बढ़ाकर ८,६७,३३१ कर दिया गया ।

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	१	श्री तंगामणि	विभागीकरण के कारण दक्षिण रेलवे के जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था उनके पुनः स्थानान्तरण में विलम्ब	१०० रु०
५	४	श्री तंगामणि	दक्षिण रेलवे में पुलों के संधारण में त्रुटि और फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनायें	१०० रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
८	६	श्री तंगामणि	खोये गये या खराब हुए माल के दावों में वृद्धि	१०० रु०
९	१२	श्री तंगामणि	भविष्य निधि के दावों और ऋणों के भुगतान में विलम्ब	१०० रु०
३	२	श्री नौशीर भरूचा	गैर-सरकारी समवायों द्वारा संचालित लाइनों को सहायता का भुगतान और उन्हें दी गई प्रतिभूतियां	१०० रु०
५	३	श्री नौशीर भरूचा	इंजिन-डिब्बों की अवस्था का अधिक खराब होना तथा सेवा और कुशलता के आवश्यक स्तर तक डिब्बों के संधारण के सम्बन्ध में उपेक्षा	१०० रु०
९	७	श्री नौशीर भरूचा	रेलवे दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त यात्रियों को प्रतिकर	१०० रु०
९	८	श्री नौशीर भरूचा	रेलवे अधिकारियों की गलती के लिये उनके उपदान की जब्ती	१०० रु०
१३	१*	श्री नौशीर भरूचा	रेलवे बजट आधिक्य के हिसाब लगाने का गलत और अकुशल तरीका	१०० रु०
१५	२*	श्री नौशीर भरूचा	सही वैज्ञानिक आधार पर पूंजी और अवक्षयण निधि में नियत राशि देने में असफल रहना	१ ० रु०

†उपाध्यक्ष महोदय : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

*ये कटौती प्रस्ताव १९५५-५६ की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये गये।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मेरा पहिला कटौती प्रस्ताव मांग संख्या १ के संबंध में है । १९५६ में विभागीकरण के कारण कई कर्मचारियों को उनके मूल स्थान से स्थानान्तरित कर दिया गया था अब उनके बार-बार अभ्यावेदन करने के बावजूद भी उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है । उदाहरणार्थ मद्रास से ३० कर्मचारियों का विजयवाड़ा और १७ कर्मचारियों का आल्वाकोट स्थानान्तरण हुआ किन्तु उन्हें अभी तक मद्रास वापस नहीं किया गया ।

मेरी दूसरी मांग पुलों के ठीक से मरम्मत न होने के सम्बन्ध में है । १९५६-५७ में त्रिचनापल्ली के निकट एरियालूर में एक भयंकर दुर्घटना हो गई थी जिसमें मरुदायर नदी का पुल टूट जाने के कारण एक सवारी गाड़ी पुल पर से नदी में गिर पड़ी । फलस्वरूप करीब २५० व्यक्तियों की जानें गईं उसी पुल में उसके दो वर्ष बाद एक मालगाड़ी गिर पड़ी जिसका फल हुआ कि २७ डिब्बे नदी में गिर पड़े और बहुत नुकसान हुआ । इससे स्पष्ट है कि पुलों की ठीक से मरम्मत नहीं की जा रही है ।

मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ८ के सम्बन्ध में है इस मद में हमें २८ लाख रूपये अधिक देने पड़े । यद्यपि हमें रेलवे उपमंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि खाद्यान्न खुले डिब्बों में नहीं भेजे जायेंगे तो भी उन्हें खुले डिब्बों में भेजा जा रहा है । यह एक गम्भीर बात है क्योंकि सरकार को नुकसान का प्रतिकर चुकाना होता है ।

भविष्य निधि दावों और ऋणों के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है । मेरे पास कल्याण के क पदनिवृत्त सहायक स्टेशन मास्टर का मामला है जिसके भविष्यनिधि और उपदान का भुगतान १९५८ में भी नहीं किया जा सका । आनन्दन नम्बियार ने मद्रास में इस कारण भूख हड़ताल की थी कि भविष्य निधि और उपदान के भुगतान में बहुत विलम्ब हो रहा है । वस्तुतः मैं माननीय मंत्री को यात्रा भत्ता, वेतन वृद्धि भविष्य निधि और उपदान के भुगतान में विलम्ब के कई मामले बता सकता हूं । तथापि उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि वे इन मामलों पर गौर करेंगे और न मामलों के निपटारे के लिये विशेष व्यवस्था करेंगे ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्वखानदेश) : पहले मैं १९५५-५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों को लूंगा । पृष्ठ २ पर मांग संख्या १३ में एक शीर्षक दिया हुआ है "विकास निधि में विनियोग ।" इस शीर्षक के अन्तर्गत पुनरीक्षित प्राक्कलन से ४·६४ करोड़ रुपये की अधिक राशि दिखाई गई है । रेलवे मंत्री ने यह बताया है कि यह अधिक्य रेलवे की अधिक आय के कारण हुआ है । मैं पूछता हूं यह किस प्रकार का बजटिंग है । हमारे मंत्री महोदय को यह भी नहीं पता लग सकता कि उन्हें ४ करोड़ रुपये की अधिक आय होने वाली है । यदि उन्हें अधिक आमदनी की आशा थी तो फिर उन्होंने रेलवे के किराये व भाड़े किस आधार पर बढ़ाये हैं व यात्रियों पर किस आधार पर यात्री कर लगाया है ?

पृष्ठ ३ पर एक नई मांग संख्या १५ दिखाई गई है । यह मांग नई लाइनों तथा इस निधि पर भारित पुरानी लाइनों के ठीक करने के व्यय के बारे में है । मैं कई बार पूछ चुका हूं कि ह्रास निधि किन सिद्धान्तों पर प्रयोग किया जा रहा है ? किन्तु मुझे इसका आजतक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका है । मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूँगा कि वह इस निधि का वैज्ञानिक आधार पर संशोधन करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

अब मैं १९५६-५७ के अतिरिक्त अनुदानों को लेता हूं। पृष्ठ २ पर मांग संख्या ३ के अन्तर्गत बर्कड लाइनों तथा अन्य लाइनों के लिये भुगतान करने के लिये एक छोटी सी राशि मांगी गई है। मैं जानना चाहता हू कि ये लाइनें कितने मील लम्बी हैं? इनमें से कितने मील प्राइवेट लाइनें हैं जिनकी गारंटी सरकार ने दे रखी है? मैं इन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अब मैं १.८७ लाख रुपये की मांग संख्या ५ को लेता हूँ। यह मांग रेलवे के संधारण तथा मरम्मत व्यय के सम्बन्ध में है। मैं जानना चाहता हूं क्या रेलवे सचमुच अपनी गाड़ियों को ठीक हालत में बनाये रखने की ओर कोई ध्यान दे रही है? पहले थर्ड क्लास के डिब्बे खस्ता हालत में होते थे किन्तु आजकल फर्सट् क्लास के डिब्बों की भी बड़ी दुर्दशा है। मैंने इस सम्बन्ध में कई शिकायतें भी की हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन हुए मैं डी-लकस जनता से यात्रा कर रहा था। उसमें संडास के दरवाजे गाड़ी के धमाके से अपने आप खुल जाते थे क्योंकि उनमें कोई कुंडिया नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इस बात की शिकायत लिखी तब दूसरी बार फिर जब मैंने उनको वैसा ही पाया तो मुझे एक कंडकट्र गार्ड ने बताया कि इसके बारे में जब तक रेलवे बोर्ड से स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैंने दोबारा फिर शिकायत लिखी किन्तु अभी तक यही उत्तर मिला है कि "मामले पर गौर किया जा रहा है।" रेलवे के लिये इस प्रकार की लापरवाही बड़ी शर्म की बात है। इसी प्रकार मैंने कई बार प्रथम श्रेणी के डिब्बों के बुरी तरह चूते हुए पाया है। दिन व दिन गाड़ियों की स्थिति बड़ी शोचनीय होती जा रही है। पता नहीं लगता हम लोग उनकी मरम्मत के लिये जो लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं वह किन लोगों की जेबों में जा रहा है। इससे बढ़ कर और लापरवाही क्या हो सकती है।

अब मैं अंतम मांग संख्या ९ को लेता हूँ। इसमें सामान्य कार्य संचालन व्ययों के बारे में प्रकीर्ण व्ययों का उल्लेख है। इसके अन्तर्गत रेलवे दुर्घटनाओं से ग्रस्त लोगों को प्रतिकर रूप में दिया जाने वाला व्यय भी आता है। आज तक मुझे यह समझ में नहीं आया कि यह प्रतिकर किन सिद्धान्तों पर निर्धारित किया जाता है। रेलवे प्रशासन की यह प्रवृत्ति है कि वह प्रारम्भ में मुआवजा देने से इन्कार कर देता है तब जब लोग विधि न्यायालयों में जाने की धमकी देते हैं तब यह मुआवजा देना स्वीकार करता है। रेलवे मंत्री को इसके लिये निश्चित सिद्धान्तों का प्रतिपादन करना चाहिये ताकि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को उचित प्रतिकर मिल सके।

मुझे यह सुनकर बड़ा विस्मय हुआ कि कुछ रेलवे कर्मचारियों का गलत आदेश जारी करने के कारण उपदान जब्त कर लिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन आदमी गलती नहीं करता। उपदान जब्त करने की यह प्रथा बहुत बुरी है। मैं इसकी घोर निन्दा करता हूँ और आशा करता हूं मंत्री महोदय शीघ्र ही इसको समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाने की कृपा करेंगे।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): मैं केवल मांग संख्या ५ के बारे में ही कुछ कहूंगा। श्री भरूचा मुझ से पहले भारतीय गाड़ियों के डिब्बों की दशा का वर्णन कर चुके हैं। इस

†मूल अंग्रेजी में

बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि पुराने डिब्बों के स्थान पर नये डिब्बे क्यों नहीं बनाये जा रहे। यदि हमारे पास डिब्बों की कमी है तो फिर हमने अनेक स्थानों पर रेल के डिब्बे बनाने वाले कारखानों को क्यों बंद किया जा रहा है? इसमें हजारों व्यक्ति बेरोजगार होते जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पेराम्बुर में बेकार हुए व्यक्तियों को अब तक किसी काम पर लगाया गया है?

अब मैं उपदान और भविष्य निधि को लेता हूँ। मेरे मित्र श्री तंगामणि पहले ही बता चुके हैं कि कैसे लोगों को रिटायर होने के लम्बे अर्से बाद तक न भविष्य निधि मिलती है और न उपदान ही। अगर व्यक्ति को बुढ़ापे में यह सहायता ठीक समय पर न मिल पाये तो इसका क्या प्रयोजन रह जाता है? लोगों के अंतिम क्लेमों का शीघ्रता से निश्चय करने के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि लोगों को अपने जीवन काल ही में यह राशियां उपलब्ध हो सकें।

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने एक सुझाव रखना चाहता हूं। हमने प्रतिरक्षा मंत्रालय में भी इसके अनुसार काम किया है। वह यह है कि जब किसी व्यक्ति को रिटायर होना हो उससे तीन महीने पहले से उसकी सब 'काट' बन्द करके उसके हिसाब का अंतिम लेखा तैयार कर लिया जाये और जैसे ही वह रिटायर हो उसकी राशि उसको सौंप दी जाये।

मैं समझता हूं मंत्री महोदय मेरे इस विनम्र सुझाव पर भली-भांति विचार करने का कष्ट करेंगे।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : सभापति महोदय, मैं डिमांड नम्बर १५ और ९ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। डिमांड नम्बर १५ कंस्ट्रक्शन आफ न्यू लाइंस के सिलसिले में है। उसमें रोहतक पानीपत लाइन के बारे में कई दफा रेलवे मिनिस्टरी को लिखा जा चुका है। पिछली बार के जमाने में यह रेलवे लाइन डिस्मेंटेल्ड हुई थी। उसमें से सिर्फ रोहतक गोहाना पोर्शन बन चुका है लेकिन गोहाना पानीपत पोर्शन बनना अभी बाकी है। जब इसके बारे में रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा गया तो मिनिस्टर का जवाब यह आया कि पहले हम उसका तजुर्बा कर लें और देख लें कि उसका क्या नतीजा होगा और आया इसका रेस्टोरेशन कमर्शियली साउंड होगा कि नहीं। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब जो तर्जुबा करके देखना चाहते हैं और जो वह यह कह रहे हैं कि पहले यह देख लिया जाय कि आया इस पोर्शन का रेस्टोरेशन साउंड होगा कि नहीं और पहले से यह कहा जाय कि यह साउंड नहीं होगा, तो इस तरह तो वह गलत बिना पर चल रहे हैं क्योंकि एक छोटे से पोर्शन के रेस्टोरेशन से तो नुक्सान ही नुक्सान होने वाला है जब तक कि मेन लाइन पानीपत जंक्शन से कनैक्ट न की जाय और जब तक यह नहीं किया जाता तब तक वह बेकार ही होगा।

सन् १९५६ में जब कि आनरेबुल रेल मंत्री के प्रीडिसेसर गोहाना तशरीफ ले गये थे तो वहां की जनता ने भी इसके लिए उनके सामने अपनी रिक्वैस्ट रक्खी थी। उसके बाद पार्लियामेंट के मेम्बरों ने भी इसके लिए रेलवे मंत्रालय और मंत्री महोदय को लिखा और पंजाब प्रान्त से आये हुए तमाम पार्लियामेंट के मेम्बरों ने रेलवे मिनिस्टर महोदय से इसकी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मू० चं० जैन]

मांग की कि यह रेस्टोरेशन साउंड है कि नहीं इसके लिए वे पंजाब गवर्नमेंट से पूछें। अब माननीय जगजीवन राम जानते हैं कि पंजाब मिनिस्ट्री का हिन्दी स्पीकिंग ऐरिया के साथ सौतेले बेटे का सा सलूक होता है और इसलिए मैं नहीं जानता कि पंजाब मिनिस्ट्री इस बारे में उनको क्या कहेगी अथवा लिखेगी। लेकिन मैं रेलवे मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब के तमाम एम० पीज० दोनों तरफ के, हिन्दी स्पीकिंग एरिया के और पंजाबी स्पीकिंग एरिया के, दोनों तरफ़ के मेम्बरों ने इस बात की मांग की है कि इस लाइन को रेस्टोर किया जाय। उसके लिए यह कहना कि यह रेस्टोरेशन कमर्शिएली साउंड नहीं है कहां तक दुरुस्त होगा जब कि तमाम जनता उस मांग के हक में है . . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को यहां पंजाब मंत्रिमंडल के सम्बन्ध म बहस नहीं करना चाहिए। पंजाब मंत्रिमंडल के मिनिस्टर्स की आलोचना न करें।

श्री मू० चं० जैन : मेरा तो यही कहना है कि मेन लाइन के 'स्टोर किये वगैर, गोहाना और पानीपत को मिलाये वगैर यह जो एक छोटे से पोर्शन का रेस्टोरेशन किया गया है, उससे रेलवे को कोई फायदा नहीं होगा और वह कमर्शिएली साउंड नहीं होगा, इसलिए हर नुक्तेनिगाह से यह जरूरी है कि बकाया पोर्शन को रेस्टोर किया जाय और मैं उम्मीद करता हूं कि रेलवे मिनिस्टर साहब इस बात की तरफ ध्यान देंगे।

दूसरी बात जिसकी कि तरफ मैं आनरेबुल रेलवे मिनिस्टर का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि उसी इलाके के रेलवे स्टेशंस के बारे में कई दफा रेलवे मंत्रालय को लिखा जा चुका है। बाज औकात वह हमारी चिट्ठियों को एकनौलेज कर लेते ह और हमें लिख देते हैं कि हम आपको इस बारे में खबर देंगे लेकिन उनके एक्नौलेजमेंट को आये ६, ६ और ४, ४ महीने हो जाते हैं, मज़ीद एनफार्मेशन कि कितने स्टेशंस् हैं जहां पर कि पैसेंजर्स शैड्स सैंक्शंड हैं या कितने गुड्स प्लेटफार्म्स सैंक्शंड हैं या और मुख्तलिफ चीजें सैंक्शंड होती हैं, उनके बनने के बारे में कोई एनफार्मेशन नहीं मिलती और वह बनने में नहीं आतीं। मेरी गजारिश है कि मंत्री महोदय इसकी तरफ ध्यान दें। अगर वह ध्यान दें तो कोई वजह नहीं कि इन बातों में क्यों देर हो। कैथल और जींद, इसको सैंक्शन हुए काफी समय हो गया, दो वर्ष हो गये और जब उसके बार में दरियाफत् किया गया तो रेलवे के एक अफसर का जवाब आता है कि वह सैंक्शन हो गया है और बना ही चाहता है।

फिर जाते हैं तो फिर वही चीज कही जाती है। इसलिए या तो आप उम्मीद न दिलायें और यह कह दें कि सैंक्शन नहीं है, और प्लान में नहीं है ताकि जनता उम्मीद ही न करे।

इसलिए मेरी गुजारिश है कि लाइन के रेस्टोरेशन की तरफ ध्यान दें और स्टेशनों के लिए जो एमेनिटीज सैंक्शन्ड हैं, जो सैंक्शन नहीं हैं उनको तो बाद में देखा जायेगा, लेकिन जो सैंक्शन्ड हैं उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं अपनी कांस्टीट्युएंसी के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मुझे यह कहना है कि चौखंडी और लोहता स्टेशनों के बीच में एक फ्लैग स्टेशन दो बरस से सैंक्शन हो गया है लेकिन आजतक वह नहीं बना। चौखंडी और लोहता ये शहर के

पास हैं और यहां से बहुत अमदोरफ्त होती है लेकिन हालांकि सैंक्शन हुए दो बरस हो गये अभी तक यह फ्लैग स्टेशन नहीं बना। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि इसको एक्सपीडाइट कराया जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बावतपुर और खालिसपुर के बीच में एक फ्लैग स्टेशन होना चाहिए। इसके बारे में आपके पास बहुत से रिप्रेजेंटेशन भी आये होंगे और वहां की अन्तरिम परिषद् जिला परिषद ने खासतौर पर इसके लिए प्रस्ताव पास किये हैं। इसकी दो-तीन बार एन्क्वायरी भी हुई है लेकिन इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जब तक मैं यहां हूं तब तक यह फ्लैग स्टेशन नहीं बन सकता। मैंने पिछली बार भी इस ओर ध्यान दिलाया था। वहां के एम० एल० ए०, बोर्ड के मेम्बर आदि सब लोग इसको चाहते हैं। लेकिन इन्सपेक्टर साहब ने न तो कभी उन लोगों से भेंट की और न उस स्थान पर गये और घर बैठ कर रिपोर्ट चालू हो जाती है। मेरा कहना है कि बावतपुर और खालिसपुर शहर के पास हैं, सिर्फ ६ मील का फासला दोनों के बीच में है। यहां पर एक फ्लैग स्टेशन बनाया जाना चाहिए।

बावतपुर स्टेशन से औसतन् ५०० यात्री रोज जाते हैं लेकिन स्टेशन पर छोटा सा कमरा है और एक छोटा सा लैम्प घर है। वहां पर कोई शैड नहीं है यात्रियों के लिए और कोई इन्तिजाम नहीं है। वहां पर ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए वहां पर एक शैड जरूर होना चाहिए ताकि धूप में और पानी में यात्री उसमें बच सकें।

बावतपुर स्टेशन के पास इलैक्ट्रिक लाइन भी आ गयी है। ट्यूब वैल का पानी भी पास ही उपलब्ध है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि उस स्टेशन के लिए बिजली भी सुभीते से मिल सकती है और साथ ही साथ ट्यूब वैल से पानी भी लिया जा सकता है। चूंकि यहां से ५०० यात्री रोज जाते हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यहां पर यह प्रबन्ध होना चाहिए।

लोगों को वहां के बारे में एक आम शिकायत यह भी है कि वहां पर स्टाफ बहुत कम है। वहां पर केवल एक स्टेशन मास्टर है और जब सबेरे दोनों तरफ से गाड़ियां आ जाती हैं तो उसको टिकट देना कठिन होता है। वहां पर उस समय २०० या १५० यात्री होते हैं। एक आदमी को इतने आदमियों को दोनों तरफ की गाड़ियों के लिए आधे घंटे में टिकट देना सम्भव नहीं होता। और इससे मुसाफिरों को कष्ट होता है। इसका भी प्रबन्ध होना चाहिए।

अन्त में मैं चुनार के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। चुनार वालों की यह मांग है कि काशी एक्सप्रेस जो बम्बई से आती है उसको चुनार पर रोका जाय। यहां पर जंकशन स्टेशन तो बन ही गया है। अगर आप यहां पर इस गाड़ी को एक मिनट के लिए भी रोकने का प्रबन्ध कर दें तो हम बहुत आभारी होंगे।

श्री जगजीवन राम : ठहरा देंगे।

मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। श्री नौशीर भरूचा ने पूछा है कि यह आधिक्य कैसे हो गया है ? क्या मैं इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सका ? बजट के प्राक्कलन कई कारणों को ध्यान में रख कर तैयार किये जाते हैं। कभी कभी हमारी गणना में गलती भी हो सकती है। इस वर्ष भी ऐसा ही हुआ। इसलिये हमारे पास काफी रकम बच गई थी। उसे हमने विभिन्न निधियों में जोड़ दिया है ?

[श्री जगजीवन राम]

उन्होंने यह भी पूछा है कि यह राशि किन सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न निधियों में बांटी जाती है? इस प्रश्न की जांच संसदीय कन्वेंशन समिति द्वारा १९४९ और फिर दूसरी बार १९५४ में भली-भांति की जा चुकी है। रेलवे प्रशासन उसी समिति की सिफारिशों के अनुसार काम कर रहा है। अब पांच वर्ष की समाप्ति पर फिर एक नई कन्वेंशन समिति बनाई जायेगी और तब उसकी सिफारिशों के अनुसार कार्य होगा।

श्री तंगामणि ने रेलवे स्टाफ के पुनःस्थानान्तरण के बारे में भी जिक्र किया है। मैं समझता यह समस्या बहुत बड़ी मात्रा तक हल हो चुकी है। अगले कुछ ही महीनों में बेजवाड़ा, रेणीगुंता आदि स्टेशनों से सभी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में डिवीजन हेडक्वार्टर्स तथा एकाउंट्स सेक्शन के कर्मचारियों को बदलने में खास दिकतें तथा देरी हुई है। किन्तु आगामी दो-तीन वर्ष में हम इस समस्या का पूर्णतया हल निकाल लेंगे।

पुलों के बारे में यह कहना कि इस वर्ष माल-गाड़ी की जो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई है वह पुल की कमजोरी के कारण हुई है सर्वथा गलत है। उस पुल में कोई त्रुटि नहीं थी। हम सब पुलों की भली-भांति देख-रेख करते रहते हैं। हम प्रतिवर्ष प्रत्येक रेलवे पर पुलों की मरम्मत आदि पर हजारों रुपये व्यय करते हैं। इनकी देखभाल के लिये हमने एक उच्च शक्तिवान समिति भी नियुक्त की हुई है। जैसे ही हमें उस समिति की सिफारिशें मिलेंगी हम उसके अनुसार कार्यवाही करने को तैयार हैं। इसके इलावा प्रत्येक रेलवे प्रशासन तथा इंजीनियरिंग विभाग को यह स्थायी आदेश दिये गये हैं कि वे एक नियमित कालावधि में सब पुलों आदि की मरम्मत व निरीक्षण करते रहें। मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे में भी इस कार्य के लिये प्रतिवर्ष काफी रुपया खर्च किया जा रहा है।

इसके बाद मैं यात्रियों को दिये जाने वाले मुआवजे के प्रश्न को लेता हूं। जो यात्री रेल दुर्घटनाओं में आहत या हत हो जाते हैं उनको यह प्रतिकर दिया जाता है। चाहे यह दुर्घटना रेलवे की लापरवाही से हुई हो अथवा अन्यथा।

यह राशि इस चीज को देखते हुए निर्धारित की जाती है कि किसी व्यक्ति को कैसी चोट आई है तथा उसकी किन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इसका निर्णय करने के लिये राज्य सरकार किसी भी दुर्घटना के पश्चात् क्लेम्स कमिशनर नियुक्त कर देती है और वे लोग ही उसका फैसला करते हैं। हम प्रायः क्लेम कमिशनरों के पास अग्रिम धन जमा कर देते हैं और वे लोग उसमें से मुआवजे का भुगतान कर देते हैं। इस संबंध में हमने हाल ही में एक नया कदम उठाया है। मैंने यह आदेश जारी किये हैं कि जैसे ही किसी दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो उसको वहीं मौके पर तत्काल ५०० रुपये दे दिये जायें और जख्मी होने वाले व्यक्ति को २०० रुपये तक की राशि दी जा सकती है। और इस रकम को बाद में मुआवजे में से नहीं काटा जायेगा। इस प्रकार यह राशि एक प्रकार की तदर्थ सहायता मात्र है। हम मुआवजे में अधिक से अधिक १०,००० रुपये देते हैं। कई बार यह रकम अपर्याप्त होती है। इसलिये हम इस राशि को बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। अरयालूर दुर्घटना में ग्रस्त लोगों को मैंने इस से २० प्रतिशत अधिक राशि देने के लिये कहा था।

†**श्री नौशीर भरूचा :** क्या रेलवे प्रशासन किसी क्लेम के लिये प्रार्थना पत्र आने की प्रतीक्षा करता है अथवा वह अपने आप मुआवजा दे देता है?

†**श्री जगजीवन राम :** इस अधिनियम के संशोधन से पहले रेलवे अधिकारी स्वयं ही मुआवजा दे देते थे किन्तु बाद में यह सोचा गया कि अगर मआवजे की राशि तय करने का अधिकार किसी अन्य स्वतन्त्र परिनियत अधिकारी को दिया जाये तो अधिक उचित होगा। इस काम के लिये अब राज्य सरकार द्वारा क्लेम्स कमिशनर नियुक्त किये जाते हैं। सामान्यता जिलाधीश अथवा जिला दण्डाधिकारी अथवा जिला न्यायाधीश को ही क्लेम्स कमिशनर नियुक्त किया जाता है। पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके संबंधियों को क्लेम्स के लिये क्लेम्स कमिशनर के पास प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है और तब वह उसकी सुनवाई के बाद मुआवजे की राशि निश्चित करता है। यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि यह राशि कम है तो वह कमिशनर के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालय में अपील भी कर सकता है। रेलवे कभी अपील नहीं करती। मैं इस प्रक्रिया को अभी और सरल बनाने के बारे में सोच रहा हूं।

श्री भरूचा ने एक और बात भी कही है। उनका कहना था कि भूल-चूक से दिये गये आदेशों के लिये किसी व्यक्ति का उपदान नहीं जब्त करना चाहिये। मुझे उन का यह कथन नहीं समझ में आ सका है। रेलवे कर्मचारियों को भविष्य निधि, विशेष उपदान तथा कुछ अंशदान मिलते हैं। नौकरी से केवल उन लोगों को छोड़कर जिनको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है शेष सब को अवश्यमेव उपदान दिया जाता है। केवल उन्हीं लोगों का उपदान आदि काटा जाता है जिनको गम्भीर लापरवाही के कारण दंड दिया गया हो। आज तक हमने साधारण भूल-चूक के कारण किसी भी व्यक्ति का उपदान नहीं जब्त किया है। हमारे पास इस संबंध में कभी एक शिकायत तक नहीं आयी।

†**श्री नौशीर भरूचा :** मगर मेरे पास यह सूचना है कि व्यक्ति से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना उसका उपदान काट लिया गया है।

†**श्री जगजीवन राम :** यदि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई दृष्टांत है तो वह उसे मेरे पास भेजने की कृपा करे। मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही करने को तैयार हूं।

यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भविष्य निधि का अंतिम भुगतान करने में कुछ विलम्ब होता रहा है। किन्तु अब हमने यह आदेश जारी कर दिये हैं कि किसी कर्मचारी के सेवामुक्त होने से छः महीने पहले उसके सभी कागजात संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिये जायें और उसे सेवा निवृत्ति के साथ ही यह पत्र भी उसी दिन दे दिया जाय। हम इस परीक्षण में काफी सफल हुए हैं और अब स्थिति बहुत सुधर गई है। किन्तु इसके बावजूद भी किसी-किसी मामले में विलम्ब होना नितान्त स्वभाविक है जैसे जब कोई व्यक्ति अकस्मात मर जाता है या समय से पहले सेवामुक्ति हो जाता है या एक महीने का नोटस देकर नौकरी छोड़ जाता है तब ऐसे मामलों में थोड़ी बहुत देर हो ही जाती है।

कभी-कभी हमें सामान की चोरी या नुकसान हो जाने के कारण भी लोगों को मुआवजा देना पड़ता है यद्यपि हर वर्ष ऐसे क्लेमों की संख्या बहुत बढ़ रही है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगजीवन राम]

तथापि इनके बदले में दी जाने वाली राशि की मात्रा में अधिक वृद्धि नहीं हुई है इन मामलों की संख्या यातायात के अधिक बढ़ने के कारण बढ़ गई है। इस दिशा में हमने पिछले दो वर्षों में जो कदम उठाये हैं वे बड़े सफल सिद्ध हो रहे हैं। आशा है भविष्य में उनकी संख्या बहुत कम हो जायेगी।

जहां तक गाड़ियों तथा डिब्बों की दशा की संधारण का प्रश्न है इस बारे में कई शिकायतें की गई हैं। मैं उनको तस्लीम करता हूं। हमारे पास डिब्बों की बड़ी कमी है, कई बार एक गाड़ी के आते ही उसे दूसरी गाड़ी बना कर चलाना पड़ता है। डिब्बों की देख-भाल व उनको आराम का बहुत कम मौका मिलता है। इसलिये उनकी सफाई वगैरह में कभी-कभी त्रुटियां रह जाती हैं। हम सप्लाई बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और डिब्बों की सफाई की ओर भी खास ध्यान दे रहे हैं।

द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की इस लिये भी कमी हो रही है क्योंकि अब और ऐसे डिब्बे बनने बंद हो रहे हैं। प्रथम श्रेणी के डिब्बों में भी कमी रेलवे स्टाफ की लापरवाही के कारण गंदगी और अव्यवस्था पैदा हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिये हम सब बड़े-बड़े स्टेशनों पर मिस्तरी, बिजली वालों तथा सुपरवाइजरों आदि की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि वे प्रत्येक गाड़ी पर अधिक ध्यान दे सकें मैं स्वयं महसूस करता हूं हमें अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना है।

श्री बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में ठेकेदारों द्वारा बनाये जा रहे रेल के डिब्बों के काम को बन्द करने के बारे में कुछ आपत्ति की है। इसके बारे में मैं उनकी कुछ गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। ये कारखाने केवल रेल के डिब्बे ही नहीं बनाते हैं। इनको हमने केवल कुछ डिब्बे बनाने का आर्डर दिया था। ये पहले से चल रहे कारखाने हैं। डिब्बे बनाना उनका मुख्य व्यापार नहीं है। ये काम उन्हें अस्थायी रूप से दिया गया था। उत्तर प्रदेश में ऐसे छः कारखाने हैं जिनको यह काम दिया गया था। इनमें कुल १५७५ आदमी काम करते हैं १५,००० नहीं। योजना आयोग ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि हमारे यहां डिब्बों की कमी के बावजूद भी रेल के डिब्बे प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा न बनाये जायें। इसलिये हम अब इन ठेकेदारों को और आर्डर नहीं दे सकते। इससे इन कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि यह काम उनके लिये एक अतिरिक्त काम था। और यदि कुछ प्रभाव पड़ता भी है तो यह उनके मालिकों का जिम्मा है कि वे उनके लिये और काम ढूंढें। इसमें रेलवे का कोई उत्तरदायित्व नहीं।

छोटी लाइनों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें कोई सार नहीं है। हमारे देश में ४०० मील की छोटी लाइनें प्राइवेट प्रबन्धकों के हाथ में हैं। इनके साथ सेक्रेटरी आफ स्टेट ने यह करार किया था कि अगर किसी समय इनको कुल पूंजी पर ३½ प्रतिशत से कम लाभ होगा तो भारत सरकार उस कमी को पूरा करेगी। और यदि ५ प्रतिशत से अधिक लाभ होगा तो भारत सरकार इस अधिक राशि में ५० प्रतिशत हिस्सा बटायेगी। किन्तु आज तक इन्हें कभी भी ५ प्रतिशत लाभ नहीं हुआ और हमको प्रति वर्ष इन लाइनों पर २ से ३ लाख रुपया व्यय करना पड़ता है। कई बार हमारे सम्मुख यह प्रश्न आया है कि हम इनको राष्ट्रीयकरण क्यों न कर लें ? मगर

दो तीन साल पहले हम यह तय कर चुके हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें इनका राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिये क्योंकि सरकार को व्यर्थ में मुआवजे में एक करोड़ रुपये की राशि देनी पड़ेगी। ये लाइनें ६ कम्पनियों जैसे मेकलिओड, मार्टन एण्ड बर्न कम्पनी आदि के पास हैं। कुछ लाइनें कुछ स्थानीय निकायों के अधिकार में हैं। यह करार १० वर्ष बाद दोहराया जाता है। वर्तमान करार १९६६-६७ में पूरा होगा और तभी सरकार जैसा समझेगी वैसा कदम उठायेगी।

गोहाना रोहतक लाइन के बारे में मेरा यह विचार है कि गोहाना और पानीपत के बीच रेलवे लाइन चालू करने का कोई लाभ नहीं होगा।

†**सभापति महोदय** : क्या पूर्व खानदेश के माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखने का आग्रह करते हैं ?

†**श्री नौशीर भरूचा** : जी नहीं।

†**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देती है ?

(कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिये गये)

†**सभापति महोदय** : हमारे सामने १९५५-५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें हैं और उन पर कटौती प्रस्ताव हैं। केवल दो कटौती प्रस्ताव रखे गये थे जो कि सभा की अनुमति से वापस लिये जा चुके हैं। मैं अब इन मांगों को मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा १९५५-५६ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (रेलवे) मतदान के लिये रखी गयीं। तथा स्वीकृत हुईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१३	विकास निधि के लिये विनियोग	४,६४,४९,४७९
१५	नई लाइनों का निर्माण	८,६७,३३१

†**सभापति महोदय** : अब मैं १९५६-५७ की मांगों पर रखे गये कटौती प्रस्तावों को लेता हूं।

†**श्री तंगामणि**: मैं चाहता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या १, ४, ६ और १२ इकट्ठे मतदान के लिये रखे जायें।

†**सभापति महोदय** : श्री भरुचा का क्या विचार है।

†**श्री भरूचा** : मैं अपने प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करना चाहता।

†**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देती है ?

(कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया)

†मूल अंग्रेजी में

सभापति महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १,४, ६ और १२ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय द्वारा १९५६-५७ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (रेलवे) मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि (रुपयों में)
१	रेलवे बोर्ड	१,४२,५४६
३	चालू तथा अन्य लाइनों के लिये भुगतान	९०,८७९
५	कार्यवहन व्यय—मरम्मत तथा साधारण	१,८७,८६,१०१
८	कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों और ईंधन के अतिरिक्त संचालन व्यय	३२,५३,४४७
९	राजस्व—कार्यवहन व्यय—विधि व्यय	१,४६,८६,५८२

†सभापति महोदयः अब सभा स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२०६३—८५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८३९	जाली पारपत्र बनाना	२०६३—६५
८४०	रबड़ के पौधों के पुनारोपण के लिये राजसहायता	२०६५—६७
८४१	भू-स्वामियों का अभ्यावेदन	२०६७—६९
८४२	हिन्दुस्तान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लि.मटेड	२०६९–७०
८४३	चिनाकुरी कोयला खान में विस्फोट	२०७०—७२
८४६	भारी मशीनी औजार बनाने का कारखाना	२०७२–७३
८४७	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२०७३—७६
८४८	याकोहामा सम्मेलन में भारत का भाग लेना	२०७६
८४९	भारतीय उत्पादों का प्रदर्शन करने वाला जहाज	२०७७
८५०	स्थायी श्रम समितियां	२०७८—८१
८५१	काफी बोर्ड के कर्मचारियों की छंटनी	२०८१—८३
८५४	वायदा बाजार सम्बन्धी आयोग	२०८३—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२०८५—२१२८
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४४	राज्य व्यापार निगम	२०८५
८४५	प्रविधिक प्रशिक्षण केन्द्र	२०८५–८६
८५२	भारत में घड़ियों का निर्माण	२०८६
८५३	बहावलपुर तथा सिन्ध से विस्थापित व्यक्ति	२०८६–८७
८५५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी	२०८७
८५६	पश्चिमी बंगाल में उद्योग	२०८७
८५७	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२०८७–८८
८५८	कास्टिक सोडा	२०८८–८९
८५९	कपड़ा मिलों की मशीनरी तैयार करने वाले साथ	२०८९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८६०	लौह अयस्क	२०८६
८६१	हथकरघे का कपड़ा	२०६०
८६२	विश्व कैलेन्डर	२०६०
८६३	कच्ची फिल्मों का आयात	२०६०
८६४	ठेका प्रणाली की समाप्ति	२०६१
८६५	भारतीय कपास प्रतिनिधिमण्डल	२०६१
८६६	चाय बोर्ड	२०६१-६२
८६७	नेपा अखबारी कागज का कारखाना	२०६२-६३
८६८	बाट तथा दशमिक प्रणाली	२०६३
८६६	घड़ी बनाने में भारतीयों को प्रशिक्षण	२०६३-६४
८७०	संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल	२०६४
८७१	पीतल और तांबे की कलात्मक वस्तुयें बनाने का उद्योग	२०६४-६५
८७२	राजस्थान में बेकारी	२०६५
८७३	लौह अयस्क उत्पादन के लक्ष्य	२०६५
८७४	हड्डियों का निर्यात	६०६५-६६
८७५	सिंगरेनी कोलियरी वर्कर्स यूनियन	२०६६
८७६	श्रम मंत्रणा समितियां	२०६६-६७
८७७	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	२०६७
८७८	एक्स-रे उपकरणों का निर्माण	२०६७-६८
८७६	चाय की पैकिंग करने वाली फर्में	२०६८
८८०	कपड़ा मिलों में आधुनिकीकरण	२०६८-६६
८८१	राष्ट्रीय और त्यौहारों की छुट्टियां	२०६६
८८२	मूंगफली और खली का निर्यात	२०६६
८८३	रबड़ के भाव	२०६६-२१००
८८४	धातुयें	२१००
८८५	कानपुर में कपड़े की मिलों का बन्द होना	२१००
८८६	संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में काम करने वाले भारतीय	२१००-०१
८८७	बिजली के स्विच गियर और कन्ट्रोल गियर	२१०१
८८८	पुरुलिया (पश्चिमी बंगाल) में चूने के पत्थर के निक्षेप	२१०१
८८६	प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया में हड़ताल	२१०१-०२

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

१२८२	मोटर कार उद्योग	२१०२
१२८३	ग्राम गृह-निर्माण परियोजना	२१०२–०३
१२८४	'भारत नगर' में नागरिक सुविधायें	२१०३
१२८५	राजकीय उद्यो ों में विदेशी विशेषज्ञ	२१०३
१२८६	सीमेंट के कारखानों में श्रम विवाद	२१०१–०४
१२८७	"दी न्यू डाइमेन्शन्स ग्राफ पीस"	२१०४
१२८८	पाकिस्तान के साथ व्यापार	२१०४
१२८९	पंजाब में सिंचाई के साधनों का उपयोग न किया जाना	२१०५
१२९०	पारपत्र	२१०५
१२९१	भारतीय विदेश सेवा	२१०५
१२९२	राजस्थान में बेरोजगारी	२१०६
१२९३	कास्टिक सोडा उद्योग की जांच	२१०६
१२९४	विकिरण के खतरे	२१०६–०७
१२९५	प्रयोगात्मक ेलीविजन यूनिट	२१०७
१२९६	भारत का मजूरी नकशा	२१०७
१२९७	ग्रान्ध्र प्रदेश की राज्य योजना	२१०७–०८
१२९८	मोटा ग्रौर मध्यम श्रेणी का कपड़ा	२१०८
१२९९	ग्रभ्रक का निर्यात	२१०९
१३०१	वायदा बाजार (विनियमन) ग्रि नियम, १९५२	२१०९
१३०२	कपास परामर्शदाता बोर्ड	२१०९–१०
१३०३	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	२११०
१३०४	फिल्मों का निर्यात	२१११
१३०५	कांच की चादरें ग्रौर प्लेटें	२१११
१३०६	साइन्स का सामान	२११२
१३०७	ग्रधिकारियों का उच्चस्तरीय सम्मेलन	२११२–१४
१३०८	ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय चलचित्र	२११४
१३०९	स्टैंडर्ड कपड़े की उपलब्धता	२११४
१३१०	ग्रायात ग्रौर निर्यात किये ग े माल का मूल्य	२११४–१५
१३११	रंगाई के सामान के ग्रायात के लाइसेंस	२११५
१३१२	बागान श्रमिकों की हड़ताल	२११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१३१३	आकाशवाणी से तामिल में कार्यक्रम	२११६
१३१४	अन्तर्राष्ट्रीय मेले	१२१६
१३१५	आयात के लाइसेंस	२११६–१७
१३१६	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	२११७
१३१७	अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थान	२११७–१८
१३१८	युकलिप्टस तेल	२११८
१३१९	मजदूरों की हड़तालें	२११८
१३२०	सार्वजनिक सहकारिता योजनायें	१११८–१९
१३२१	अमरीकी व्यापार शिष्टमण्डल	२११९
१३२२	पश्चिमी बंगाल में विस्थापित व्यक्तियो में कैम्प	२११९
१३२३	१९५९–६० में योजना का व्यय	२१२०
१३२४	हथकरघा उद्योग	२१२०
१३२५	हिमाचल पर अभियान	२१२०–२१
१३२६	राष्ट्रीय विकास परिषद्	२१२१–२२
१३२७	औद्योगिक श्रमिकों की आवास व्यवस्था	२१२२
१३२८	विदेशों को निर्यात	२१२२–२३
१३२९	कन्फैक्शनरी उद्योग	२१२३
१३३०	रोलिंग मिल	२१२३–२४
१३३१	पंजाब के समवाय	२१२४
१३३२	पाकिस्तानियों द्वारा अनधि प्रवेश	२१२४
१३३३	गुजरात में नये औद्योगिक एकक	२१२४–२५
१३३४	कपास सहकारी समितियां	२१२५
१३३५	अमेरिका से कपास का आयात	२१२५
१३३६	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	२१२६
१३३७	सहकारी निधियों पर भारत पाक बातचीत	२१२६
१३३८	"इण्डियन लिसनर"	२१२६
१३३९	पत्थर की खानों में दुर्घटनायें	२१२७
१३४०	शिक्षित बेकारों के लिये प्रारम्भिक योजना	२१२७–२८
१३४१	छट्टी गांव में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	२१२८
१३४२	राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	२१२८

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२९

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वर्ष १९५७–५८ के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति उसके लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) भारत सरकार तथा सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार के बीच दिनांक १६ नवम्बर, १९५८ का व्यापार समझौता ।

(२) पोलड लोक गणराज्य की सरकार तथा भारत सरकार के बीच दिनांक ३ अप्रैल, १९५६ के व्यापार समझौते का, जिस पर वारसा में १५ नवम्बर, १९५८ को हस्ताक्षर किये गये थे, प्रारूप ।

(३) भारत सरकार और जर्मन लोक गणराज्य की सरकार के बीच अनुपूरक व्यापार समझौता, जिस पर बर्लिन में ३ नवम्बर, १९५८ को हस्ताक्षर किये गये थे ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . २१२९–३०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इण्डिया काफी हाउस के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ पर श्री सतीश चन्द्र सामन्त द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के ३ दिसम्बर, १९५८ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया । . . २१३०—३२

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव तथा उस पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने और विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के बारे में संशोधनों पर, आगे चर्चा जारी रही । विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का संशो न स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित . . . . . २१३२—६२

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) ने संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खण्डवार विचार के पश्चात् संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विषय पृष्ठ

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . . २१६२—६४

रेलवे के बारे में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई ।

शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार तथा उसका पारित किया जाना । सरदार अ० सिं० सहगल द्वारा प्रस्तुत सिख गुरुद्वारा विधेयक को राय जानने के लिये परिचालित करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा तथा संसद् विशेषाधिकार विधेयक पर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना ।